क.

भारत संघ और ए. एन. आर.

वी.

मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से (2022 की सिविल अपील संख्या 1390)

19 मई, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सूर्या कांत और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-अनुच्छेद 246 ए और 279 ए-संविधान (एक सौ पहला संशोधन अधिनियम) 2016-केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017-एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017-वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशें-प्रकृति-आयोजितःजी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं-अनुच्छेद 279 बी को हटाना और संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 279 (1) को शामिल करना इंगित करता है कि संसद का इरादा जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों का केवल एक प्रेरक मूल्य है, विशेष रूप से जब घटक इकाइयों के बीच सहकारी संघवाद और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जी. एस. टी. व्यवस्था के उद्देश्य के साथ व्याख्या की जाती है-न तो अनुच्छेद 279 ए एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होता है और न ही अनुच्छेद 246 ए में कहा गया है कि यह अनुच्छेद 279 ए के प्रावधानों के अधीन है-संसद और राज्य विधानसभाओं के पास जी. एस. टी. पर कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति है-अनुच्छेद 246 ए में विसंगतियों को दूर करने के लिए एक प्रतिकूल प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

भारत का संविधान-संविधान (एक सौ पहला संशोधन अधिनियम) 2016-अनुच्छेद 246 ए और 279 ए-केंद्रीय वस्तुएं

एच.

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

और सेवा कर अधिनियम, 2017-एस.2(30), 2(93), 8 – एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-ss.2(11), 5(3), 13(9) – जी. एस. टी. परिषद की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई विवादित अधिसूचना (अधिसूचना 8/2017 और 10/2017) भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमा शुल्क केंद्र तक एक पोत में माल के परिवहन सहित निर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति पर 5 प्रतिशत की दर से एक एकीकृत कर लगाती है और एक आयातक यू/एस को

शामिल करने के लिए एक जहाज द्वारा एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा माल की आपूर्ति की सेवाओं के प्राप्तकर्ता को वर्गीकृत करती है।2(26) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-उत्तरदाताओं-लागत-बीमा-माल ढुलाई (सी. आई. एफ.) के आधार पर गैर-कोकिंग कोयले के आयातकों ने अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने माना कि विवादित अधिसूचनाएं आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को पार करने के लिए असंवैधानिक हैं-अपील पर कहा गयाःसरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है।5(3) आई. जी. एस. टी. अधिनियम ने 'आपूर्ति की श्रेणियों' को निर्दिष्ट करते हुए विवादित अधिसूचना जारी की जो रिवर्स शुल्क के अधीन होगी-अधिसूचना, मानदंडों को निर्दिष्ट करने के अलावा उन श्रेणियों में संबंधित प्राप्तकर्ता का भी उल्लेख करती है-आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम रिवर्स शुल्क को परिभाषित करते हैं और उस इकाई को निर्धारित करते हैं जिस पर इन उद्देश्यों के लिए कर लगाया जाना है-प्राप्तकर्ता का विनिर्देश-इस मामले में आयातक-अधिसूचना द्वारा 10/2017 केवल स्पष्टीकरणात्मक है-सरकार ने अधिसूचना द्वारा एक कर योग्य इकाई को निर्दिष्ट नहीं किया जो एस. में निर्धारित की गई है।5(3) आई. जी. एस. टी. अधिनियम के रिवर्स चार्ज के उद्देश्यों के लिए-विवादित अधिसूचना 10/2017 स्पष्ट रूप से एक कर योग्य व्यक्ति को निर्दिष्ट करती है जो कानून में परिकल्पित रिवर्स शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है-इस प्रकार, एक कर योग्य व्यक्ति की पहचान करने में कथित विफलता के लिए विवादित अधिसूचनाओं को अमान्य नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, आक्षेपित अधिसूचना 8/2017 को अत्यधिक प्रतिनिधित्व के लिए रद्द नहीं किया जा सकता है जब यह सी. आई. एफ. मूल्य का 10 प्रतिशत रिवर्स चार्ज के आधार पर कर लगाने के लिए तंत्र के रूप में निर्धारित करता है-साथ ही, जी. वी. के. इंडस्ट्रीज में संविधान पीठ का निर्णय अतिरिक्त-क्षेत्रीय रूप से होने वाली घटनाओं पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को मान्यता देता है-लागू की गई एकमात्र आवश्यकता यह है कि ऐसी घटना का भारत के साथ वास्तविक संबंध होना चाहिए-वर्तमान मेंसबसे पहले, माल का गंतव्य भारत है और इस प्रकार, क्षेत्र के बाहर होने वाली घटना के साथ एक स्पष्ट क्षेत्रीय संबंध स्थापित किया जाता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

और दूसरा, सेवाओं को भारतीय आयातक के लाभ के लिए प्रदान किया जाता है-इस प्रकार, लेनदेन का भारत के क्षेत्र के साथ संबंध है-एस. एस. के संयुक्त पठन पर।2(11) और आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9), आर/डब्ल्यू. एस. एस.2(93) सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अनुसार, सी. आई. एफ. अनुबंध द्वारा वस्तुओं का आयात एक "अंतर-राज्यीय" आपूर्ति का गठन करता है जो आई. जी. एस. टी. के अधीन हो सकती है जहां ऐसी वस्तुओं का आयातक प्रेषण सेवा का प्राप्तकर्ता होगा -आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4) केंद्र सरकार को पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को प्राप्तकर्ता के रूप में निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रत्यायोजित विधान पर एक काल्पनिक धारणा बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है-यू/एस. एस. के तहत बरकरार रखी गई विवादित अधिसूचनाओं की वैधता।5(3) और आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4)-हालांकि, लेन-देन के 'सेवा' पहलू पर लगाया गया विवादित शुल्क यू/एस. में निहित 'समग्र आपूर्ति' के सिद्धांत का उल्लंघन है।2(30) आर/डब्ल्यू एस।8, सी. जी. एस. टी. अधिनियम और जी. एस. टी. विधान की समग्र योजना-दोहरा कराधान-सीमा शुल्क अधिनियम 1962 -एस. 2 (26)।

ग

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-सांविधिक प्रावधान और अधिनियम की योजना-पर चर्चा की गई।

डी.

भारत का संविधान-संविधान (एक सौ पहला संशोधन अधिनियम) 2016-विधायी इतिहास-चर्चा।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-एस. एस.2(11), 13(9) – केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 - धारा 2 (93)-क्या सी. आई. एफ. अनुबंध द्वारा माल का आयात एक "अंतर-राज्यीय" आपूर्ति का गठन करता है जो आई. जी. एस. टी. के अधीन हो सकता है जहां ऐसे माल का आयातक प्रेषण सेवा का प्राप्तकर्ता होगा-आयोजित किया गयाःहां. भारत का संविधान-अतिरिक्त-क्षेत्रीय रूप से होने वाली घटनाओं पर कर लगाने की संसद की शक्ति-चर्चा-केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, अधिनियम 2017-एकीकृत वस्तु और सेवा कर, अधिनियम 2017।

ई.

च

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 -धारा 2 (93)-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-एस. एस.5(3), 5(4) – उत्तरदाताओं की याचिका कि संशोधित और असंशोधित एस।5(4) आक्षेपित अधिसूचनाओं को सेव न करें क्योंकि वे अभी भी "प्राप्तकर्ता" शब्द का संदर्भ देते हैं-आयोजितःएस. 5 (4) एस. के विपरीत "प्राप्तकर्ता के रूप में" भाषा का उपयोग करता है।5(3) आई. जी. एस. टी. अधिनियम जो "प्राप्तकर्ता द्वारा" का उपयोग करता है-प्राप्तकर्ता में आयातक भी शामिल है-इसके अलावा,धारा 5 (4) स्पष्ट करती है कि यह पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को प्राप्तकर्ता के रूप में नामित कर सकता है, जिससे एस के दायरे का विस्तार हो सकता है।2(93) सी. जी. एस. टी. अधिनियम, ए

जी.

एच.

303

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

जो वैसे भी एस के बाद से एक समावेशी परिभाषा है।2 "जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो" के साथ प्रस्तुत किया जाता है-यह तय किया गया कानून है कि शक्ति के स्रोत का गैर-संदर्भ किसी मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में इसके प्रयोग और अनुप्रयोग को दूषित नहीं कर सकता है।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 -धारा 5 (3), 13 (9)-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 -धारा 2 (93) (सी)-क्या सी. आई. एफ. के आधार पर माल का आयात भी काल्पनिक रूप से शिपिंग सेवाओं का आयात होगा-आयोजितःआई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) केंद्र सरकार को प्राप्तकर्ता का गठन करने वाले की तुलना में एक काल्पनिक धारणा बनाने की शक्तियां प्रदान नहीं करती है-यह केवल केंद्र सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की कुछ श्रेणियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जहां ऐसी सेवाओं का प्राप्तकर्ता कर के सामान्य तरीके के विपरीत, एक विपरीत शुल्क के अधीन है, जहां सेवा के आपूर्तिकर्ता से अग्रिम शुल्क के आधार पर शुल्क लिया जाता है-हालांकि,आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) आर/डब्ल्यू. एस.2(93)(ग) सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से माल के आयातक को प्रेषण सेवा का प्राप्तकर्ता माना जाता है।

ग

डी.

भारत का संविधान-"अनुशंसाएँ"-अनुच्छेद 3,109,111,113,117,203,207,255 और 274; अनुच्छेद 233; अनुच्छेद 243I, 243Y, 280,281,338,338B और 340; अनुच्छेद 263; अनुच्छेद 270,275,344,349 और 371A-प्रकृति और प्रासंगिक अर्थ-चर्चा की गई।भारत का संविधान-संसद और राज्य विधानसभाओं को एक साथ विधायी शक्ति प्रदान करने के संदर्भ में जी. एस. टी. परिषद की संवैधानिक भूमिका और कार्यों पर चर्चा की गई।भारत का संविधान-संविधान (एक सौ पहला संशोधन अधिनियम) 2016-अनुच्छेद 246 ए, 279 ए-आयोजितःजी. एस. टी. परिषद न केवल सहकारी

संघवाद के अभ्यास के लिए बल्कि दलगत आधार पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए भी एक मार्ग है-इस प्रकार, जी. एस. टी. परिषद में चर्चा संघवाद और लोकतंत्र दोनों को प्रभावित करती है-संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का संवैधानिक डिजाइन स्वतः सामान्य है क्योंकि यह संघवाद की अनूठी विशेषताओं का परिचय देता है-अनुच्छेद 246 ए जी. एस. टी. पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति प्रदान करके केंद्र और राज्यों को समान इकाइयों के रूप में मानता है-जी. एस. टी. परिषद का गठन करने में अनुच्छेद 279 ए यह कल्पना करता है कि न तो केंद्र और न ही राज्य दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।

ई.

च

जी.

भारत का संविधान-जी. एस. टी. कानून-आवश्यक विधायी कार्य-अत्यधिक प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो-संविधान (एक

एच.

एक सौ पहला संशोधन अधिनियम) 2016-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, अधिनियम 2017-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, अधिनियम 2017-क्या विवादित अधिसूचनाएं अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर आई. जी. एस. टी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं-आयोजितःविधानमंडल को अपने आवश्यक विधायी कार्यों को करने की आवश्यकता होती है-एक बार विधानमंडल द्वारा नीति की बुनियादी संरचना तैयार हो जाने के बाद, विवरण प्रत्यायोजित विधानों के माध्यम से सामने आ सकते हैं-विधानमंडल अपने 'आवश्यक विधायी कार्यों' को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है-जी. एस. टी. कानून के संबंध में आवश्यक विधायी कार्य कर, कर की विषय वस्तु, कर योग्य व्यक्ति, कराधान की दर और कराधान के उद्देश्य के लिए मूल्य हैं-कराधान के इन आवश्यक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत आई. जी. एस. टी. अधिनियम में पाए जाते हैं-आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. दोनों अधिनियम स्पष्ट रूप से रिवर्स चार्ज, प्राप्तकर्ता और कर योग्य व्यक्तियों को परिभाषित करते हैं-इस प्रकार, आवश्यक विधायी कार्यों और रिवर्स चार्ज को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है।

ग

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, अधिनियम 2017-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, अधिनियम 2017-एस. एस.2(30) और 8-लेन-देन के 'सेवा' पहलू पर आई. जी. एस. टी. लगाने की मांग करने वाला विवादित शुल्क, यदि 'समग्र आपूर्ति' के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए शामिल किया गया है।एस 2 (30) आर/डब्ल्यू एस।8 सी. जी. एस. टी. अधिनियम-आयोजितःहां-चूंकि भारतीय आयातक सी. आई. एफ. अनुबंध में वस्तुओं की आपूर्ति और परिवहन, बीमा आदि सेवाओं की आपूर्ति सहित 'समग्र आपूर्ति' पर आई. जी. एस. टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए शिपिंग लाइन द्वारा 'सेवाओं की आपूर्ति' के लिए भारतीय आयातक पर एक अलग शुल्क एस. का उल्लंघन होगा।8 सी. जी. एस. टी. अधिनियम-दोहरा कराधान।

डी.

ई.

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 -धारा 2 (93) (सी)-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 -एस. 13 (9)-आयोजितःअपीलार्थी के मामले का समर्थन करने वाला एकमात्र तर्क एस का है।13(9) आई. जी. एस. टी. अधिनियम आर/डब्ल्यू. एस.2(93)(ग) सी. जी. एस. टी. अधिनियम जो "प्राप्तकर्ता" को परिभाषित करता है -आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) सेवा की आपूर्ति के स्थान को माल का गंतव्य मानती है जब उन्हें डाक या कूरियर के अलावा अन्य माध्यमों से ले जाया जाता है-आयातकों के लिए कोई विशिष्ट छूट नहीं दी गई है-इस तर्क को स्वीकार किया जाता है और एस में प्राप्तकर्ता की परिभाषा में पढ़ा जाता है।2(93) सी. जी. एस. टी. अधिनियम।

च

जी.

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 -धारा 24 (iii)-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017।5(3), (4) – आयोजित किया गयाःव्यक्तियों को नामित करने की केंद्र सरकार की शक्ति और ए

एच.

305

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

रिवर्स चार्ज के लिए आपूर्ति की श्रेणियां एस. एस. से प्राप्त होती हैं।5(3) और आई. जी. एस. टी. अधिनियम के 5 (4) और एस.24(iii) सी. जी. एस. टी. अधिनियम जो कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एक तार्किक परिणाम के रूप में अनिवार्य पंजीकरण को अनिवार्य करता है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 -धारा 2 (93)-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 -धारा 5 (3)-आयोजितःएस में चिन्हित वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों की तुलना में "प्राप्तकर्ता द्वारा" शब्द की व्याख्या करना।5(3) आई. जी. एस. टी. अधिनियम को अनिवार्य रूप से "प्राप्तकर्ता" की परिभाषा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।2(93) सी. जी. एस. टी. अधिनियम।

ग

विधानों की व्याख्या-विधायी इतिहास, संसदीय बहस, समिति की रिपोर्ट-आयोजितःहालांकि कानूनों की व्याख्या का पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि किसी कानून की व्याख्या करने में विधायी इतिहास का आसानी से उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इस विषय पर सोचने की आधुनिक प्रवृत्ति ने अदालतों को उपयोग किए गए शब्दों के पूर्ण उद्देश्य को समझने के लिए एक कानून के इतिहास पर गौर करने में सक्षम बनाया है और कानून द्वारा दूर की जाने वाली शरारत-भारत का संविधान-अनुच्छेद 246 ए, 279 ए-संविधान (एक सौ पहला संशोधन अधिनियम) 2016-केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017-एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017।

डी.

शब्द और वाक्यांशः

ई.

“अनुशंसाएँ-भारत का संविधान-आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की व्याख्या।

च

‘सहकारी संघवाद ';' दोहरा संघवाद ';' राजकोषीय संघवाद '-चर्चा की गई।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** हालांकि कानूनों की व्याख्या का पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि किसी कानून की व्याख्या करने में विधायी इतिहास का आसानी से उपयोग नहीं किया जाता है**,** इस विषय पर सोचने की आधुनिक प्रवृत्ति ने अदालतों को उपयोग किए गए शब्दों के पूर्ण उद्देश्य को समझने के लिए एक कानून के इतिहास पर गौर करने में सक्षम बनाया है और कानून द्वारा सुधार की मांग की गई है।**[**पैरा **42] [386-**एच**; 387-**ए**]**

जी.

एच.

2.1 जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों की प्रकृति अनुच्छेद **246** ए संसद और राज्य विधानमंडलों को जी. एस. टी. पर एक अद्वितीय, एक साथ कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी संदर्भ में जी. एस. टी. परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें सर्वसम्मत निर्णय पर आधारित नहीं हैं, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत पर आधारित हैं, जहां संघ का वोट एक-तिहाई के रूप में गिना जाता है, जबकि राज्यों के वोटों का कुल डाले गए वोटों का दो-तिहाई भार होता है।जी. एस. टी. परिषद में मतदान प्रणाली के दो महत्वपूर्ण गुण हैं।पहला, जी. एस. टी. परिषद में एक असमान मतदान संरचना है, जहां राज्यों का सामूहिक रूप से दो-तिहाई मतदान हिस्सा है और संघ का एक-तिहाई मतदान हिस्सा है; और दूसरा, चूंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, इसलिए यह संभव है कि केंद्र में सत्ता में पार्टी विभिन्न राज्यों में सत्ता में हो या न हो।इसलिए, जी. एस. टी. परिषद न केवल सहकारी संघवाद के अभ्यास के लिए बल्कि दलगत आधार पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए भी एक मार्ग है।इस प्रकार, जी. एस. टी. परिषद में चर्चा संघवाद और लोकतंत्र दोनों को प्रभावित करती है।संविधान संशोधन अधिनियम **2016** का संवैधानिक डिजाइन सुई जेनरिस है क्योंकि यह संघवाद की अनूठी विशेषताओं का परिचय देता है।अनुच्छेद **246** ए जी. एस. टी. पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति प्रदान करके केंद्र और राज्यों को समान इकाइयों के रूप में मानता है। जी. एस. टी. परिषद के गठन में अनुच्छेद **279** ए में कहा गया है कि न तो केंद्र और न ही राज्य दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।**[**पैरा **46] [390-**डी-एच**; 391-**ए**]**

ग

डी.

ई.

के. पी. वर्गीज बनाम आईटीओ (1981) 4 एससीसी 173:[1982] 1 एससीआर

629; कल्पना मेहता बनाम भारत संघ **(2017) 7** एससीसी

च

295 – पर भरोसा किया।

2.2 भारतीय संविधान को कभी-कभी अर्ध-संघीय या 'केंद्रीकरण प्रवाह' के साथ एक संविधान के रूप में वर्णित किया गया है।ऐसा इसलिए है क्योंकि जब संविधान को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो संघ को शक्ति का एक बड़ा हिस्सा दिया जाता है। इस केंद्रीकरण प्रवाह के उदाहरण अनुच्छेद **254,248** और **353** में देखे जा सकते हैं।हालाँकि, अनुच्छेद **246** ए जैसे उदाहरण हैं, जहाँ केंद्र और राज्यों को समान शक्ति प्रदान की गई है।केवल इसलिए कि संविधान के कुछ प्रावधान संघ को शक्ति का अधिक हिस्सा प्रदान करते हैं, जिन प्रावधानों में संघीय इकाइयों के पास समान शक्ति होने की परिकल्पना की गई है, उन्हें संघ के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

जी.

एच.

307

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

क.

केंद्र और राज्यों के पास एक साथ जी. एस. टी. पर कानून बनाने की शक्ति है। जी. एस. टी. परिषद के पास जी. एस. टी. से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सिफारिशें करने की शक्ति है। चूंकि संविधान में जी. एस. टी. पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए एक प्रतिकूल प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है, इसलिए जी. एस. टी. परिषद को सहयोग और सहयोग के माध्यम से एक व्यवहार्य राजकोषीय मॉडल तक पहुंचने के लिए अनुच्छेद **279** ए **(6)** द्वारा प्रदान किए गए सामंजस्यपूर्ण तरीके से आदर्श रूप से कार्य करना चाहिए।**[**पैरा **48] [392-**बी-ई**]**

2.3 भारतीय संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक 'राजकोषीय संघवाद' है।**2014** के संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ने पर, संसदीय रिपोर्टों और भाषणों से संकेत मिलता है कि अनुच्छेद **246** ए और **279** ए को राज्यों और केंद्र के बीच सहकारी संघवाद और सद्भाव बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया गया था।हालांकि, जी. एस. टी. परिषद में केंद्र का एक तिहाई वोट शेयर है।यह अनुच्छेद **246** ए में प्रतिकूल प्रावधान की अनुपस्थिति के साथ जोड़ा गया है जो इंगित करता है कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हो सकती हैं।इस तरह की व्याख्या जी. एस. टी. व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य के विपरीत होगी और भारतीय संघवाद के ठीक संतुलन को भी हटा देगी।इसलिए, यह तर्क कि यदि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, तो जी. एस. टी. की पूरी संरचना ध्वस्त हो जाएगी, इसमें कोई दम नहीं है।संविधान के प्रावधानों को इस तरह पढ़ने से विचारों के सहयोग और विरोध द्वारा निर्णयों पर पहुंचने के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय के रूप में जी. एस. टी. परिषद की भूमिका कम हो जाती है।**[**पैरा **51] [393-**जी**-**एच**; 394-**ए**-**सी**]**

ग

डी.

ई.

च

2.4 'सिफारिशों' का प्रासंगिक अर्थ

जी. एस. टी. परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है, को जी. एस. टी. से संबंधित क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सिफारिशें करने का कर्तव्य सौंपा गया है। जी. एस. टी. परिषद के पास अनुच्छेद **279** ए **(4) (**एच**)** के तहत पूर्ण शक्तियां हैं जहां वह जी. एस. टी. से संबंधित 'किसी भी अन्य मामले' पर सिफारिशें कर सकती है जैसा कि परिषद तय कर सकती है। जी. एस. टी. परिषद को अनुच्छेद **279** ए के खंड **6** में दिए गए प्रावधान के अनुसार संघीय इकाइयों के बीच सामंजस्यपूर्ण विचार-विमर्श के माध्यम से अपनी सिफारिशों पर पहुंचना होगा। संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत जो यह प्रावधान करते हैं कि सिफारिशें की जाएंगी।

जी.

एच.

राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, अनुच्छेद **279** ए में कहा गया है कि सिफारिशें 'संघ और राज्यों' को की जाएंगी।अनुच्छेद **279** ए के तहत की गई जी. एस. टी. परिषद की सिफारिश गैर-योग्य है।अर्थात्, इस तरह की सिफारिश के मूल्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है।फिर भी यह धारणा कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें अनुच्छेद **246** ए के तहत अपने आप में और अपने आप में कानून में बदल जाती हैं, बहुत दूर की बात होगी।यदि जी. एस. टी. परिषद का उद्देश्य एक निर्णय लेने वाला प्राधिकरण होना था, जिसकी सिफारिशें कानून में बदल जाती हैं, तो ऐसी योग्यता को अनुच्छेद **246** ए या **279** ए में शामिल किया जाता। न तो अनुच्छेद **279** ए एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होता है और न ही अनुच्छेद **246** ए यह प्रदान करता है कि विधायी शक्ति अनुच्छेद **279** ए के अधीन है। यदि जी. एस. टी. परिषद का उद्देश्य एक संवैधानिक निकाय होना था जिसकी सिफारिशें किसी भी हस्तक्षेपकारी अधिनियम के बिना कानून में परिवर्तित हो जाती हैं, तो अनुच्छेद **246** ए में एक स्पष्ट प्रावधान होता। अनुच्छेद **279** ए अनुशंसाओं को विधायिका में श्रेणी **3** के प्रावधानों की तरह पेश करने का आदेश नहीं देता है, जहां अनुशंसाओं को एक व्याख्यात्मक नोट के साथ विधायिका में अनिवार्य रूप से पेश किया जाना है।केवल सी. जी. एस. टी. अधिनियम **79** और आई. जी. एस. टी. अधिनियम **80** के प्रावधानों के तहत परिषद की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए द्वितीयक कानून को संसद के सदनों के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।'केंद्र या राज्यों के लिए सिफारिशें' वाक्यांश का उपयोग इंगित करता है कि जी. एस. टी. परिषद जी. एस. टी. पर कानून बनाने में सरकार की सहायता करने वाली एक संस्तुति निकाय है। **[**पारस **54** और **56] [396-**एच**; 397-**ए**-**डी**,** जी**-**एच**; 398-**ए**-**बी**]**

ग

डी.

ई.

नारायणदास इंदुरख्या बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(1974) 4 एससीसी **788:[1974] 3** एस. सी. आर. **624-**अनुसरण किया गया।

च

मनोहर बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2012) 13** एससीसी **14:**

[2012] 12 एससीआर **850-**पर निर्भर था।

2.5 आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों की तुलना में 'सिफारिश' की व्याख्या

जी.

आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधान जो यह प्रावधान करते हैं कि केंद्र सरकार को जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर कार्य करना है, उनकी व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य के संदर्भ में की जानी चाहिए, जो एक समान कराधान प्रणाली बनाना है।जी. एस. टी. को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि विभिन्न राज्यों में ए.

एच.

309

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

इससे पहले अलग-अलग कर स्लैब और अलग-अलग छूट दी जाती थी।जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं जब वह समान कराधान प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए द्वितीयक कानून को अधिसूचित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करती है।अनुच्छेद **279** ए के तहत परिषद के पास जी. एस. टी. से संबंधित मामलों पर व्यापक सिफारिश करने की शक्तियां हैं, जहां उसके पास आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियम बनाने की शक्ति के दायरे से बाहर आने वाले विषयों पर सिफारिश करने की शक्ति है। केवल इसलिए कि जी. एस. टी. परिषद की कुछ सिफारिशें सी. जी. एस. टी. अधिनियम और आई. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि जी. एस. टी. परिषद की सभी सिफारिशें बाध्यकारी हैं।**[**पैरा **59] [400-**डी-एच; **401-**ए**]**

ग

3.1 आई. जी. एस. टी. अधिनियम के सांविधिक प्रावधान और योजना आई. जी. एस. टी. अधिनियम केंद्र सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर आई. जी. एस. टी. लगाने में सक्षम बनाता है।आई. जी. एस. टी. के लेवी और संग्रह में सहायता करने के लिए, आई. जी. एस. टी. अधिनियम आपूर्ति की प्रकृति, आपूर्ति के समय और आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक योजना प्रदान करता है।सांविधिक व्याख्या यह निर्धारित करेगी कि क्या आई. जी. एस. टी. अधिनियम केंद्र सरकार को, जी. एस. टी. परिषद के परामर्श से, आई. जी. एस. टी. की धारा **5 (3)** के तहत सेवाओं की आपूर्ति के रूप में आयात को नामित करने की शक्तियां प्रदान करता है और क्या आयातक को ऐसी आपूर्ति का प्राप्तकर्ता माना जा सकता है, जो रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।इसके अलावा, यह निर्धारित करेगा कि क्या केंद्र सरकार के पास, जी. एस. टी. परिषद के परामर्श से, आई. जी. एस. टी. अधिनियम के **5 (4)** के तहत किसी सेवा के प्राप्तकर्ता के रूप में आयातक को नामित करने की शक्तियां हैं, जब माल सी. आई. एफ. आधार पर आयात किया जाता है।इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन सी. आई. एफ. अनुबंधों में शिपिंग की सेवा का लाभ गैर-कर योग्य निर्यातक द्वारा लिया जाता है जो आयातक की भागीदारी के बिना अपनी पसंद की विदेशी शिपिंग लाइन को

संलग्न करता है और भुगतान करता है।इसके विपरीत, एफओबी अनुबंधों में, भारतीय आयातक शिपिंग की सेवाओं के लिए भुगतान करता है और सीधे शिपिंग लाइन के साथ सौदा करता है।यहाँ उत्तरदाता सी. आई. एफ. आधार पर गैर-कोकिंग कोयले के आयातक हैं।[पारस **61** और **62] [401-**सी-जी**]**

डी.

ई.

च

जी.

एच.

3.2 क्या विवादित अधिसूचनाएँ अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त हैं**?**

अनुच्छेद **286 (1)** में कहा गया है कि जब वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति राज्य के बाहर होती है या भारत के क्षेत्र से वस्तुओं या सेवाओं के आयात या निर्यात के दौरान होती है तो राज्य कर नहीं लगाएगा।अनुच्छेद **286** के खंड **(2)** में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है कि खंड **(1)** द्वारा निर्धारित वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कब होती है।अनुच्छेद **269** ए में प्रावधान है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर जी. एस. टी. केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा।केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन का तरीका संसद द्वारा जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर प्रदान किया जाना है।अनुच्छेद **269** ए **(1)** के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि आयात के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति माना जाएगा।खंड **(5)** में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने और अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कब होती है, इसके लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है।अनुच्छेद **269** ए में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा निम्नलिखित निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती हैः**(**क**)** आपूर्ति का स्थान और**; (**ख**)** जब वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।अनुच्छेद **286 (1)** संसद को यह निर्धारित करने के लिए कानून द्वारा सिद्धांत तैयार करने का अधिकार देता है कि **(**ए**)** राज्य के बाहर और **(**बी**)** भारत के क्षेत्र के बाहर आयात या निर्यात के दौरान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति कब होती है।संसद ने अनुच्छेद **269** ए और **286 (1)** के तहत आवश्यक सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए आई. जी. एस. टी. अधिनियम लागू किया।आई. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधान कर के उद्ग्रहण और संग्रह **(**धारा **5 (1)),** वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात **(**धारा **2 (5)** और **2 (6)),** वस्तुओं और सेवाओं के आयात **(**धारा **2 (10)** और **2 (11)),** सेवाओं के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के स्थान की पहचान **(**धारा **2 (14)** और **2 (15)),** अंतर-राज्य आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण **(**धारा **7),** क्षेत्रीय जल में आपूर्ति **(**धारा **9),** भारत में आयात और भारत से निर्यात के संबंध में आपूर्ति का स्थान **(**धारा **11),** और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में और भारत के बाहर है **(**धारा **12** और **13)** से संबंधित हैं।[पारस **80-82] [412-F-G; 413-B-D, H; 414-A-C] A**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

3.3 विधायिका को अपने आवश्यक विधायी कार्यों को पूरा करना आवश्यक है।एक बार जब विधायिका द्वारा नीति की मूलभूत संरचना तैयार की जाती है, तो प्रत्यायोजित विधानों के माध्यम से विवरण सामने आ सकते हैं।यह एक तय स्थिति है कि विधायिका अपने 'आवश्यक विधायी कार्यों' को सौंप नहीं सकती है।**87** जी. एस. टी. कानून के संबंध में आवश्यक विधायी कार्य कर का उद्ग्रहण, कर का विषय, कर योग्य व्यक्ति, कराधान की दर और कराधान के उद्देश्य के लिए मूल्य हैं।कराधान के इन आवश्यक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत आई. जी. एस. टी. अधिनियम में पाए जाते हैंःधारा **5 (1)** कराधान के विषय को वस्तुओं, सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्यीय आपूर्ति के रूप में पहचानती है; सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (107)** एक कर योग्य व्यक्ति की पहचान करती है; धारा **5 (1)** कराधान की दर के रूप में अधिकतम **40** प्रतिशत की सीमा प्रदान करती है; और धारा **5 (1)** निर्धारित करती है कि कराधान का मूल्य सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **15** के तहत निर्धारित किया जाए। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (98)** "रिवर्स चार्ज" को आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करने के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के दायित्व के रूप में परिभाषित करती है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93)** "प्राप्तकर्ता" को तीन स्थितियों के संदर्भ में परिभाषित करती है **(i)** जब माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए प्रतिफल देय है; **(ii)** जब माल की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है; और **(iii)** जब सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है।पहली स्थिति में, प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा प्रतिफल देय होता है।दूसरी स्थिति में, प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे **(**ए**)** माल दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है; या **(**बी**)** माल का कब्जा या उपयोग दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम एक प्राप्तकर्ता के लिए रिवर्स चार्ज के आधार पर कर लगाने की दो गुना आवश्यकता भी निर्धारित करता है-प्राप्तकर्ता को सी. जी. एस. टी. की धारा **2 (84)** के तहत परिभाषित 'व्यक्ति' होना चाहिए; और व्यक्ति केवल तभी 'कर योग्य व्यक्ति' है जब वह पंजीकृत है या धारा **22** या धारा **24** के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **24 (iii)** में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, उन्हें पंजीकृत होना चाहिए। इसलिए, आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम दोनों ही रिवर्स चार्ज, प्राप्तकर्ता और कर योग्य व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं।इस प्रकार, आवश्यक विधायी कार्यों और विपरीत प्रभार को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (3)** सरकार को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है जिन पर प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाएगा।सरकार को इस शक्ति का प्रयोग करना है

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

जीएसटी परिषद की सिफारिश पर।सरकार ने आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (3)** के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विवादित अधिसूचना **10/2017** जारी की जिसमें 'आपूर्ति की श्रेणियों' को निर्दिष्ट किया गया है जो रिवर्स चार्ज के अधीन होगी।अधिसूचना में मानदंडों को निर्दिष्ट करने के अलावा, उन श्रेणियों में संबंधित प्राप्तकर्ता का भी उल्लेख किया गया है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम रिवर्स चार्ज को परिभाषित करते हैं और उन उद्देश्यों के लिए कर लगाने वाली इकाई को निर्धारित करते हैं।इसलिए, प्रत्येक श्रेणी में प्राप्तकर्ता की शर्त केवल

स्पष्टीकरणात्मक है।सरकार ने अधिसूचना द्वारा रिवर्स चार्ज के उद्देश्यों के लिए आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (3)** में निर्धारित कर योग्य इकाई से अलग एक कर योग्य इकाई को निर्दिष्ट नहीं किया है।**[**पारस **84-86] [414-E-G; 415-A-G]**

ग

3.4 प्रभार अनुभागः**कर** योग्य व्यक्ति**,** कर योग्य दर और मूल्य निर्धारित करने का तरीका

कर योग्य व्यक्ति

डी.

प्रत्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि आयातक को वैध रूप से कर योग्य व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है।हालाँकि**,** यह तर्क सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (107)** और **24** के साथ**-**साथ विवादित अधिसूचनाओं को बारीकी से पढ़ने में विफल होना चाहिए। सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **24 (iii)** रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों को सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने का आदेश देती है। सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (107)** एक "कर योग्य व्यक्ति" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **24** के तहत पंजीकृत है या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है। न तो सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (107)** और न ही सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **24** "सेवा प्राप्तकर्ता" पर रिवर्स शुल्क लगाने के योग्य है और मोटे तौर पर इसे "उन व्यक्तियों पर लागू करती है जिन्हें रिवर्स शुल्क के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।"चूंकि विवादित अधिसूचना **10/2017** आयातक की पहचान आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (3)** के तहत रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्राप्तकर्ता के रूप में करती है**,** इसलिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान करने में विफलता का तर्क नहीं है।विवादित अधिसूचना **10/2017** स्पष्ट रूप से एक कर योग्य व्यक्ति को निर्दिष्ट करती है जो क़ानून में परिकल्पित रिवर्स शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।इस प्रकार**,** कर योग्य व्यक्ति की पहचान करने में कथित विफलता के लिए विवादित अधिसूचनाओं को अमान्य नहीं किया जा सकता है।**[**पारस **91** और **92] [417-**सी**-**एफ**; 419-**सी**-**डी**]** ए

ई.

च

जी.

एच.

313

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

लघु उद्योग भारती बनाम भारत संघ **1999 (6)** एससीसी

418 :[1999] 3 एस**.** सी**.** आर**. 1199-**लागू नहीं होता है।

माथुरम अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य **1999**

(8) एससीसी **667:[1999] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 195-**अनुसरण किया गया।

गोबिंद सरन गंगा सरन बनाम बिक्री आयुक्त

कर ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1041:[1985] 3 एससीआर 985; सी. आई. टी. बनाम बी. सी. श्रीनिवास सेट्टी ए. आई. आर 1981 एस. सी. 972:[1981] 2 एस. सी. आर. 938-पर निर्भर।

कर योग्य मूल्य

8 जून **2016** के एक शुद्धिपत्र द्वारा**,** कर योग्य मूल्य का माप सी**.** आई**.** एफ**.** मूल्य का दस प्रतिशत शामिल करने के लिए अधिसूचना **8/2017** में संशोधन किया गया था।आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (1)** सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **15** के तहत कर योग्य मूल्य निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि मूल्य को सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **15 (1)** द्वारा सख्ती से निर्धारित किया जाना चाहिए न कि प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से।तथापि**,** धारा **15 (4)** और **15 (5)** प्रत्यायोजित विधान को जी**.** एस**.** टी**.** परिषद की सिफारिशों पर मूल्य निर्धारण के लिए विधियां निर्धारित करने में सक्षम बनाती हैं।सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** नियम **2017** के अध्याय **4** के नियम **27** से **31** तक आपूर्ति के मूल्य को निर्धारित करने का तरीका निर्धारित करते हैं।नियम **31** में मूल्यांकन के तरीके निर्धारित करने के लिए जी**.** एस**.** टी**.** परिषद को अवशिष्ट शक्तियों का भी प्रावधान है।उत्तरदाताओं ने आग्रह किया है कि आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण केवल नियमों के माध्यम से किया जाना चाहिए**,** न कि अधिसूचना द्वारा।हालाँकि**,** यह एक अनुचित प्रतिबंधात्मक व्याख्या होगी।संसद ने बुनियादी ढांचा प्रदान किया है और प्रत्यायोजित कानून एक व्यवहार्य तंत्र बनाने के लिए आवश्यक पूरक प्रदान करता है।सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** नियम **2017** का नियम **31** विशेष रूप से सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **15** के सिद्धांतों के अनुरूप उचित साधनों का उपयोग करके विशिष्ट मामलों में मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए एक अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। यही वह जगह है जहाँ वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** नियम **2017** के नियम **27** से **30** के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार**,** आक्षेपित अधिसूचना **8/2017** को रद्द नहीं किया जा सकता है जब यह रिवर्स चार्ज के आधार पर कर लगाने के लिए तंत्र के रूप में **CIF** मूल्य का **10** प्रतिशत निर्धारित करता है।**[**पारस **93** और **94] [419-**डी**-**एफ**; 420-**डी**-**एफ**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

4.1 कर योग्य घटनाःक्या वस्तुओं के आयात के लिए समुद्री माल ढुलाई लेनदेन आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (3)** के तहत सेवाओं की आपूर्ति की एक वैध श्रेणी है**?**

सी**.** आई**.** एफ**.** अनुबंधों के तहत वस्तुओं का आयात सेवा का एक वैध आयात है या नहीं**,** इसके विश्लेषण का जवाब दो पहलुओं पर दिया जाना चाहिए:**(i)** क्या आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (1)** के साथ पठित धारा **5 (3)** के तहत शिपिंग सेवा की आपूर्ति की एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में आयात का वर्गीकरण वैध है**;** और **(ii)** क्या आयातित माल का प्राप्तकर्ता भी धारा **5 (3)** के तहत सी**.** आई**.** एफ**.** लेनदेन में शिपिंग सेवाओं का प्राप्तकर्ता है।**[**पैरा **96] [421-**ए**-**बी**]**

ग

4.2 क्या सी**.** आई**.** एफ**.** आधार पर खरीदी गई आयातित वस्तुएं अंतर**-**राज्यीय आपूर्ति का गठन करती हैं या यह एक अतिरिक्त**-**क्षेत्रीय कर है**?**

सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **7** "आपूर्ति" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करती है और एक समावेशी परिभाषा प्रदान करती है।सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **7 (1) (**बी**)** सेवाओं के आयात को "आपूर्ति" के रूप में मानती है।

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **7 (1) (**सी**)** सी. जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची **1** में किसी भी और सभी गतिविधियों को शामिल करती है**,** चाहे वे विचार के लिए बनाई गई हों या नहीं।इसके अतिरिक्त**,** धारा **7 (3)** केंद्र सरकार को यह निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है कि किन लेनदेनों को वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए न कि सेवाओं की आपूर्ति के रूप में**,** और इसके विपरीत।आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **7 (4)** में कहा गया है कि भारत में आयातित सेवाओं की आपूर्ति को "अंतर**-**राज्यीय व्यापार या वाणिज्य" के दौरान सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।इस प्रकार**,** एक भारतीय आयातक को शिपिंग सेवा का आयातक भी माना जा सकता है जो अंतर**-**राज्यीय आपूर्ति पर आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** के लिए उत्तरदायी है**,** यदि गतिविधि आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम और सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम के लिए "सेवा के आयात" की परिभाषा के भीतर आती है। आयातक शब्द को आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम या सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। 'वस्तुओं का आयात' शब्द को सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (10)** में परिभाषित किया गया है। "सेवाओं के आयात" को सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (11)** में परिभाषित किया गया है। "सेवा के आयात" के लिए शर्तों में तीन पहलू शामिल होंगेः**(i)** सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत से बाहर स्थित होना चाहिए**; (ii)** सेवा का प्राप्तकर्ता भारत में स्थित होना चाहिए**;** और **(iii)** सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत में होना चाहिए। **[**पारस **101** और **102] [423-**जी**-**एच**; 424-**ए**-**बी**,** एफ**-**जी**]** ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

315

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

4.3 आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम के अध्याय **5** में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली का प्रावधान है।आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **13** सेवाओं की आपूर्ति का स्थान प्रदान करती है जहाँ आपूर्तिकर्ता का स्थान या प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर है।आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **13 (9)** एक काल्पनिक कल्पना पैदा करती प्रतीत होती है**,** जहां भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता द्वारा माल के परिवहन की सेवाओं की आपूर्ति के मामले में**,** आपूर्ति का स्थान ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा।आपूर्तिकर्ता**,** विदेशी शिपिंग लाइन**,** इस मामले में एक गैर**-**कर योग्य व्यक्ति होगा।हालांकि**,** माल के परिवहन के लिए एक सी**.** आई**.** एफ**.** अनुबंध में इसकी सेवाएं ऐसी वस्तुओं के गंतव्य के रूप में भारतीय कर योग्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगी।इस प्रकार विदेशी नौवहन लाइन द्वारा नौवहन सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत होगा।**[**पैरा **103] [425-**ए**-**बी**,** एफ**-**जी**] 4.4** उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि चूंकि सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **7 (1) (**बी**)** अनुसूची **1** में निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा**,** विचार किए बिना सेवा के आयात की "आपूर्ति" को परिभाषित नहीं करती है**,** इसलिए यह सी**.** आई**.** एफ**.** अनुबंध वाले आयातकों पर लागू नहीं होगा क्योंकि निर्यातक द्वारा प्रतिफल का भुगतान किया जाता है।इस प्रकार**,** माल के आयातक को शिपिंग सेवा का आयातक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बाद वाला सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **7 (1) (**बी**)** के तहत विचार के लिए सेवा का आयात नहीं है। हालाँकि**,** यह तर्क कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं से चूक जाता है।'आपूर्ति' शब्द को सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम के संदर्भ में आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार**,** धारा **2 (11) (iii)** के तहत "सेवाओं के आयात" के लिए तीन शर्तों को सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** और आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए**,** जिसमें आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **13 (9)** के तहत आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के प्रावधान शामिल हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है**,** आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **13 (9)** परिवहन सेवाओं की आपूर्ति का स्थान भारत में होने की एक काल्पनिक कल्पना पैदा करती है जब माल का गंतव्य भारत में होता है।इस मामले में**,** यह स्पष्ट है कि सेवा का आपूर्तिकर्ता**-**विदेशी शिपिंग लाइन**-**भारत के बाहर स्थित है और आपूर्ति का स्थान भारत है।तदनुसार**,** ऐसी आपूर्ति का समय निर्धारित करने के लिए सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **13** लागू होगी।**[**पैरा **104] [425-**जी**-**एच**; 426-**ए**-**सी**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

4.5 उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि समुद्री माल ढुलाई लेनदेन को "आपूर्ति" के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **7 (1) (**बी**)** में सेवा के आयात की आवश्यकता होती है।

एच.

316 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

"विचार करें "।सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (31)** में "विचार" की परिभाषा शिक्षाप्रद है।सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (31)** 'प्रतिफल' को परिभाषित करती है जिसमें प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के प्रलोभन के लिए धन या किसी अन्य रूप में किया गया या किया जाना है।इस प्रकार**,** सी**.** आई**.** एफ**.** आधार पर आयातित वस्तुओं के मामले में**,** यह तथ्य कि विदेशी निर्यातक द्वारा विदेशी शिपिंग लाइन को भुगतान किया जाता है**,** इसे आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **7 (4)** के तहत "सेवा की आपूर्ति" के रूप में नहीं माना जाएगा**,** जो एक विचार के लिए बनाया गया है**,** जिससे अंतर**-**राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान "सेवा की आपूर्ति" का गठन होता है जो आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (1)** के तहत आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** के अधीन हो सकता है। **[**पैरा **105] [426-**डी**; 427-**ए**-**सी**]**

ग

4.6 जी**.** वी**.** के**.** इंडस्ट्रीज में निर्णय स्पष्ट रूप से अतिरिक्त**-**क्षेत्रीय रूप से होने वाली घटनाओं पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को मान्यता देता है।न्यायालय द्वारा लगाई गई एकमात्र आवश्यकता यह है कि इस तरह की घटना का भारत के साथ वास्तविक संबंध होना चाहिए।भारत में माल आयात करने के लिए विदेशी निर्यातक को शिपिंग लाइन द्वारा परिवहन सेवा की आपूर्ति पर विवादित शुल्क का दो गुना संबंध है:पहला**,** माल का गंतव्य भारत है और इस प्रकार**,** क्षेत्र के बाहर होने वाली घटना के साथ एक स्पष्ट क्षेत्रीय संबंध स्थापित किया जाता है**;** और दूसरा**,** भारतीय आयातक के लाभ के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं।इस प्रकार**,** लेन**-**देन का भारत के क्षेत्र के साथ संबंध है।आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम धारा **13 (9)** के तहत सेवाओं की आपूर्ति के स्थान को माल के गंतव्य के रूप में मान्यता देता है जब आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित होता है।चूंकि वस्तुओं का गंतव्य भारत है**,** इसलिए कानून अपने आप में एक कर योग्य घटना को कवर करने के लिए काफी व्यापक है जिसमें अतिरिक्त**-**क्षेत्रीय पहलू हैं**,** जो भारत के साथ एक संबंध रखता है।**[**पारस **108** और **109] [107,108** और **109]**

डी.

ई.

च

जीवीके इंडस्ट्रीज बनाम आयकर अधिकारी **[2011] 4** एससीसी

36 :[2011] 3 एस**.** सी**.** आर**. 366-**अनुसरण किया गया।

जी.

4.7 क्या आयातक सेवा प्राप्तकर्ता सी**.** आई**.** एफ**.** अनुबंधों के अंतर्गत आते हैं**?**आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (3)** विपरीत शुल्क के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों के प्राप्तकर्ताओं के कराधान को सक्षम बनाती है। यह ध्यान रखना उचित है कि कर ऐसी सेवाओं के "प्राप्तकर्ता द्वारा" देय है**,** जो व्यापक भाषा जैसे "कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित किया जा सकता है" के विपरीत है।

एच.

317

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

क.

जिसका उपयोग वित्त अधिनियम **1994** की धारा **98 (2)** में किया गया था जो सेवाओं पर कर लगाती थी।सेवा की आपूर्ति के "प्राप्तकर्ता" शब्द को सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (93)** द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। इस प्रकार**,** सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (93) (**ए**)** में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि जब सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय होता है**,** तो प्राप्तकर्ता का अर्थ वह व्यक्ति होगा जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।हालाँकि**,** जब किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होता है**,** तो धारा **2 (93) (**सी**)** में कहा गया है कि प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होगा जिसे सेवा प्रदान की जाती है।इसके अलावा**,** धारा **2 (93)** में प्रावधान है कि "जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है**,** उसके बारे में किसी भी संदर्भ को प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।"इसलिए**,** जहां कानून किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसे आपूर्ति की जाती है**,** तो इसे सेवा प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए।रिवर्स चार्ज के लिए व्यक्तियों और आपूर्ति की श्रेणियों को नामित करने की केंद्र सरकार की शक्ति आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (3)** और **5 (4)** से प्राप्त होती है न कि सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **24 (3)** से जो कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण को एक तार्किक परिणाम के रूप में अनिवार्य करती है।सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (98),** जो "रिवर्स चार्ज" को परिभाषित करती है**,** दोहराती है कि इसका अर्थ है "आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने का दायित्व"।इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि रिवर्स चार्ज के भुगतान के लिए पहचाना गया कोई भी कर योग्य व्यक्ति स्वचालित रूप से ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का प्राप्तकर्ता बन जाएगा।आयातक के साथ प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करने की काल्पनिक कल्पना आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम में पाई जानी चाहिए। जैसा कि वर्तमान में है**,** आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (3)** प्रत्यायोजित कानून को केवल वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणियों पर एक काल्पनिक कल्पना बनाने में सक्षम बनाती है।आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (3)** में चिन्हित वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों की तुलना में "प्राप्तकर्ता द्वारा" शब्द की व्याख्या अनिवार्य रूप से सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (93)** के तहत "प्राप्तकर्ता" की परिभाषा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। केंद्र सरकार के तर्कों के विपरीत**,** इस तरह की व्याख्या सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **24 (iii)** के तहत अनिवार्य पंजीकरण के जनादेश को समाप्त नहीं करेगी। यह सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** या आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों पर लागू होगा जो केंद्र सरकार को उलट शुल्क के लिए कर योग्य व्यक्ति की पहचान करने की अनुमति देते हैं।किसी भी स्थिति में**,** यह धारा **5 (3)** के तहत रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी सभी प्राप्तकर्ताओं पर लागू होगा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

और आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (4)**। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **24 (iii)** के तहत कर संग्रह तंत्र की अप्रभावीता को किसी वस्तु या सेवा के "प्राप्तकर्ता" की अवधारणा को अस्पष्ट करने के लिए तर्क नहीं दिया जा सकता है जिसे आई. जी. एस. टी. अधिनियम, सी. जी. एस. टी. अधिनियम और कर न्यायशास्त्र में समान रूप से समझा जाता है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (3)** में "प्राप्तकर्ता द्वारा" अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए सिफारिशें करने में जी. एस. टी. परिषद के अधिकार को बाधित नहीं करती है जो रिवर्स चार्ज द्वारा शासित होंगे और एक बार पहचान पूरी हो जाने के बाद, ऐसे कर योग्य व्यक्ति की व्याख्या स्वचालित रूप से "प्राप्तकर्ता" के रूप में की जाएगी।इस तर्क के लिए न्यायालय को किसी सेवा के प्राप्तकर्ता को निर्धारित करने के सिद्धांतों को पूरी तरह से त्यागना होगा और इसे किसी भी कर योग्य व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित करना होगा।अपीलार्थी इस मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए इस तरह की व्याख्या के लिए बहस कर सकता है।हालाँकि, अंतर-राज्यीय आपूर्ति के मामलों में जब आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता भारत के क्षेत्र के भीतर होते हैं, तो इस न्यायालय को इस कृत्रिम रूप से विभाजित व्याख्या का पालन करना होगा जो कुछ मामलों में सेवा और आपूर्ति की प्रकृति की तुलना में प्राप्तकर्ताओं की पहचान करता है, और प्राप्तकर्ता की शाब्दिक और प्रासंगिक परिभाषा पर विचार किए बिना दूसरों में पहचाने गए कर योग्य व्यक्ति के सरल समीकरण द्वारा।यह व्याख्या के तय किए गए नियमों के खिलाफ है और न्यायिक कानून का एक कार्य होगा।यदि संसद का इरादा कुछ व्यक्तियों को रिवर्स चार्ज के लिए नामित करना था, चाहे वे ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्तकर्ता हों, तो उसे प्रत्यायोजित कानून के प्रयोग के लिए ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त संशोधन करना चाहिए।**[**पैरा **112,115-117] [429-H; 430-A-B, G-H; 431-A-H; 432-A-H; 433-A-B]**

ग

डी.

ई.

च

4.8 अपीलार्थी के मामले का समर्थन करने वाला एकमात्र तर्क आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **13 (9)** का है जिसे सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93) (**सी**)** के साथ पढ़ा जाता है जो "प्राप्तकर्ता" को परिभाषित करता है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **13 (9)** सेवा की आपूर्ति के स्थान को माल का गंतव्य मानती है जब उन्हें डाक या कूरियर के अलावा अन्य माध्यमों से ले जाया जाता है।आयातकों के लिए कोई विशिष्ट छूट नहीं दी गई है।यह न्यायालय इस तर्क को स्वीकार करने और इसे सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93)** में प्राप्तकर्ता की परिभाषा में पढ़ने के लिए इच्छुक है। चूँकि एक व्यक्ति का संदर्भ जिसे आपूर्ति की जाती है, प्राप्तकर्ता का संदर्भ है, इसलिए आपूर्ति का स्थान महत्वपूर्ण है।ए की धारा **13 (9)** के आधार पर

जी.

एच.

319

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

आई. जी. एस. टी. अधिनियम, आपूर्ति का स्थान माल का गंतव्य है।आपूर्ति का समय तब सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **13** के प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (14)** और **2 (15)** भी उस भौतिक स्थान के संबंध में सेवाओं के प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता के स्थान को परिभाषित करती है जहां सेवाओं की आपूर्ति की जाती है या प्राप्त की जाती है।ऐसे परिदृश्य में, जब सेवाओं की आपूर्ति के स्थान को आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **13 (9)** के तहत माल का गंतव्य माना जाता है, तो सेवाओं की आपूर्ति अनिवार्य रूप से भारतीय आयातक को "की जाएगी", जिसे तब सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93) (**सी**)** की परिभाषा के तहत "प्राप्तकर्ता" माना जाएगा। इस प्रकार आपूर्ति को भारतीय आयातक को "किया गया" माना जा सकता है जो सी. जी. एस.

टी. अधिनियम की धारा **2 (93) (**सी**)** के तहत प्राप्तकर्ता बन जाता है। यह निष्कर्ष जी. एस. टी. के उपभोग और निर्धारित कर आधारित होने के दर्शन के अनुरूप है।माल के आयात के माध्यम से उपभोग के उद्देश्य से भारत में नौवहन सेवाओं का आयात किया जाता है।हालाँकि सी. आई. एफ. अनुबंधों में विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा विदेशी शिपिंग लाइन को शिपिंग के लिए भुगतान किया जाता है**,** लेकिन इसके परिणामस्वरूप कीमत को शिपमेंट की कीमत में शामिल किया जाता है।नौवहन सेवा का अंतिम लाभार्थी भारत में आयातक भी होता है जो अंत में भारत के कर योग्य क्षेत्र के भीतर एक गंतव्य पर माल प्राप्त करेगा।इस प्रकार**,** आई. जी. एस. टी. अधिनियम में "प्राप्तकर्ता" शब्द का अर्थ कराधान क़ानून **(**आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम**)** में निर्धारित संदर्भ के भीतर समझना होगा न कि वाणिज्यिक सिद्धांतों के सख्त अनुप्रयोग द्वारा।**[**पैरा **118** और **119] [433-**बी**-**डी**,** जी**-**एच**; 434-**ए**,** जी**-**एच**; 435-**ए**-**डी**]**

ग

डी.

ई.

4.9 कुछ उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि सेवाओं के दो अलग**-**अलग प्राप्तकर्ताओं की संभावना बेतुकी बातें पैदा करेगी क्योंकि क्या सेवा की आपूर्ति आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **7 (3)** के तहत अंतर**-**राज्य आपूर्ति है या आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **8 (2)** के तहत अंतर**-**राज्य आपूर्ति**,** आपूर्तिकर्ता के स्थान और आपूर्ति के स्थान पर निर्भर करती है**,** जो ज्यादातर मामलों में सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान है।चूंकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93) (**ए**)** और **(**सी**)** को पढ़ने पर प्रभावी रूप से दो प्राप्तकर्ता हो सकते हैं**,** इसलिए उत्तरदाताओं का तर्क है कि लेनदेन एक साथ अंतर**-**राज्य या अंतर**-**राज्य आपूर्ति बन सकता है।इसका मतलब यह भी हो सकता है कि दो प्राप्तकर्ता आईटीसी का दावा कर सकते हैं। हालाँकि**,** यह तर्क वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **7 (3)** और **8 (2)** परस्पर मेल नहीं खाती हैं।

च

जी.

एच.

आयात की अवधारणा।धारा **8 (2)** एक ऐसे परिदृश्य से संबंधित है जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान भारत में एक ही राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर है।यह आयात निर्धारित करने के लिए लागू नहीं होता है जहां आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है।इसी तरह**,** धारा **7 (3)** भारत के क्षेत्र के भीतर अंतर**-**राज्यीय आपूर्ति से संबंधित है।इसके अलावा**,** ये दोनों धाराएं आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **12** के प्रावधानों के अधीन हैं जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों भारत में स्थित हैं।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **12** आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **13 (9)** के तहत काल्पनिक धारणा नहीं बनाती है जो केवल तभी लागू होती है जब आपूर्तिकर्ता भारत से बाहर स्थित हो।इस मामले में लागू धारा आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **7 (4)** होगी जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि "भारत के क्षेत्र में आयातित सेवाओं की आपूर्ति को अंतर**-**राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।"इस प्रकार**,** केंद्र सरकार द्वारा तर्कित काल्पनिक कल्पना से कोई बेतुकी बात पैदा नहीं होती है।किसी भी स्थिति में विदेशी निर्यातक भारत में आई. टी. सी. का दावा नहीं करेगा।दो प्राप्तकर्ताओं की पहचान के प्रतिवादियों के तर्कों का वर्तमान विवाद के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इस मामले में विदेशी निर्यातक पर कर लगाने की मांग नहीं की जाती है।डिजिटल युग में**,** सेवा के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता की अवधारणाओं को भी बदल दिया गया है और आवश्यक रूप से आपूर्ति की सीधी श्रृंखला वाले दो पक्षों के रूप में नहीं समझा जाता है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम ऐसी जटिलताओं को पर्याप्त रूप से पकड़ने के लिए ऐसी कई काल्पनिक कल्पनाएँ बनाता है।उदाहरण के लिए**,** आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (5)** वाणिज्यिक अर्थों में केवल एक माध्यम होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक पर सेवा के आपूर्तिकर्ता के रूप में कर लगाती है।इन काल्पनिक कल्पनाओं का कानून के उद्देश्य के लिए सम्मान किया जाना चाहिए**,** जब तक कि उनके पास संवैधानिक और संसदीय मंजूरी है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **13** आपूर्ति के गंतव्य पर कर लगाने के लिए जी.

एस. टी. क़ानून के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि उनकी उत्पत्ति के विपरीत है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम (धारा **5)** के तहत प्रभार के प्रावधान की व्याख्या करने के लिए इसमें निहित काल्पनिक धारणा महत्वपूर्ण है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93)** की 'प्राप्तकर्ता' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति के लाभार्थी का निर्धारण करने की अप्रासंगिकता के लिए उत्तरदाताओं का तर्क धारा **2 (93)** को गलत तरीके से पढ़ता है जो प्राप्तकर्ता की पहचान करता है, अन्य बातों के साथ-साथ, उस व्यक्ति के आधार पर जिसे 'आपूर्ति की जाती है' यानी आपूर्ति का स्थान।**[**पारस **120-122] [435-D-H; 436-A-D, G-H; 437-A] A**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

321

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

4.10 जी. एस. टी. कानून बिक्री/खेप पर कर लगाने की पिछली नीति से अलग हैं और आपूर्ति पर कर लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।आपूर्ति केंद्रित और गंतव्य आधारित कर की अवधारणा वैधानिक प्रावधानों की योजना और जी. एस. टी. परिषद द्वारा जारी प्रस्तावों के माध्यम से चलती है।इस प्रकार, वस्तुओं, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति पर कर बनाने के लिए अनुच्छेद **366 (12-**ए**)** के रूप में संविधान में एक संशोधन पेश किया गया था।उस समय की व्यावसायिक वास्तविकता में, वस्तुओं और सेवाओं के बीच की वैचारिक रेखाएँ कमज़ोर हो जाती हैं।इसलिए, वस्तुओं और सेवाओं के बीच साफ-सुथरे खंडों के निर्माण के विपरीत, आपूर्ति के कराधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **7 (1) (**सी**)** विशेष रूप से सेवाओं के आयात को "आपूर्ति" के रूप में परिभाषित करती है।एकमात्र सवाल जो निर्धारण के लिए आता है वह यह है कि क्या सी. आई. एफ. के आधार पर वस्तुओं का आयात भी काल्पनिक रूप से शिपिंग सेवाओं का आयात होगा।आई. जी. एस. टी. की धारा **5 (3)** केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान नहीं करती है कि वह प्राप्तकर्ता की तुलना में एक काल्पनिक धारणा बनाए।धारा **5 (3)** केवल केंद्र सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की कुछ श्रेणियों की पहचान करने में सक्षम बनाती है, जहां ऐसी सेवाओं का प्राप्तकर्ता कर के सामान्य तरीके के विपरीत रिवर्स शुल्क के अधीन है, जहां सेवा के आपूर्तिकर्ता से अग्रिम शुल्क के आधार पर शुल्क लिया जाता है।हालांकि, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93) (**सी**)** के साथ पठित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **13 (9)** स्वाभाविक रूप से माल के आयातक को प्रेषण सेवा का प्राप्तकर्ता मानने की कल्पना पैदा करती है।**[**पैरा **123] [437-**बी**-**ई**]**

ग

डी.

ई.

5. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (4)** लागू

च

संशोधित धारा **5 (4) 1** फरवरी **2019** को लागू हुई।**2018** का संशोधन अधिनियम **32** केंद्र सरकार को पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के "प्राप्तकर्ता" के रूप में घोषित करने की एक काल्पनिक

कल्पना बनाने में सक्षम बनाता है।प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि "के रूप में" भाषा को लागू करने में, ऐसी अधिसूचना की वैधता निर्धारित करने के लिए सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93)** की तुलना में प्राप्तकर्ता की परिभाषा की प्रयोज्यता अब आवश्यक नहीं है।**2018** के संशोधन अधिनियम **32** का प्रभाव इस प्रकार रहा है:- **(i)** अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट करने की केंद्र सरकार की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है; और **(ii)** प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट करने की शक्ति।

जी.

एच.

पहचाना गया है।उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि संशोधित और अपरिवर्तित धारा **5 (4)** विवादित अधिसूचनाओं को सुरक्षित नहीं करती है क्योंकि वे अभी भी "प्राप्तकर्ता" शब्द का संदर्भ देते हैं।हालाँकि, उत्तरदाता महत्वपूर्ण रूप से इस बात से चूक जाते हैं कि धारा **5 (4)** आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (3)** के विपरीत "प्राप्तकर्ता द्वारा" भाषा का उपयोग करती है।प्राप्तकर्ता इस निर्णय के भाग डी में आयातक को शामिल करता है।इसके अलावा, धारा **5 (4)** स्पष्ट करती है कि यह पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को प्राप्तकर्ता के रूप में नामित कर सकती है, जिससे सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93)** का दायरा व्यापक हो सकता है, जो वैसे भी एक समावेशी परिभाषा है क्योंकि धारा **2** को "जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो" के साथ प्रस्तुत किया गया है।यह तय कानून है कि शक्ति के स्रोत का गैर-संदर्भ किसी मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में इसके प्रयोग और अनुप्रयोग को दूषित नहीं कर सकता है।इस प्रकार, जब तक कानून बनाने या अधिसूचना जारी करने की शक्ति का स्रोत उपलब्ध है, तब तक उल्लेख की कमी, गलत संदर्भ या गलती ऐसी शक्ति के प्रयोग को दूषित नहीं करती है।विवादित अधिसूचनाएं भारतीय और विदेशी नौवहन लाइनों के बीच समान अवसर पैदा करने के इरादे से जारी की गई थीं।**[**पैरा **124,126,127,128** और **129] [438-**सी-ई, जी; **439-**ए-सी**]**

ग

डी.

भारत संघ बनाम तुलसी राम पटेल **(1985) 3** एस. सी. सी. **398:**

[1985] 2 पूरक।एस. सी. आर. **131-**अनुसरण किया गया।

ई.

टीटागढ़ पेपर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड

(1975) 2 एस. सी. सी. **436-**पर निर्भर।

6.1 समग्र आपूर्ति और दोहरे कराधान के मुद्दे हाथ में लेन-देन में तीन पक्ष शामिल होते हैं-विदेशी निर्यातक, भारतीय आयातक और शिपिंग लाइन।लेन-देन के पहले चरण में एक सी. आई. एफ. अनुबंध शामिल होता है, जिसमें विदेशी निर्यातक भारतीय आयातक को माल बेचता है और बीमा और माल ढुलाई की लागत विदेशी निर्यातक की जिम्मेदारी होती है।दूसरे शब्दों में, विदेशी निर्यातक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि माल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे और भारतीय आयातक निर्यातक को लेन-देन मूल्य का भुगतान करे।लेन-देन के दूसरे चरण में विदेशी निर्यातक और शिपिंग लाइन (चाहे वह विदेशी हो या भारतीय) के बीच भारत के क्षेत्र में गंतव्य तक माल के परिवहन के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता शामिल है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (30)** में स्पष्ट रूप से ए.

च

जी.

एच.

कि एक लेन-देन में दो या दो से अधिक कर योग्य आपूर्ति हो सकती है, जहाँ उनमें से एक प्रमुख आपूर्ति है।धारा **2 (30)** का चित्रण आगे स्पष्ट करता है कि वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सी. आई. एफ. अनुबंध जैसे लेनदेन सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत एक समग्र आपूर्ति को दर्शाते हैं, जहां प्रमुख आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **8** में प्रावधान है कि एक समग्र आपूर्ति पर कर देयता जिसमें दो या दो से अधिक आपूर्ति शामिल हैं, केवल 'प्रमुख आपूर्ति' पर लगाई जाएगी।सी. आई. एफ. लेन-देन में, धारा **2 (30)** के अनुसार, प्रमुख आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति है।इस प्रकार, कर इस प्रकार लगाया जाएगा जैसे कि लेन-देन माल की आपूर्ति का हो।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **20** में प्रावधान है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत 'समग्र आपूर्ति' से संबंधित प्रावधान आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत उत्परिवर्तन लागू होंगे। विस्तार से, समग्र आपूर्ति के लेन-देन में आई. जी. एस. टी. माल की प्रमुख आपूर्ति पर लगाया जाएगा।**[**पैरा **133,136-138] [442-**जी-एच**; 443-**ए-बी, एफ-एच**; 444-**सी-ई**]**

ग

6.2 सी. जी. एस. टी. अधिनियम **(**और आई. जी. एस. टी. अधिनियम**)** में समग्र आपूर्ति के प्रावधान जी. एस. टी. के उद्ग्रहण में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। 'समग्र आपूर्ति' शुरू करने का विचार यह सुनिश्चित करना था कि लेन-देन के विभिन्न तत्वों को विच्छेदित नहीं किया जाता है और पूरी तरह से आपूर्ति के बंडल पर शुल्क लगाया जाता है।इसका सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (30)** के तहत दिए गए चित्रण में विशिष्ट उल्लेख मिलता है, जहां मुख्य आपूर्ति वस्तुओं की होती है।इस प्रकार, संसद का इरादा यह था कि एक लेन-देन जिसमें वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के विभिन्न पहलू शामिल हैं और जो स्वाभाविक रूप से एक साथ जोड़े जाते हैं, उस पर समग्र आपूर्ति के रूप में कर लगाया जाना चाहिए।यह सच है कि इस मामले में, विदेशी निर्यातक और भारतीय आयातक के बीच लेनदेन का पहला चरण एक समग्र आपूर्ति है, जबकि दूसरा चरण, विदेशी निर्यातक और शिपिंग लाइन के बीच, एक दृष्टिकोण से, एक स्वतंत्र लेनदेन के रूप में माना जा सकता है।ये दोनों स्वतंत्र लेनदेन हैं और आम तौर पर, आई. जी. एस. टी. लेनदेन के दोनों सेटों पर लगाया जा सकता है-एक माल की आपूर्ति के रूप में **(**समग्र आपूर्ति के दायरे में**)** और दूसरा सेवाओं की आपूर्ति के रूप में।हालाँकि, विवादित अधिसूचनाएँ आयातक पर सेवा की आपूर्ति के मानित प्राप्तकर्ता के रूप में कर लगाने का प्रयास करती हैं।ए. एस. जी. ने आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (3)** और **5 (4)** की व्याख्या को आगे बढ़ाया है, जिसे सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (93)** के साथ पढ़ा जाता है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि आयातक को सेवाओं के 'प्राप्तकर्ता' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।इस व्याख्या पर, वैधता

डी.

ई.

च

जी.

एच.

इस निर्णय की धारा **D.2-D.5** में आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (3)** और **5 (4)** के तहत विवादित अधिसूचनाओं को बरकरार रखा गया है।यह न्यायालय आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की सीमाओं से यह निर्धारित करने के लिए बाध्य है कि क्या यह एक समग्र आपूर्ति है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **8** के पाठ को नजरअंदाज करने और दोनों लेनदेनों को स्वतंत्र समझौतों के रूप में मानने की अनुमति नहीं होगी।सी. आई. एफ. अनुबंध में, माल की आपूर्ति परिवहन और बीमा सेवाओं की आपूर्ति के साथ होती है, जिसकी जिम्मेदारी विक्रेता **(**इस मामले में विदेशी

निर्यातक) पर होती है।विदेशी शिपर द्वारा परिवहन सेवा की आपूर्ति विदेशी निर्यातक और भारतीय आयातक के बीच आपूर्ति के बंडल का एक हिस्सा है, जिस पर आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (1)** के तहत आई. जी. एस. टी. का भुगतान किया जाता है, जिसे आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **20,** सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **8** और धारा **2 (30)** के साथ पढ़ा जाता है। लेन-देन के सेवा घटक की आपूर्ति पर आई. जी. एस. टी. लगाना धारा **8** में निहित सिद्धांत के विपरीत होगा और जी. एस. टी. कानून की योजना का उल्लंघन होगा।इस प्रकार, जबकि विवादित अधिसूचनाएं वैध रूप से आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (3)** और **5 (4)** के तहत जारी की जाती हैं, यह सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **8** और जी. एस. टी. कानून की समग्र योजना का उल्लंघन होगा।यह न्यायालय उच्च न्यायालय के साथ इस हद तक सहमत है कि किसी सेवा की आपूर्ति पर कर, जिसे पहले ही माल की समग्र आपूर्ति पर कर के रूप में कानून द्वारा शामिल किया जा चुका है, की अनुमति नहीं दी जा सकती है।**[**पारस **143-147] [446-E-H; 447-A, G-H; 448-A-B; 449-F-G]**

ग

डी.

ई.

फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया

बनाम भारत संघ **(1989) 3** एस. सी. सी. **634:[1989] 2** एस. सी. आर. **918,** बी. एस. एन. एल. बनाम भारत संघ **2006 (3)** एस. सी. सी. **1:[2006] 2** एस. सी. आर. **823-**संदर्भित।

च

7. निष्कर्ष

(i) जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें निम्नलिखित कारणों से केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैंः

जी.

(क**)** अनुच्छेद **279** ख को हटाना और संविधान संशोधन अधिनियम **2016** द्वारा अनुच्छेद **279 (1)** को शामिल करना इंगित करता है कि संसद का इरादा था कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों का केवल एक प्रेरक मूल्य हो, विशेष रूप से जब घटक इकाइयों के बीच सहकारी संघवाद और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जी. एस. टी. व्यवस्था के उद्देश्य के साथ व्याख्या की जाए**;** क

एच.

325

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

(ख**)** न तो अनुच्छेद **279** ए एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होता है और न ही अनुच्छेद **246** ए में कहा गया है कि यह अनुच्छेद **279** ए के प्रावधानों के अधीन है। संसद और राज्य विधानसभाओं के पास एक साथ जी. एस. टी. पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद **246** ए में जी. एस. टी. पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए एक प्रतिकूल प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है। जी. एस. टी. परिषद की 'सिफारिशें' केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक वार्ता का परिणाम हैं।वे प्रकृति में अनुशंसा करने वाले हैं।उन्हें बाध्यकारी आदेश के रूप में मानने से राजकोषीय संघवाद बाधित होगा, जहां केंद्र और राज्यों दोनों को जी. एस. टी. पर कानून बनाने की समान शक्ति प्रदान की जाती है। यह जरूरी नहीं है कि संघीय इकाइयों में से किसी एक के पास निर्णय लेने के लिए संघीय इकाइयों की शक्ति में हमेशा अधिक हिस्सा होना चाहिए।भारतीय संघवाद सहकारी और असहयोगी संघवाद के बीच एक संवाद है जहां संघीय इकाइयों को सहयोग से लेकर प्रतिस्पर्धा तक विभिन्न साधनों का उपयोग करने की स्वतंत्रता है**;** और

ग

डी.

(ग) सरकार सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम और आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जी**.** एस**.** टी**.** परिषद की सिफारिशों से बाध्य है।हालाँकि**,** इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद **279** ए **(4)** की शक्ति के आधार पर की गई जी**.** एस**.** टी**.** परिषद की सभी सिफारिशें प्राथमिक विधानों को लागू करने की विधायिका की शक्ति पर बाध्यकारी हैं।

ई.

(ii) सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (93)** के साथ पठित आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **2 (11)** और **13 (9)** के संयुक्त पठन पर**,** सी**.** आई**.** एफ**.** अनुबंध द्वारा माल का आयात एक **"**अंतर**-**राज्य**"** आपूर्ति का गठन करता है जो आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** के अधीन हो सकता है जहां ऐसे माल का आयातक प्रेषण सेवा का प्राप्तकर्ता होगा।

च

(iii) आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम और सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम रिवर्स चार्ज को परिभाषित करते हैं और उन उद्देश्यों के लिए कर लगाने वाली इकाई को निर्धारित करते हैं।प्राप्तकर्ता का विनिर्देश**-**इस मामले में आयातक**-**अधिसूचना **10/2017** द्वारा केवल स्पष्टीकरणात्मक है।सरकार ने अधिसूचना द्वारा रिवर्स चार्ज के उद्देश्यों के लिए आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (3)** में निर्धारित प्राप्तकर्ता से अलग कर योग्य व्यक्ति को निर्दिष्ट नहीं किया है।

जी.

(iv) आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (4)** केंद्र सरकार को पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाती है **-**

एच.

प्राप्तकर्ता**,** इस प्रकार प्रत्यायोजित विधान पर एक काल्पनिक कल्पना बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं**;**

(v) लेन**-**देन के 'सेवा' पहलू पर लगाया गया विवादित शुल्क सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **8** के साथ पठित धारा **2 (30)** के तहत निहित 'समग्र आपूर्ति' के सिद्धांत का उल्लंघन है। चूंकि भारतीय आयातक सी**.** आई**.** एफ**.** अनुबंध में वस्तुओं की आपूर्ति और परिवहन**,** बीमा आदि सेवाओं की आपूर्ति सहित 'समग्र आपूर्ति' पर आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है**,** इसलिए शिपिंग लाइन द्वारा 'सेवाओं की आपूर्ति' के लिए भारतीय आयातक पर एक अलग शुल्क सी**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **8** का उल्लंघन होगा। **[**पैरा **148] [449-**जी**-**एच**; 450-**ए**-**एच**, 451-**ए**-**ई**]**

ग

मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनामवाणिज्यिक कर अधिकारी

1985 (3) एससीसी 230:[1985] 3 एस. सी. आर. 791; मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक

भारतीय निगम बनाम आयकर आयुक्त

1989 पूरक 2 एस. सी. सी. 642:[1989] 2 एससीआर 994; नगरपालिका

दिल्ली निगम बनाम बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स [1968] 3 एस. सी. आर. 251; अविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 441; भारत संघ बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2022) 2 एस. सी. सी. 603; भारत संघ बनाम जलयान उद्योग 1994 (1) एस. सी. सी. 318

डी.

:[1993] 2 पूरक।एस. सी. आर. 293; इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम।सीमा शुल्क आयुक्त (2006) 12 एससीसी 583:[2006]

ई.

6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 733;** अभिराम सिंह बनाम सी**.** डी**.** कमाचेन**, (2017) 2** एस**.** सी**.** सी**. 629;** होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम।राज्य

बिहार (1983) 4 एस. सी. सी. 45:[1983] 3 एससीआर 130; संघ

भारत बनाम मोहित खनिज प्रा**.** लि**.** लिमिटेड **(2019) 2** एससीसी **599 [2018] 13** एससीआर **139;** बैकू बनाम राज्य कर अधिकारी**,** जीएसटी

च

2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 5362; एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एस. सी. सी. 1:[1994] 2 एस. सी. आर. 644; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ (2018) 8 एस. सी. सी. 501:[2018]

7 एस**.** सी**.** आर**. 1;** भारत संघ बनाम प्रदीप कुमार डे**, (2000)**

8 एससीसी 580:[2000] 4 पूरक।एस. सी. आर. 465; केसरम

इंडस्ट्रीज एंड कॉटन मिल्स लिमिटेड बनामसीडब्ल्यूटी, [1966] 2 एससीआर 688; सोम मित्तल बनाम कर्नाटक सरकार, (2008) 3

जी.

एससीसी 753:[2008] 2 एस. सी. आर. 323; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम टी. गोपालकृष्णन मूर्ति, (1976) 2 एस. सी. सी. 883:[1976]

1 एस**.** सी**.** आर**. 1008;** दिल्ली विधि अधिनियम **1912** ए**.** आई**.** आर**. 1951** एस**.** सी**. 332:[1951]** एस**.** सी**.** आर**. 747;** एडवर्ड मिल्स कं**.** लिमिटेड बनामराज्य ए

एच.

327

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

अजमेर, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 25:[1955] 1 एससीआर 735; ए. एन.

परासरन बनाम तमिलनाडु राज्य**, (1989) 4** एससीसी **683:**

[1989] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 371-**संदर्भित।

तरुण जैन**,** वस्तु एवं सेवा करःसंवैधानिक कानून और नीति **(**ई**.** बी**.** सी**. 2018) 16,117;** एच**.** एम**.** सीरवई**,** भारत का संवैधानिक कानून **(**एन**.** एम**.** त्रिपाठी प्राइवेट लिमिटेड**,** चौथा संस्करण**, Vol.1) 28;** वस्तु और सेवा कर पर समिति**,** प्रथम चर्चा पत्र**, (2009)** अनुच्छेद **1.13-1.14;** तेरहवां वित्त आयोग**,** जी**.** एस**.** टी**.** पर कार्य बल की रिपोर्ट **(2009)** अनुच्छेद **10.5;** वित्त पर स्थायी समिति**,** संविधान **(**एक सौ पंद्रहवां संशोधन**) 2011 (73** वीं रिपोर्ट**, 2013);**

संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पर चयन समिति की रिपोर्ट (राज्यसभा, 2015 में प्रस्तुत); आलोक प्रसन्ना, 'क्षमता की गड़बड़ी के लिए':राज्यों को राजस्व बढ़ाने का जी. एस. टी. का वादा संविधान 'नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया रिव्यू' के संघीय ढांचे की कीमत पर आता है।खण्ड. 28, सं. 2 (2016), पृष्ठ-97-113; अजितेश किर, 'भारत का वस्तु एवं सेवा कर:सहकारी संघवाद में एक अनूठा प्रयोग और प्रतीक्षा में एक संवैधानिक संकट 'कैनेडियन टैक्स जर्नल (2021) 69:2, 391-445 – संदर्भित किया गया।

ग

डी.

ई.

रॉबर्ट ए. शापिरो, 'जस्टिस स्टीवंस थ्योरी ऑफ इंटरएक्टिव फेडरलिज्म' 74 फोर्डहम एल. रेव. 2133 (2006); जेसिका बुलमैन-पोजेन और हीथर के. गेर्केन, 'असहयोगी संघवाद' येल लॉ जर्नल, वॉल्यूम। 118.सं. 7 (मई, 2009), पृ. 1256-1310; बुलमैन-पोजेन और के. गेर्केन (एन 74)-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

च

[1999] 4 पूरक।एस. सी. आर. **195** का अनुसरण किया गया

पैरा **10 (vi) [1985] 3** एस. सी. आर. **985** पैरा **10 (vi) [1985] 3** एस. सी. आर. **791** पर निर्भर करता है जो पैरा **10 (XX) [1989] 2** एस. सी. आर. **994** को संदर्भित करता है जो पैरा **10 (XXI) [2011] 3** एस. सी. आर. **366** को संदर्भित करता है।

जी.

पैरा **10 (xxi)**

एच.

[1968] 3 एससीआर **251**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10 (XXV)**

[1979] 1 एस. सी. सी. **441**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10 (XXV)**

(2022) 2 एस. सी. सी. **603**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10 (XXIX)**

[1999] 3 एस. सी. आर. **1199** लागू नहीं होने वाला पैरा **11 (iii) [1993] 2** पूरक है।एस. सी. आर. **293** पैरा **11 (viii) [2006] 2** एस. सी. आर. **823** पैरा **11 (x) [2006] 6** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **733** पैरा **16 (iii) [1993] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **293** पैरा **16 (iv) (2017) 2** एस. सी. सी. **629** पैरा **24 [1983] 3** एस. सी. आर. **130** पैरा **24 [2018] 13** एस. सी. आर. **139** पैरा

28 [1982] 1 एस**.** सी**.** आर**. 629** पैरा **42 (2017) 7** एस**.** सी**.** सी**. 295** पैरा **42 [1994] 2** एस**.** सी**.** आर**. 644** पैरा **45** पैरा **47**

ग

डी.

[2018] 7 एससीआर **1**

[2012] 12 एससीआर **850**

पर भरोसा किया

पैरा **57**

ई.

[1974] 3 एससीआर **624**

पीछा किया।

पैरा **57 [2000] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 465** पैरा **57 [1966] 2** एस**.** सी**.** आर**. 688** पैरा **57 [2008] 2** एस**.** सी**.** आर**. 323** पैरा **57 [1976] 1** एस**.** सी**.** आर**. 1008** पैरा **57 [1951]** एस**.** सी**.** आर**. 747**

च

संदर्भित किया गया है

पैरा **84**

[1955] 1 एससीआर **735**

संदर्भित किया गया है

पैरा **84**

[1989] 1 पूरक।पैरा **84 [1981] 2** एस**.** सी**.** आर**. 938** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 371** पैरा **90 [1985] 2** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 131** का अनुसरण किया गया

जी.

पैरा **127x [1975] 2** एस**.** सी**.** सी**. 436** पैरा **128 [1989] 2** एस**.** सी**.** आर**. 918** पर निर्भर था जिसे पैरा **14** ए**.** में संदर्भित किया गया है।

एच.

329

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक ए के माध्यम से

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.1390

2022.

2018 के आर/एस. सी. ए. सं. 726 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 23.01.2020 के निर्णय और आदेश से।

सह

दीवानी अपील सं.
1390,1394,1417,1419,1445,1414,1402,1412,1411,1413,1415,1418,1420,1446,1447,1409,1416,1395,1407,1406,1398,1401,1391,1403,1393,1410,1405,1397,1404,1400। 2022 का 1396,1408,1399 और 1392।

एन. वेंकटरमन, एएसजी, मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री निशा बागची, रुपेश कुमार, अक्षय अमृतांशु, शरत नारायण नांबियार, सुश्री मीना देवी, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

ग

जे. के. मित्तल, सुश्री नीहा नागपाल, मलक मनीष भट्ट, सुश्री वंदना मित्तल, सुश्री आशना सूरी, जोसेफ पुक्कट्ट, प्रशांत कुमार, नीलेश शर्मा, धवेश पहुजा, मेसर्स एपी एंड जे चैम्बर्स, उचित सेठ, संतोष कृष्णन, डॉ. सी. माणिकम, रंजन कुमार, संजय कुमार, कपिल देव यादव, ऋषभ संचेती, शरद कोठारी, सुश्री पद्म प्रिया, अंचित भंडारी, सुशांत राव, के. परिवेधन, देवेंद्र सिंह, अंकित सचदेवा, विनायक माथुर, कमल कुमार आर्य, सुश्री अनिष्का गुप्ता, राहुल जैन, जी. नटराजन, राजेश कुमार, गौतम कार्तिक,उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

ई.

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

ए Introduction.5 बी Submissions.12 बी. 1 संघ India.12 बी. 2 Respondent-assessees.28 सी. की संवैधानिक संरचना 1 संविधान संशोधन अधिनियम का विधायी इतिहास 2016.56 सी. 2 जी. एस. टी. की सिफारिशों की प्रकृति Council.75

च

जी.

एच.

डी Analysis.92 डी. 1 आई. जी. एस. टी. Act.92 डी. 2 के सांविधिक प्रावधान और योजना क्या विवादित अधिसूचनाएं अत्यधिक प्रत्यर्पण से ग्रस्त हैं?.....104 डी. 3 चार्जिंग अनुभागः कर योग्य व्यक्ति, कर योग्य दर और value.108 D निर्धारित करने का तरीका 4 कर योग्य घटनाः क्या वस्तुओं के आयात के लिए समुद्री माल ढुलाई लेनदेन आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत सेवाओं की आपूर्ति की एक वैध श्रेणी है?.....114 डी. 4.(क) क्या सी. आई. एफ. आधार पर खरीदी गई आयातित वस्तुएं अंतर-राज्यीय आपूर्ति हैं या यह एक अतिरिक्त-क्षेत्रीय कर है?.....115 डी. 4.(ख) क्या आयातक सेवा प्राप्तकर्ता सी. आई. एफ. अनुबंधों के अंतर्गत आते हैं?.....126 डी. 5 आई. जी. एस. टी. Act.136 डी. 6 की धारा 5 (4) की प्रयोज्यता समग्र आपूर्ति और दोहरे कराधान के मुद्दे।..142 ई Conclusion.151

डी.

ई.

एक परिचय

1. भारत संघ 1 23 जनवरी 2020 को गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है।उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की दो अधिसूचनाओं की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादियों द्वारा शुरू की गई याचिका को स्वीकार कर लिया।विवाद की जड़ यह है कि क्या कोई भारतीय आयातक विदेशी विक्रेता द्वारा विदेशी शिपिंग लाइन को भुगतान किए गए समुद्री माल ढुलाई के घटक पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर 2 के शुल्क के अधीन हो सकता है।

च

2. उत्तरदाता इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से गैर-कोकिंग कोयले का आयात 'लागत-बीमा-माल ढुलाई' 3 के आधार पर समुद्री परिवहन द्वारा करते हैं जिसकी आपूर्ति घरेलू उद्योगों को की जाती है।माल का परिवहन किया जाता है

जी.

1 “ केंद्र सरकार "या" केंद्र सरकार "2" आई. जी. एस. टी.

3 “ सी. आई. एफ "

एच.

331

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत में सीमा शुल्क स्टेशन तक।प्रत्यर्थी कोयले के आयात पर सीमा शुल्क का भुगतान करता है, जिसमें समुद्री माल ढुलाई का मूल्य शामिल है।सी. आई. एफ. अनुबंध के मामले में, माल ढुलाई चालान आयातक की भागीदारी के बिना विदेशी निर्यातक को विदेशी शिपिंग लाइन द्वारा जारी किया जाता है।समुद्री माल ढुलाई का भुगतान आयातक द्वारा केवल तभी किया जाता है जब 'फ्री-ऑन-बोर्ड' 4 अनुबंध के तहत माल का आयात किया जाता है।उच्च समुद्र बिक्री लेनदेन के मामले में, कोयले को भारतीय बंदरगाहों पर आने से पहले मूल खरीदार से खरीदा जाता है।

3. माल और सेवा कर 5 व्यवस्था के प्रवर्तन से पहले, 20 जून 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-ST (क्रम संख्या 34) द्वारा समुद्री माल ढुलाई पर सेवा कर से छूट दी गई थी।इस छूट को 12 जनवरी 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-ST द्वारा वापस ले लिया गया था, जिसमें एक रिवर्स चार्ज तंत्र द्वारा आयातक पर सेवा कर लगाया गया था।जी. एस. टी. व्यवस्था के आगमन के साथ, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2017 की धारा 5 (1), धारा 6 (1) और धारा 20 (iii)-(iv), जिसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम 9 की धारा 15 (5) और धारा 16 (1) के साथ पढ़ा जाता है, के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद 7 की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा 28 जून 2017 की अधिसूचना-एकीकृत कर (दर) जारी की गई थी।अधिसूचना 8/2017 की प्रविष्टि 9, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है, भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में सीमा शुल्क निकासी केंद्र तक किसी पोत में माल के परिवहन सहित निर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति पर 5 प्रतिशत की दर से एक एकीकृत कर लगाती है।

ग

डी.

ई.

4. 28 जून 2017 को केंद्र सरकार ने अधिसूचना 10/2017 10 जारी की।अधिसूचना 10/2017 के क्रम 10 ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 (26) के तहत एक आयातक को शामिल करने के लिए एक जहाज द्वारा एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा माल की आपूर्ति की सेवाओं के प्राप्तकर्ता को वर्गीकृत किया।

च

5. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर एक एकीकृत कर लगाने को अधिकृत करती है।भारत में आयातित वस्तुओं पर भी निर्धारित मूल्य पर एकीकृत कर लगाया जा सकता है।

जी.

4 “ एफओबी "

5 “ जीएसटी "

6 “ अधिसूचना 8/2017 "7" जीएसटी परिषद "8" आई. जी. एस. टी. अधिनियम "9" सी. जी. एस. टी. अधिनियम "

10 “ अधिसूचना 10/2017 "

एच.

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 11 की धारा 3 के तहत उस समय जब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 12 के तहत माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि भारत में आयातित वस्तुओं के मामले में वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान आयातक का स्थान होगा।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) में विचार किया गया है कि माल के परिवहन के मामले में सेवाओं की आपूर्ति का स्थान माल का गंतव्य होगा।प्रत्यर्थी का आरोप है कि विवादित अधिसूचनाएँ दोहरे कराधान का एक तत्व बनाती हैं, क्योंकि समुद्री माल ढुलाई को सीमा शुल्क के उद्देश्य से माल के मूल्य में शामिल किया जाता है जिसे आयातक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।प्रत्यर्थी परिवहन सेवा की आपूर्ति पर एकीकृत कर के दायित्व पर विवाद नहीं करता है जब वह एफओबी आधार पर वस्तुओं का आयात करता है।

ग

6. प्रतिवादी ने अधिसूचना 8/2017 और अधिसूचना 10/2017 13 को इस आधार पर चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की किः(i) अधिसूचनाएं आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं; (ii) समुद्री माल ढुलाई के घटक पर सीमा शुल्क लगाया जाता है और परिवहन के दौरान माल ढुलाई तत्व पर आई. जी. एस. टी. का शुल्क दोहरे कराधान के बराबर होगा; (iii) हालांकि उच्च समुद्री बिक्री के मामले में, आयातक एक अलग इकाई है, फिर भी यह व्यवस्था आयातक और सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिवादी पर कर लगाएगी; (iv) सी. आई. एफ. अनुबंध के मामले में, एक पोत में माल की परिवहन सेवा की आपूर्ति भारत के क्षेत्र के बाहर एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित एक निर्यातक को एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित एक विदेशी शिपिंग लाइन द्वारा की जाती है जो भारत के क्षेत्र के बाहर एक पोत द्वारा एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित एक निर्यातक द्वारा की जाती है जो आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर के अधीन नहीं हो सकती है।

डी.

ई.

च

7. भारत संघ ने उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया कि हालांकि समुद्री माल ढुलाई के मूल्य पर दो बार कर का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन यह असंवैधानिक नहीं है क्योंकि कर लेनदेन के दो अलग-अलग पहलुओं, अर्थात् सेवा की आपूर्ति और माल के आयात पर है।केंद्र सरकार के अनुसार, विवादित अधिसूचनाओं को हटाने का तर्क है

जी.

11 “ सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम "12" सीमा शुल्क अधिनियम "

13 सामूहिक रूप से "आक्षेपित अधिसूचनाएँ" के रूप में संदर्भित

एच.

333

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

भारतीय और विदेशी नौवहन लाइनों के बीच असमानता, क्योंकि पूर्ववर्ती इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में असमर्थ हैं 14 जो उनकी परिवहन लागत का एक हिस्सा है, क्योंकि माल की आपूर्ति को अब तक सेवा कर से छूट दी गई थी।भारत संघ के अनुसार, एकीकृत कर का अधिरोपण आयातकों पर अतिरिक्त लागत नहीं लगाता है क्योंकि वस्तुओं के आंतरिक परिवहन और आयात माल सेवाओं पर भुगतान की जाने वाली लागत उन्हें आईटीसी के रूप में उपलब्ध है।

8. मौजूदा जी. एस. टी. व्यवस्था (वर्तमान में चुनौती के तहत) के तहत, विभिन्न स्थितियों में समुद्री माल ढुलाई की करयोग्यता को नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः

ग

डी.

ई.

च

9. गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि विवादित अधिसूचनाएं आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को पार करने के लिए असंवैधानिक हैं। उच्च न्यायालय ने कहाः(i) सी. आई. एफ. आधार पर वस्तुओं का आयातक परिवहन सेवाओं का प्राप्तकर्ता नहीं है क्योंकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) सेवाओं के प्राप्तकर्ता को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो सेवा के लिए भुगतान करता है, जो इस मामले में विदेशी निर्यातक है।

जी.

(ii) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) सरकार को आपूर्ति की श्रेणियों को निर्धारित करने में सक्षम बनाती है, न कि किसी तीसरे पक्ष को ऐसी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में निर्दिष्ट करती है।

(iii) कराधान के लिए कोई क्षेत्रीय सांठगांठ नहीं है क्योंकि माल के परिवहन की सेवा की आपूर्ति एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर एक स्थान से भारतीय सीमा शुल्क निकासी केंद्र तक एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को की जाती है और यह न तो अंतर-राज्यीय है और न ही एक अंतर-राज्यीय आपूर्ति है।

(iv) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (11) "सेवा के आयात" को उस सेवा की आपूर्ति के रूप में परिभाषित करती है जहां सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है, सेवा का प्राप्तकर्ता भारत में स्थित है और सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत में है।

ग

(v) इस मामले में, चूंकि माल का परिवहन सी. आई. एफ. के आधार पर किया जाता है, इसलिए सेवा का प्राप्तकर्ता वह विदेशी निर्यातक है जो भारत से बाहर है;

डी.

(vi) राज्य के भीतर आपूर्ति से संबंधित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (5) (सी) को इतना व्यापक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह "कर योग्य क्षेत्र में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति" को "आपूर्ति के स्थान" से जोड़ती है।

(vii) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 12 और 13 आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने से संबंधित है।यदि सेवा का आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों भारत के बाहर स्थित हैं तो उनमें से कोई भी लागू नहीं होगा।केवल यह तथ्य कि सेवा भारत में समाप्त हो जाती है, भारत में परिवहन की आपूर्ति की सेवा को नहीं बनाता है;

ई.

च

(viii) आपूर्ति के समय के संबंध में प्रावधान, जैसा कि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 20 में विचार किया गया है और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 पर लागू होते हैं, केवल सेवा की आपूर्ति के वास्तविक प्राप्तकर्ता पर लागू होते हैं, जो इस मामले में विदेशी निर्यातक है।

जी.

(ix) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 (1) केवल वास्तविक आपूर्तिकर्ता और सेवा के वास्तविक प्राप्तकर्ता के बीच आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करने में सक्षम बनाती है;

(x) चूंकि आयातक सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के तहत सेवा का "प्राप्तकर्ता" नहीं है, इसलिए वह सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 (1) के तहत आई. टी. सी. का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होगा; और

एच.

(xi) चूंकि आयातक माल पर सीमा शुल्क का भुगतान करता है जिसमें समुद्री माल ढुलाई का मूल्य शामिल है, इसलिए विवादित अधिसूचनाएं प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से दोहरा कराधान लगाती हैं, जो अस्वीकार्य है।

बी प्रस्तुतियाँ

बी**. 1** भारत संघ

10. अपीलार्थी-भारत संघ की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल 15 श्री एन. वेंकटरमन ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

ए. आई. जी. एस. टी. की संवैधानिक संरचना

ग

(i) अनुच्छेद 286 (2) के तहत, संसद को अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करने का अधिकार है कि अनुच्छेद 286 (1) में उल्लिखित किसी भी तरीके से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कब होती है, जिसमें आयात शामिल है; (ii) अनुच्छेद 269 ए केंद्र सरकार को अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर जी. एस. टी. लगाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 269 ए (1) का स्पष्टीकरण एक काल्पनिक कल्पना पैदा करता है कि आयात के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति माना जाता है।

डी.

ई.

(iii) अनुच्छेद 269 ए (5) संसद को आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करने में सक्षम बनाता है और जब अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति होती है।यह संवैधानिक जनादेश आई. जी. एस. टी. अधिनियम में विधायी प्रभाव पाता है;

च

(iv) जैसा कि अनुच्छेद 269 ए (1) के साथ पठित अनुच्छेद 286 (2) में विचार किया गया है, आई. जी. एस. टी. अधिनियम एकीकृत कर (धारा 5 (1)) के उद्ग्रहण और संग्रह, वस्तुओं के निर्यात (धारा 2 (5)), सेवाओं के निर्यात (धारा 2 (6)), वस्तुओं के आयात (धारा 2 (10)), सेवाओं के आयात (धारा 2 (11)), सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान (धारा 2 (14)) और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान (धारा 2 (15)) से संबंधित प्रावधानों को लागू करता है।

जी.

15 “ एएसजी "

एच.

(v) अनुच्छेद 269 ए (5) के संदर्भ में, आई. जी. एस. टी. अधिनियम अंतर-राज्यीय आपूर्ति (धारा 7), क्षेत्रीय जल में आपूर्ति (धारा 9), भारत में आयातित या निर्यात की गई वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान (धारा 11), सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में है (धारा 12) और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का स्थान भारत से बाहर है (धारा 13) के निर्धारण के लिए प्रावधानों पर विचार करता है।

B. चार्जिंग अनुभाग

(vi) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) द्वारा सृजित शुल्क आयातक के हाथों में कर लगाए जाने वाले समुद्री माल ढुलाई लेनदेन तक विस्तारित हो सकता है।प्रभार का यह सृजन मथुरम में एक संविधान पीठ द्वारा चिन्हित कराधान के आवश्यक घटकों के अनुपालन में है।

ग

अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य **16** और आगे

डी.

गोबिंद सरन गंगा में इस न्यायालय द्वारा विस्तार से बताया गया

सरन बनाम बिक्री कर आयुक्त **17.**

((vii) कर अधिनियम के चार मूल सिद्धांत हैंःकर योग्य घटना, वह व्यक्ति जिस पर लेवी लगाई जाती है, वह दर जिस पर लेवी लगाई जाती है और वह उपाय या मूल्य जिस पर दर लागू की जाएगी; (viii) धारा 5 (1) कराधान के उपरोक्त घटकों को पूरा करती हैः

ई.

• मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा।"

च

• कर योग्य मूल्य "सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर"

• कर योग्य दर "ऐसी दरों पर जो 40 प्रतिशत से अधिक न हों जो परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं और ऐसी तरीके से एकत्र की जाएं जो निर्धारित की जाए"

जी.

16 1999 (8) एस. सी. सी. 667 ("मथुरम अग्रवाल")

एच.

17 ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1041 ("गोविंद सरन गंगा सरन")

337

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

• कर योग्य व्यक्ति "कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा"

C. रिवर्स चार्ज की अवधारणा

(ix) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (98) "रिवर्स चार्ज" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत या आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने का दायित्व। विवादित अधिसूचनाएं आई. जी. एस. टी. अधिनियम या सी. जी. एस. टी. अधिनियम की उपरोक्त धाराओं द्वारा निहित केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की जाती हैं।

ग

(x) रिवर्स चार्ज द्वारा कवर किया गया व्यक्ति सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) के साथ पठित सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (107) के संदर्भ में कर योग्य व्यक्ति बन जाता है। उल्लेखनीय है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) "उन व्यक्तियों की भाषा का उपयोग करती है जिन्हें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है" और

डी.

"वे व्यक्ति जो सी. जी. एस. टी. अधिनियम 2017 की धारा 2 (93) के तहत सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं" नहीं;

(xi) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9 (3) सरकार को, जी. एस. टी. परिषद की सिफारिश पर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है, जिसके लिए कर का भुगतान ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा।

ई.

च

(xii) वर्तमान में, न तो प्रावधानों और न ही नियमों ने उलट शुल्क के लिए कर योग्य व्यक्तियों की पहचान की है।इसलिए, विवादित अधिसूचनाएं प्रत्यायोजित कानून का एक वैध अभ्यास है।अधिसूचना 10/2017 एक आयातक की पहचान रिवर्स चार्ज के उद्देश्यों के लिए प्राप्तकर्ता के रूप में करती है।ऐसी अधिसूचना जारी करने की शक्ति का पता आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और 5 (4) से लगाया जा सकता है।

जी.

D. अंतर-राज्यीय आपूर्ति और आपूर्ति का स्थान

(xiii) इस मामले में सेवा का आयात धारा 13 (1) के साथ पठित धारा 7 (4) के संदर्भ में एक अंतर-राज्यीय आपूर्ति है और

एच.

13(9) आई. जी. एस. टी. अधिनियम हालांकि अनुबंध करने वाले पक्ष विदेशी हैं, लेनदेन का महत्वपूर्ण अंग कर योग्य क्षेत्र, अर्थात् भारत में होता है।इसलिए, लेन-देन आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (1) और धारा 13 (9) के साथ पठित धारा 7 (5) (सी) के तहत भी आ सकता है।

(xiv) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) में कहा गया है कि डाक या कूरियर के अलावा माल के परिवहन की सेवाओं की आपूर्ति का स्थान ऐसे माल का गंतव्य स्थान होगा।भले ही अनुबंध करने वाले पक्ष-विदेशी शिपिंग लाइन और विदेशी

निर्यातक-भारत के क्षेत्र से बाहर हैं, सेवा का प्रावधान भारतीय आयातक के लिए है और इसके परिणामस्वरूप सेवा का उपभोग और समाप्ति जो व्यावसायिक और कानूनी रूप से एक महत्वपूर्ण अंग है, केवल भारतीय आयातक के हाथों में होता है।

ग

ई. आपूर्ति का समय

डी.

(xv) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (5) में आपूर्ति के समय को निर्धारित करने के लिए एक अवशिष्ट प्रावधान है जिस तारीख को कर का भुगतान किया जाता है।चूँकि धारा 13 की अन्य उप-धाराएँ आपूर्ति के समय को समझने के लिए लागू नहीं होती हैं, इसलिए सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (5) लागू होगी।

ई.

एफ. समग्र आपूर्ति

(xvi) सी. आई. एफ. लेन-देन और समुद्री माल ढुलाई पर आई. जी. एस. टी. दो स्वतंत्र लेन-देन हैं, जो स्वतंत्र शुल्क झेलने के हकदार हैं और सी. जी. एस. टी. की धारा 2 (30) के तहत एक समग्र आपूर्ति के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं;

च

(xvii) जी. एस. टी. और सीमा शुल्क कराधान का एकमात्र साधन नहीं हैं।जी. एस. टी. एक गंतव्य आधारित कर है।एकीकृत कर माल पर नहीं बल्कि सेवा की आपूर्ति पर लगाने की मांग की जा रही है।अलग-अलग पहलुओं पर कर लगाया जा रहा है, इसलिए इसे अतिव्यापी नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, कर माल के मूल्य पर है, न कि माल ढुलाई पर।पूर्ववर्ती चरण में भुगतान किया गया कर दोहरा कराधान नहीं है यदि इसे समग्र मूल्य में शामिल किया जाता है;

जी.

एच.

339

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(xviii) विपरीत शुल्क कराधान का निर्वहन एक समग्र अनुबंध के रूप में दो स्वतंत्र अनुबंध नहीं बनाता है।विदेशी शिपिंग लाइन और विदेशी निर्यातक के बीच अनुबंध विदेशी निर्यातक और भारतीय आयातक के बीच अनुबंध से अलग और स्वतंत्र है।(xix) सी. आई. एफ. मूल्य के आधार पर माल की आपूर्ति पर जो कर लगाने की मांग की जाती है, वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (7) और 3 (8) के साथ पठित धारा 5 (1) के परंतुक से पता लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, रिवर्स चार्ज के आधार पर आई. जी. एस. टी. के तहत जिस पर कर लगाने की मांग की जाती है, वह सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) और आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और विवादित अधिसूचनाओं के साथ पठित धारा 5 (1) (कर योग्य व्यक्ति) के तहत शक्ति प्राप्त करता है।

ग

(x) मैकडॉवेल में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ और

कंपनी लिमिटेड बनाम**.**वाणिज्यिक कर अधिकारी **18** ने कहा है कि

डी.

कि एक एकल तत्व एक लेवी का आधार बन सकता है और दूसरे लेनदेन के लिए मूल्य का हिस्सा भी बन सकता है।इसे दोहरा कराधान नहीं कहा जा सकता है।जी. अतिरिक्त-क्षेत्रीयता

ई.

(xxi) कराधान के उद्देश्य के लिए पर्याप्त क्षेत्रीय सांठगांठ है क्योंकि आयातक भारत में निकासी के सीमा शुल्क स्टेशन तक परिवहन के माध्यम से विदेशी शिपिंग लाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का अंतिम लाभार्थी है।विदेशी निर्यातक और विदेशी शिपिंग लाइन के बीच लेन-देन का भारत के कर योग्य क्षेत्र से संबंध है।निकासी के समय आयातक माल का लाभकारी स्वामी होता है।अपीलार्थी मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करता है।

च

भारतीय निगम बनाम आयकर आयुक्त **19** और जीवीके इंडस्ट्रीज बनाम आयकर अधिकारी **20**

जी.

जहाँ इस न्यायालय ने भारत के साथ क्षेत्रीय संबंध रखने वाले कराधान कानूनों को बरकरार रखा है;

18 1985 (3) एस. सी. सी. 230 ["मैकडॉवेल"] 19 1989 पूरक 2 एस. सी. सी. 642

20 2011 (4) एस. सी. सी. 36 ["जीवीके इंडस्ट्रीज"]

एच.

एच. सेवा प्राप्तकर्ता

(xxii) भारतीय आयातक को सेवा प्राप्तकर्ता कहने के छह कारण हैंः

(क) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) (सी) में एक अमूर्त सेवा के प्राप्तकर्ता की परिकल्पना की गई है जो भुगतान नहीं करता है।सी. आई. एफ. लेनदेन में, भारतीय आयातक समुद्री माल ढुलाई के लिए भुगतान नहीं करता है और फिर भी परिवहन का लाभ प्राप्त करता है।

(ख) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 को "इस अधिनियम में,

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो "जो वारंट करता है

ग

उसमें वैधानिक परिभाषाओं की व्यापक व्याख्या;

(ग) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (98) के साथ पठित धारा 24 (iii), आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के साथ पठित और उसके तहत जारी की गई विवादित अधिसूचनाएं, किसी भी व्यक्ति को कर योग्य व्यक्ति बनने की अनुमति देती हैं और ऐसा कर योग्य व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का प्राप्तकर्ता बन जाता है।एक बार जब 'किसी भी व्यक्ति' की पहचान आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत जारी अधिसूचना के तहत रिवर्स चार्ज के लिए कर योग्य व्यक्ति के रूप में की जाती है, तो सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (98) के तहत रिवर्स चार्ज की परिभाषा की सरासर चूक से, ऐसा कर योग्य व्यक्ति रिवर्स चार्ज पर सेवा प्राप्तकर्ता बन जाता है।

डी.

ई.

(घ) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) स्पष्ट रूप से सेवा प्राप्तकर्ताओं की पहचान को सक्षम बनाती है, न कि केवल वस्तुओं या सेवाओं की श्रेणियों या दोनों को।कोई भी विपरीत व्याख्या विधायी इरादे के खिलाफ होगी।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के साथ पठित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के संयुक्त पठन पर, एक सेवा प्राप्तकर्ता की पहचान एक अधिसूचना के माध्यम से की जा सकती है।

च

(ङ) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (सी) के तहत विचार किए बिना "आपूर्ति" की परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा नहीं है।इसके अलावा, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (31) विचार को परिभाषित करती है और इसके भुगतान को केवल ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के मालिक तक सीमित नहीं करती है; और

जी.

(च) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) (सी) में लिखा है।

जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है, उसके संदर्भ में क

एच.

341

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में समझा जाए

आपूर्ति "..'एक व्यक्ति', 'एक पंजीकृत व्यक्ति' और 'एक कर योग्य व्यक्ति' को आपूर्ति की जा सकती है और ऐसी आपूर्ति को प्राप्तकर्ता को आपूर्ति माना जाएगा।चूँकि भारतीय आयातक उपरोक्त सभी श्रेणियों के तहत अर्हता प्राप्त करेगा, इसलिए उसे सेवा का प्राप्तकर्ता कहा जा सकता है।

I. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4) की प्रयोज्यता

(xxiii) वैकल्पिक रूप से, विवादित अधिसूचनाओं को आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4) द्वारा सहेजा जाएगा, जो केंद्र सरकार को, जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है, जो वस्तुओं या सेवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों या किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त दोनों के संबंध में, प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करेंगे और अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे; (xiv) यह स्वीकार किया जाता है कि विवादित अधिसूचनाएं आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4) का उल्लेख नहीं करती हैं। हालांकि, यह तय कानून है कि एक बार कर योग्य व्यक्ति को देने या उसकी पहचान करने की शक्ति उपलब्ध हो जाने के बाद, कर योग्य घटना, दर और माप, शक्ति के स्रोत का गैर-संदर्भ मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में इसके प्रयोग और अनुप्रयोग को दूषित नहीं करेगा।

ग

डी.

ई.

जे. संसदीय विधान बनाम अत्यधिक प्रतिनिधिमण्डल

(XXV) दिल्ली नगर निगम बनाम बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स 21 और अविंदर मामले में यह अदालत

च

सिंह बनाम पंजाब राज्य 22 ने माना है कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा केवल आवश्यक विधायी कार्य, जैसे कि नीतिगत दिशानिर्देश और रूपरेखा, किए जाने की आवश्यकता है।एक बार जब ये पूर्ण शक्ति के प्रयोग के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं, तो बाकी विवरण हमेशा प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग के माध्यम से सामने आ सकते हैं।

जी.

(xvi) अनुच्छेद 269 ए और 286 का संवैधानिक अधिदेश आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत प्रभावी होता है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम और

21 1968 (3) एस. सी. आर. 251 22 1979 (1) एस. सी. सी. 441

एच.

342

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

विशेष रूप से इसमें धारा 5 (1) ने कराधान (वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति) के विषय को परिभाषित किया है, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) के साथ पठित धारा 2 (107) के तहत कर योग्य व्यक्ति, अधिकतम 40 प्रतिशत की सीमा और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में कर योग्य मूल्य का निर्धारण। केवल कर योग्य व्यक्ति की पहचान केंद्र सरकार को सौंपी जाती है जो जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय लेती है।

के. जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें-सहकारी संघवाद और सहयोगी संघवाद

ग

((xvii) जी. एस. टी. एक उपभोग कर है और कर का अधिकार क्षेत्र उस स्थान तक फैला हुआ है जहाँ आपूर्ति का उपभोग किया जाता है।चूंकि विदेशी शिपिंग लाइन या विदेशी निर्यातक एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए भारतीय आयातक पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर लगाया जाता है क्योंकि सेवा का उपभोग भारत में किया जाता है।इसका उद्देश्य भारतीय शिपिंग लाइनों को विदेशी शिपिंग लाइनों की तरह प्रतिस्पर्धी बनाना है।आई. टी. सी. आयातक के लिए उपलब्ध है और इस तरह के रिवर्स चार्ज पर भुगतान किए गए कर की भरपाई आयातक के उत्पादन कर दायित्व में की जा सकती है।इसलिए, आयातक पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है-यह केवल तंत्र में परिवर्तन है।

डी.

ई.

((xviii) विदेशी शिपिंग लाइनों और भारतीय शिपिंग लाइनों के बीच खेल के मैदान को समतल करने के लिए एकीकृत कर आवश्यक था क्योंकि पूर्व को सेवा की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कोई कर लेने की आवश्यकता नहीं थी;

च

(XXX) सहकारी संघवाद की भावना को अनुच्छेद 279 ए (6) में परिकल्पित जी. एस. टी. परिषद के कामकाज का मार्गदर्शन करना चाहिए।इस न्यायालय द्वारा संघ में इसका समर्थन किया गया था

भारत बनाम वीकेसी फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **23**

जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि माल और सेवा कर की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता है।जी. एस. टी. परिषद को जी. एस. टी. कानून के हर पहलू पर निर्णय लेने का अधिकार है।जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें कार्यपालिका

और विधायिका के लिए बाध्यकारी हैं-जबकि वह अनुच्छेद 246 ए के तहत शक्ति द्वारा जी. एस. टी. से संबंधित कानून बनाती है।

जी.

23 (2022) 2 एस. सी. सी. 603 ("वी. के. सी. पदचिह्न")

एच.

343

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(XXX) जीएसटी परिषद एक मतदान संरचना के माध्यम से कानून, नियमों और अधिसूचनाओं की सिफारिश करती है जो अनुच्छेद 279 ए (6) और अनुच्छेद 279 ए (7) में कोरम आवश्यकताओं में निर्धारित है।प्रत्येक निर्णय एक सामान्य स्रोत से आता है।

(XXXI) जी. एस. टी. परिषद एकमात्र संवैधानिक निकाय है जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार विकसित करने की प्रक्रिया में वस्तु और सेवा कर की संरचना में सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करने के लिए दोनों संघीय इकाइयों के लिए एक अभिसरण बिंदु या एक मंच के रूप में कार्य करता है।

ग

() अनुच्छेद 246 ए में कहा गया है कि जी. एस. टी. कानूनों को लागू करने की शक्ति केवल भारत संघ और राज्यों के पास है। न तो अनुच्छेद 279 ए अनुच्छेद 246 ए को ओवरराइड कर सकता है और न ही अनुच्छेद 246 ए को अनुच्छेद 279 ए के अधीन बनाया जा सकता है। न्यायिक व्याख्या में इस तरह का सामंजस्य होना चाहिए कि संसद, राज्य विधानसभाएं और जी. एस. टी. परिषद एकजुट होकर काम करें; और

डी.

((xiii) इसलिए संवैधानिक योजना में दो-चरणीय प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है।जी. एस. टी. परिषद के पहले स्तर पर, अनुच्छेद 279 ए (6) में सहकारी संघवाद की परिकल्पना की गई है और अनुच्छेद 279 ए में गैर-बाध्यकारी खंड या अनुच्छेद 246 ए में 'अधीन' खंड के अभाव में, आवश्यकता या आवश्यकता यह है कि केंद्र और राज्य दोनों को सहयोगी संघवाद की प्रक्रिया के माध्यम से इस सहकारी संघवाद का समर्थन करना चाहिए; और

ई.

च

(आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1), विधायी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जी. एस. टी. परिषद को कुछ कार्यों को सौंपने का विकल्प चुनती है।भले ही अनुच्छेद 246 ए अनुच्छेद 279 ए के अनुच्छेद 246 ए के अधीन नहीं है, केंद्र और राज्य अनुच्छेद 246 ए (1) के तहत अपनी विधायी शक्ति और विवेक का प्रयोग करने के बाद जहां भी आवश्यकता हो, जीएसटी कानून के हर पहलू में जीएसटी परिषद की सिफारिशों को मानने के लिए सहमत हुए हैं।यह सहयोगी संघवाद की भावना है जिसका विवादित अधिसूचनाओं की संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हुए सम्मान किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

344 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

11. विद्वान ए. एस. जी. ने प्रत्युत्तर के माध्यम से निम्नलिखित पूरक प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

(i) एकीकृत कर का उद्देश्य विदेशी शिपिंग लाइनों और भारतीय शिपिंग लाइनों के बीच एक समान अवसर प्रदान करना है।यह एक तय सिद्धांत है कि एक विषय पर कर लगाने के लिए, राजस्व को हर चीज पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि एक भारतीय आयातक पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर है, और इसलिए आयातक 'कर योग्य व्यक्ति' की परिभाषा के तहत नहीं आता है।हालांकि, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (107) एक कर योग्य व्यक्ति को सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। धारा 24 अनिवार्य पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को वर्गीकृत करती है, और धारा 24 (iii) में रिवर्स चार्ज तंत्र द्वारा शासित व्यक्ति शामिल हैं;

ग

(iii) लघु उद्योग भारती बनाम भारत संघ 24 में, यह न्यायालय

डी.

रिवर्स चार्ज के आधार पर सेवा कर लगाने को रद्द कर दिया गया क्योंकि विधायिका उन व्यक्तियों की पहचान करने में विफल रही थी जिन पर सेवा कर लगाया जा सकता था, लागू किया जा सकता था और एकत्र किया जा सकता था।हालांकि, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) के साथ पठित धारा 2 (107) विशेष रूप से आयातक की पहचान एक कर योग्य व्यक्ति के रूप में करती है जो रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) भी कर योग्य व्यक्तियों के रूप में रिवर्स चार्ज पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को परिभाषित करती है।

ई.

(iv) प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया है कि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत, कर योग्य मूल्य केवल सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 और इसके संबंधित नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है।यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना 8/2017 पहली बार सी. आई. एफ. मूल्य के 10 प्रतिशत के मूल्यांकन को निर्धारित करती है, जो आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) का उल्लंघन करती है। अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 (4) और धारा 15 (5) के संदर्भ में, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 25 के नियम 27 से 31 बनाए गए हैं। राजस्व अवशिष्ट विधि की सहायता लेकर भी लेन-देन का आकलन कर सकता है।

च

जी.

24 1999 (6) एस. सी. सी. 418 (लघु उद्योग)

25 “ सी. जी. एस. टी. नियम "

एच.

345

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 31 के तहत निर्धारित।अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में निहित किसी भी विवेक को विनियमित किया जाना चाहिए।अधिसूचना 8,2017 में संशोधन करने और मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करने वाले 30 जून 2016 के शुद्धिपत्र को मूल्यांकन प्रथाओं में दुर्बलताओं से निपटने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में पढ़ा जा सकता है।यह मूल्यांकन करने के लिए केवल एक संदर्भ या दिशानिर्देश है।भले ही इसे लागू नहीं किया जाना था, राजस्व सी.

जी. एस. टी. नियमों के नियम 31 के तहत लेनदेन का आकलन कर सकता है।इस प्रकार, अधिसूचना 8/2017 सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 31 का उल्लंघन नहीं करती है, बल्कि केवल एकरूपता में सहायता करती है।

ग

(v) उत्तरदाता यह तर्क देने के लिए सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (87) और आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 पर भरोसा करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन केवल नियमों के माध्यम से हो सकता है, न कि अधिसूचनाओं के माध्यम से। हालांकि, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 (1), (2) और (3) मूल्य निर्धारित करती है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 (4) और 15 (5) उन मामलों से संबंधित है जहां धारा 15 (1) के तहत मूल्यांकन निर्धारित नहीं किया जा सकता है।सी. जी. एस. टी. नियमों का नियम 31 मूल्यांकन को "उचित साधनों" के माध्यम से संचालित करने में भी सक्षम बनाता है।इस प्रकार, प्रतिनिधि मंडल की परिकल्पना वैधानिक तंत्र में की गई है;

डी.

(vi) यदि "प्राप्तकर्ता द्वारा" अभिव्यक्ति को सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के तहत आने वाले के रूप में एक स्थिर अर्थ दिया जाना है, तो कोई व्यक्ति सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) के साथ पठित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) और 5 (3) के तहत रिवर्स चार्ज के लिए व्यक्तियों को सूचित करने की शक्ति को अस्वीकार कर रहा होगा।

ई.

(vii) वैकल्पिक रूप से, रिवर्स चार्ज की अवधारणा और रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को अधिसूचित करने की परिकल्पना वैधानिक तंत्र में की गई है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (98) रिवर्स चार्ज को "केवल प्राप्तकर्ता पर" लगाए जाने के रूप में परिभाषित करती है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) प्राप्तकर्ता को परिभाषित करती है। एक भारतीय आयातक छह तरीकों से प्राप्तकर्ता हो सकता है जिसे प्रस्तुतियों में विस्तार से बताया गया है।भारतीय आयातक सी. आई. एफ. आयात में सेवा के लिए कोई भुगतान नहीं करता है क्योंकि विदेशी निर्यातक द्वारा भुगतान किया जाता है।धारा 2 उदाहरणात्मक है और कठोर नहीं है।धारा 2 (84) के तहत परिभाषित एक "व्यक्ति" को सेवा का प्राप्तकर्ता माना जाता है यदि ऐसा व्यक्ति सी. जी. एस. टी. अधिनियम के 2 (93) के तहत शर्तों को पूरा करता है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) सभी पर लागू होने पर विचार करती है।

च

जी.

एच.

प्राप्तकर्ता के लिए अधिनियम के प्रावधान।यह तथ्य कि विदेशी निर्यातक द्वारा विदेशी शिपिंग लाइन को भुगतान किया जाता है, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की योजना को दूषित नहीं करता है जो रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

(viii) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) में कहा गया है कि माल का गंतव्य आपूर्ति का स्थान होगा, जो भारतीय क्षेत्र में है।भारत संघ बनाम जलयान उद्योग 26 के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कार्यपालिका द्वारा भी, यानी प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से, काल्पनिक कल्पनाएँ बनाई जा सकती हैं।

(ix) विदेशी निर्यातक और विदेशी शिपिंग लाइन के मामले में, भारत के साथ एक सांठगांठ है क्योंकि आयातक भारतीय होगा। प्रत्यक्ष कर में अग्रिम शुल्क कराधान की परिकल्पना की गई है।आयकर अधिनियम 1961 की धारा 9 (1) (6) भारत के बाहर रहने वाले गैर-निवासियों पर कर लगाती है क्योंकि आय भारत में उत्पन्न होती है।

ग

(x) दोहरे कराधान पर बी. एस. एन. एल. बनाम भारत संघ 27 में इस न्यायालय का निर्णय इस मामले में कोई लागू नहीं है क्योंकि यह पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था में वैट और सेवा कर के अतिव्याप्त होने के सवाल पर था और प्रविष्टि 97, सूची I के तहत सेवा कर लगाने के लिए संघ के अनन्य क्षेत्र पर प्रभाव के आधार पर निर्णय लिया गया था।

डी.

ई.

(xi) वैकल्पिक रूप से, एकीकृत कर आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4) से प्राप्त होता है जो सरकार को पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है जो एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से सामान या आपूर्ति प्राप्त करते हैं, जो प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करेंगे।यदि इस धारा को लागू माना जाता है, तो आयातक 1 फरवरी 2019 से कर के लिए उत्तरदायी होंगे, हालांकि 13 अक्टूबर 2017 से 31 जनवरी 2019 तक की अवधि के लिए छूट दी गई है।

च

(xii) अनुच्छेद 279 ए के तहत जी. एस. टी. परिषद का निर्माण सहयोगी संघवाद की भावना का प्रतीक है।जी. एस. टी. परिषद संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, विशेष रूप से अनुच्छेद 279 ए (6) के तहत, संघीय भागीदारों के बीच सद्भाव और संरेखण को बढ़ावा देने के लिए;

जी.

26 1994 (1) एस. सी. सी. 318

27 2006 (3) एससीसी 1 ("बीएसएनएल")

एच.

347

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(xiii) अनुच्छेद 279 ए (4) के तहत, जी. एस. टी. परिषद के निर्णय संघों और राज्यों के लिए सिफारिशों में बदल जाते हैं। जी. एस. टी. परिषद एकमात्र संवैधानिक निकाय है जो संघीय इकाइयों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण मामले में काम करने के लिए एक अभिसरण स्थान या मंच के रूप में कार्य करता है।जी. एस. टी. परिषद का प्रमुख कार्य निर्णय लेना है, जिन्हें सिफारिशों के रूप में व्यक्त किया जाता है।इन सिफारिशों को एक अनूठा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और इन्हें असाधारण परिस्थितियों में ओवरराइड किया जाता है।

(xiv) उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि निश्चित रूप से इनपुट कर तंत्र को सही करने के बजाय, राजस्व ने भारतीय आयातक पर रिवर्स चार्ज पर कर लगाने का विकल्प चुना है।यह एक अवधारणात्मक मुद्दे से अधिक एक नीति है।जब तक कर कानूनी और वैध है, तब तक कराधान के तरीके और तरीके पर सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है।एक बेहतर तरीके और तरीके के परिणामस्वरूप विधायी विवेक के प्रयोग को अमान्य या अवैध घोषित नहीं किया जाएगा; और

ग

डी.

(xv) विदेशी और भारतीय नौवहन लाइनों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत कर की शुरुआत की गई थी। संवैधानिकता का निर्धारण करते समय इस उद्देश्य की सराहना की जानी चाहिए।

बी**. 2** उत्तरदाता**-**मूल्यांकनकर्ता

ई.

12. 28 प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी श्रीधरन ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

(i) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत, सरकार रिवर्स चार्ज के आधार पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्दिष्ट नहीं कर सकती हैः

च

(क) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) में प्रावधान है कि सरकार वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिन पर वस्तुओं या सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा विपरीत शुल्क के आधार पर कर का भुगतान किया जाएगा।इस प्रकार, धारा 5 (3) के तहत शक्ति केवल आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट करने के लिए है, जबकि कर का भुगतान करने का दायित्व प्राप्तकर्ता पर निर्धारित है।सरकार धारा 5 (3) के तहत रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्दिष्ट नहीं कर सकती है।

जी.

28 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 3081,2021 की एसएलपी (सी) संख्या 1625 और 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 3760 में

एच.

(ख) अधिसूचना 10/2017 आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत जारी की गई है। चूंकि धारा 5 (3) से शक्ति का प्रवाह होता है, इसलिए सरकार एक अधिसूचना द्वारा केवल 'आपूर्ति की श्रेणियों' को निर्दिष्ट कर सकती है, क्योंकि कर के लिए देयता संसद द्वारा निर्धारित की गई है।

(ग) धारा 5 (3) के विपरीत, जी. एस. टी. लागू होने से पहले, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 (2) में प्रावधान किया गया था कि सेवा कर का भुगतान "इस तरह के आई. डी. 1" द्वारा किया जाएगा।उस मामले में, कर की देनदारी कानून द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी; (घ) सी. जी. एस. टी. अधिनियम और आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत, एकमात्र स्थान जहां आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, वह आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (5) के तहत है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक जिसके माध्यम से आपूर्ति की जाती है, उस पर कर लगाया जाता है; और

ग

(ङ) यदि संसद किसी आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कर एकत्र करने की इच्छा रखती है, तो उसने कानून में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान किया होगा।चूँकि संसद ने कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया है, इसलिए यह प्रत्यायोजित कानून द्वारा शासित होने का मामला नहीं है।

डी.

ई.

((ii) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (98) 'रिवर्स चार्ज' को ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने के दायित्व के रूप में परिभाषित करती है।दूसरे शब्दों में, केवल प्राप्तकर्ता को ही प्रतिवर्ती शुल्क के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है और प्रतिवर्ती शुल्क को आपूर्ति प्राप्तकर्ता से अलग नहीं किया जा सकता है।

च

(iii) धारा 5 (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि (i) कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा और (ii) कर प्राप्तकर्ता द्वारा देय है।

जी.

(iv) जी. एस. टी. कानून में एक आपूर्ति के लिए केवल एक प्राप्तकर्ता पर विचार किया गया है:(क) ए. एस. जी. की यह व्याख्या कि विदेशी निर्यातक सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के खंड (ए) के तहत प्राप्तकर्ता है और भारतीय आयातक सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के खंड (सी) के तहत प्राप्तकर्ता है, बेतुकी बात है।

एच.

349

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(ख) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के तहत, 'प्राप्तकर्ता' को तीन स्थितियों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है-(ए) जहां वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए प्रतिफल देय है, (बी) जहां वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है और (सी) जहां किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है।धारा 2 (93) के खंड (ए), (बी) और (सी) परस्पर अनन्य हैं और एक साथ लागू नहीं हो सकते हैं।यदि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति विचार के लिए है, तो खंड (ए) लागू होता है और प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जो प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

ग

(ग) आपूर्ति का लाभार्थी कौन है या आपूर्ति किसे मिली है, यह सवाल सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के तहत 'प्राप्तकर्ता' का निर्धारण करने में अप्रासंगिक है।

(घ) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (3) के तहत सेवा की आपूर्ति 'अंतर-राज्यीय आपूर्ति' है या आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत 'अंतर-राज्यीय आपूर्ति' आपूर्तिकर्ता के स्थान और आपूर्ति के स्थान पर निर्भर करती है।यदि एक ही आपूर्ति के दो प्राप्तकर्ता हैं, जैसा कि ए. एस. जी. द्वारा तर्क दिया गया है, तो लेनदेन अंतर-राज्य के साथ-साथ अंतर-राज्य आपूर्ति भी हो सकता है।संसद द्वारा ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है।

डी.

ई.

(ङ) केवल आपूर्ति प्राप्तकर्ता ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का हकदार है।यदि एक ही आपूर्ति के दो प्राप्तकर्ता हैं, तो दो व्यक्तियों को आपूर्तिकर्ता द्वारा कर क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति होगी।

च

(च) कर की दर अक्सर आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर निर्भर करती है।उदाहरण के लिए, सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों या धर्मार्थ संस्थानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को छूट दी जाती है या कर की कम दर के लिए उत्तरदायी होती है।यदि दो प्राप्तकर्ता हैं, तो इसके परिणामस्वरूप विसंगति होगी; और

जी.

(छ) यहां तक कि वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े तीन-पक्षीय लेन-देन के मामले में भी, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 10 (1) (बी) में प्रावधान है कि वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का व्यवसाय का प्रमुख स्थान है, न कि उस व्यक्ति को जिसे सामान दिया जाता है।

एच.

(v) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) का अंतिम चरण प्राप्तकर्ता की एक अलग श्रेणी नहीं बनाता हैः

(क) धारा 2 (93) प्राप्तकर्ताओं की तीन श्रेणियों का प्रावधान करती है, अर्थात्, जहां माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रतिफल देय है; जहां माल की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है; और जहां सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है;

(ख) धारा 2 (93) में यह भी प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है, उसके बारे में किसी भी संदर्भ को आपूर्ति प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में माना जाएगा और इसमें प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करने वाला एक एजेंट शामिल होगा; और

ग

(ग) उपरोक्त प्रावधान का तात्पर्य है कि यदि अधिनियम 'प्राप्तकर्ता' शब्द का उपयोग नहीं करता है, लेकिन उस व्यक्ति का संदर्भ देता है जिसे आपूर्ति की जाती है, तो उन्हें 'प्राप्तकर्ता' के रूप में माना जाएगा।हालाँकि, यह प्राप्तकर्ता की एक नई श्रेणी नहीं बनाता है।

डी.

(vi) जी. एस. टी. के लिए कर योग्य घटना वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' है।आपूर्ति के अभाव में, आई. जी. एस. टी., सी. जी. एस. टी. या राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 के तहत कोई कर नहीं लगाया जा सकता हैः(क) संविधान के अनुच्छेद 366 (12 ए) में 'वस्तु और सेवा कर' को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की 'आपूर्ति' पर कर के रूप में परिभाषित किया गया है।

ई.

(ख) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5, जो कर लगाने के लिए प्रभार अनुभाग है, में यह भी कहा गया है कि आई. जी. एस. टी. वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय 'आपूर्ति' पर लगाया जाएगा; और

च

(ग) प्रत्येक लेन-देन की करयोग्यता निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।आपूर्ति का लेन-देन अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच होता है, यानी जिनके कहने पर आपूर्ति की जाती है।

जी.

(vii) सी. जी. एस. टी. अधिनियम में अनुसूची I में निर्दिष्ट आपूर्ति के अलावा, विचार किए बिना कर योग्य आपूर्ति की परिकल्पना नहीं की गई हैः(क) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) का खंड (क) 'आपूर्ति' शब्द को वस्तुओं की आपूर्ति के सभी रूपों के रूप में परिभाषित करता है या

एच.

351

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए विचार के लिए की गई सेवाएँ।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) के खंड (बी) में प्रावधान है कि विचार के लिए सेवा के आयात को 'आपूर्ति' शब्द में शामिल किया जाएगा, भले ही यह व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए न किया गया हो।खंड (सी) में प्रावधान है कि अनुसूची I में निर्दिष्ट गतिविधियों को 'आपूर्ति' शब्द में शामिल किया जाएगा, भले ही वे बिना विचार के किए गए हों;

(ख) खंड (क) को पूरा करने के लिए दो शर्तों की आवश्यकता होती हैः((i) यह गतिविधि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए की गई है और (ii) विचार के लिए की गई है।खंड (ख) में, व्यवसाय के दौरान की जा रही आपूर्ति की शर्त अनुपस्थित है।खंड (ग) में, प्रतिफल के लिए की जा रही आपूर्ति की शर्त को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यह केवल अनुसूची I में प्रदान की गई गतिविधियों के लिए है; और

ग

डी.

(ग) यह तर्क कि अनुसूची I में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए विचार किए बिना आपूर्ति की जा सकती है, धारा 7 (1) के खंड (ग) को निरर्थक बना देगा।

(viii) अधिसूचना 10/2017 को आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत कायम नहीं रखा जा सकता हैः

ई.

(क) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की अपरिवर्तित धारा 5 (4) में प्रावधान है कि एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा एक पंजीकृत व्यक्ति को की गई आपूर्ति के संबंध में एकीकृत कर का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा आपूर्ति प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा।

च

(ख) यह खंड एक स्वतंत्र खंड था, जो अपने दम पर काम कर रहा था, और अधिसूचना के माध्यम से कुछ भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी।इस प्रकार, अधिसूचना 10/2017 को धारा 5 (4) के तहत कायम नहीं रखा जा सकता है।

जी.

(ग) वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसरण में, 1 फरवरी 2019 से धारा 5 (4) में संशोधन किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि सरकार, जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, अधिसूचना द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है जो निर्दिष्ट श्रेणियों की आपूर्ति के संबंध में -

एच.

352

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त वस्तु या सेवाएँ या दोनों, प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करते हैं;

(घ) अधिसूचना 10/2017 को उचित ठहराने के लिए आई. जी. एस. टी. अधिनियम की संशोधित धारा 5 (4) पर सरकार द्वारा रखी गई निर्भरता गलत हैः

• 28 जून 2017 को जब विवादित अधिसूचना जारी की गई थी, उस समय धारा 5 (4) के तहत रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्ति के वर्ग को निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना जारी करने की कोई शक्ति नहीं थी।1 फरवरी 2019 से संशोधन द्वारा शक्ति प्रदान की गई है।• सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है, उसके बारे में किसी भी संदर्भ को आपूर्ति प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।इस प्रकार, धारा 5 (4) के तहत जिस व्यक्ति ने आपूर्ति प्राप्त की है, वह आपूर्ति का प्राप्तकर्ता है।धारा 5 (4) के संशोधन के बाद भी, केवल प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है; और

ग

डी.

• सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (98) 'रिवर्स चार्ज' को आपूर्तिकर्ता के बजाय आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने के दायित्व के रूप में परिभाषित करती है।इस प्रकार, केवल प्राप्तकर्ता को ही रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

ई.

(ix) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) केवल आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है न कि आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के लिए।चाहे सेवा की आपूर्ति आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (6) (ए) के तहत सेवाओं का निर्यात हो या आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (4) के साथ पठित धारा 2 (11) के तहत सेवाओं का आयात; या सेवा की अंतर-राज्यीय आपूर्ति, धारा 13 (9) द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है;

च

जी.

(x) अधिसूचना 10/2017 आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत जी. एस. टी. परिषद की सिफारिश पर जारी की गई है न कि संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत।यदि जी. एस. टी. परिषद आयातक को आपूर्ति प्राप्तकर्ता मानने की सिफारिश करना चाहती है, तो ए.

एच.

353

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

कार्यान्वयन आई. जी. एस. टी. अधिनियम में संशोधन करना और संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(xi) कर या लेवी का उद्देश्य एक अतिमान्यता को मान्य नहीं कर सकता है।

अधिकार शुल्कः

(क) सरकार ने तर्क दिया है कि गैर-कर योग्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा किसी गैर-कर योग्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली भारत में माल के परिवहन की सेवाओं पर कर लगाने की शुरुआत भारतीय शिपिंग लाइनों के लिए विदेशी शिपर्स के साथ समानता बनाने के लिए की गई है।

ग

(ख) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 (2) के विपरीत आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) में भाषा में परिवर्तन पर विचार किए बिना पूर्ववर्ती सेवा कर व्यवस्था से लेवी और रिवर्स चार्ज के लिए अधिसूचना को जी. एस. टी. व्यवस्था में हटा दिया गया है।इस प्रकार, अधिसूचना अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है;

डी.

(xii) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की योजना में आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नहीं माना गया हैः

(क) सेवाओं की आपूर्ति का समय सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 12 और 13 के साथ आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 20 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। धारा 12 वस्तुओं की आपूर्ति के समय से संबंधित है और धारा 13 सेवाओं की आपूर्ति के समय से संबंधित है।

ई.

(ख) धारा 13 (1) में कहा गया है कि सेवाओं पर कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्ति के समय उत्पन्न होता है।उप-धारा (2) अग्रिम शुल्क के आधार पर आपूर्ति का समय निर्धारित करती है।उप-धारा (3) आपूर्ति के समय से संबंधित है जब कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय होता है।इस उप-धारा के तहत, सेवाओं की आपूर्ति का समय प्राप्तकर्ता के खातों में दर्ज भुगतान की सबसे पुरानी तारीख या बैंक खाते में डेबिट की तारीख या आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान के अंतिम जारी होने की तारीख से साठ दिन है।इस प्रकार, प्राप्तकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आपूर्ति का समय निर्धारित नहीं कर सकता है।

च

जी.

(ग) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (5) केवल गुप्त रूप से आपूर्ति के समय का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक है।

एच.

कर की आपूर्ति या चोरी और इसका उपयोग समुद्री माल ढुलाई सेवाओं के लिए आपूर्ति के समय को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है; (घ) विवरणी दाखिल करने से संबंधित प्रावधान लागू होते हैं चाहे कोई व्यक्ति आपूर्ति का आपूर्तिकर्ता हो या प्राप्तकर्ता, या केवल बाहरी आपूर्ति और आंतरिक आपूर्ति पर लागू होते हैं।समुद्री माल ढुलाई सेवा की आपूर्ति न तो आंतरिक आपूर्ति है और न ही बाहरी आपूर्ति।

(xiii) सी. आई. एफ. अनुबंधों के मामले में, ग्राहक गंतव्य के बंदरगाह पर वितरित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध करता है।माल के परिवहन के लिए अनुबंध विदेशी निर्यातक द्वारा विदेशी शिपर के साथ किया जाता है।इस प्रकार, विदेशी प्रेषक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति विदेशी निर्यातक है।भारत में माल का आयातक वह व्यक्ति नहीं है जो प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, और इस प्रकार, वह सेवा का 'प्राप्तकर्ता' नहीं है;

(xiv) विदेशी निर्यातक के साथ भारतीय आयातक का अनुबंध वितरित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए होता है।परिवहन सेवा कच्चे माल, विनिर्माण लागत या आपूर्तिकर्ता की कर्मचारी लागत के समान वस्तुओं की आपूर्ति का एक घटक है।यह तर्क देना कि खरीदार को कच्चे माल की आपूर्ति या किसी कर्मचारी की सेवाएँ मिली हैं, अतार्किक है।इसी तरह, यह तर्क कि भारतीय आयातक को परिवहन सेवाएं मिली हैं, तर्कहीन है; और

डी.

ई.

(xv) अधिसूचना 8/2017 के क्रम संख्या 9 (ii) को पैरा 4 के साथ पढ़ा जाता है और 2017 की अधिसूचना संख्या 9 की क्रम संख्या 10-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2019 में गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन किया गया है।ये अधिसूचनाएं निर्यातक को समुद्री माल ढुलाई की सेवा के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता देती हैं।

च

(xvi) ए. एस. जी. का यह तर्क कि आयात के समय माल पर भुगतान किया गया आई. जी. एस. टी. एक सीमा शुल्क है न कि कर, और इस प्रकार, निर्यातक से समुद्री माल ढुलाई पर कोई दोहरा कर वसूल नहीं किया जाता है, गलत हैः

जी.

(क) वर्तमान मामले में वस्तुओं की एकमुश्त खरीद शामिल है और इस प्रकार, यह जी. एस. टी. के तहत वस्तुओं की आपूर्ति और सीमा शुल्क कानून के अनुसार वस्तुओं का आयात है।मुद्दा ए

एच.

355

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

यह है कि क्या लेन-देन सीमा शुल्क कानून के तहत माल का आयात है, लेकिन जी. एस. टी. कानून के तहत सेवा की आपूर्ति है; (बी) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) शुल्क लगाने की धारा है।धारा 5 (1) के प्रावधान में कहा गया है कि भारत में आयातित वस्तुओं पर एकीकृत कर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत निर्धारित मूल्य पर और उस समय लगाया जाएगा जब सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत लगाया जाता है।

(ग) सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 3 (7) में प्रावधान है कि भारत में आयातित कोई भी वस्तु, इसके अलावा, एकीकृत कर के लिए उत्तरदायी होगी।

ग

(घ) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) और सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 3 (7) दोनों के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि भारत में आयातित माल एकीकृत कर के लिए उत्तरदायी होगा।

डी.

(ई) यह तर्क कि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) के प्रावधान में 'आपूर्ति' शब्द नहीं है और इस प्रकार, माल के आयात पर कर लगाया जाता है, चाहे लेनदेन आपूर्ति हो या नहीं, गलत है;

ई.

(च) परंतुक में 'आपूर्ति' शब्द की अनुपस्थिति से ऐसा चरम परिणाम नहीं निकलेगा कि माल के आयात का लेन-देन आपूर्ति नहीं होने पर भी आई. जी. एस. टी. के लिए देय हो जाएगा।

च

(छ) सी. जी. एस. टी. अधिनियम में विभिन्न उदाहरणों जैसे धारा 11 (1), धारा 12 (1), धारा 13 (1) और धारा 49 (9) में 'आपूर्ति' शब्द को हटा दिया गया है और केवल वस्तुओं या सेवाओं पर कर का भुगतान करने के दायित्व का उल्लेख किया गया है; (ज) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (7) के साथ पठित परंतुक का तात्पर्य है कि कर केवल भारत में आयातित वस्तुओं की आपूर्ति पर ही लगाया जाता है।

जी.

(i) वस्तुओं के आयात पर आई. जी. एस. टी. के रूप में एकत्र की गई राशि को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

एच.

संविधान का अनुच्छेद 269 ए वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर जी. एस. टी. के विभाजन का प्रावधान करता है।यदि आयात आई. जी. एस. टी. एक सीमा शुल्क था, तो राजस्व आय को संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार वितरित किया जाएगा।

(जे) जी. एस. टी. की शुरुआत के समय, सरकार की समझ उपरोक्त कानूनी स्थिति के अनुरूप थी और तदनुसार, सरकार ने आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत एस. ई. जेड. इकाई या विकासकर्ता से आयातित वस्तुओं और सेवाओं को छूट देने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसके बाद, सरकार ने उपरोक्त छूट अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया और सीमा शुल्क अधिनियम और आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं; और

ग

(के) सरकार ने पट्टे या अस्थायी आयात आधार पर वस्तुओं के आयात के मामले में आई. जी. एस. टी. के भुगतान से छूट देने के लिए विभिन्न अधिसूचनाएं भी जारी की हैं।सरकार का इरादा उन वस्तुओं के आयात के मामले में आई. जी. एस. टी. लागू करना नहीं है जो आपूर्ति के बराबर नहीं हैं।13. प्रतिवादी 30 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया हैः

डी.

ई.

(i) सी. आई. एफ. अनुबंध एक समावेशी मूल्य है जिसमें अनुबंध में निर्दिष्ट गंतव्य तक माल की ढुलाई के लिए देय माल, बीमा और माल ढुलाई की लागत शामिल है।अनुबंध का सार यह है कि एक विक्रेता अनुबंध के अनुसार माल भेजता है, खरीदार को उचित शिपिंग दस्तावेजों की निविदा देकर सौदे के अपने हिस्से को पूरा कर सकता है।यदि वह ऐसा करता है, तो वह उल्लंघन में नहीं है, भले ही इस तरह की निविदा से पहले माल खो जाए।हानि की स्थिति में, खरीदार को दस्तावेजों की निविदा पर मूल्य का भुगतान करना चाहिए और उसका उपाय वाहक के खिलाफ है लेकिन विक्रेता के खिलाफ नहीं।

च

जी.

((ii) सी. आई. एफ. अनुबंध के दो घटक होते हैंः(i) माल ढुलाई के लिए कीमत का भुगतान किया जाता है, और (ii) खरीदार कभी भी इसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होता है।पोत के मालिक जो अनुबंध का अनुबंध करता है, उसे आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध की गोपनीयता होती है

30 2020 ए का सीए सं. 13958

एच.

357

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

माल और आपूर्तिकर्ता को सेवा प्रदान कर रहा है।यदि सेवा प्राप्त नहीं होती है, तो रिवर्स चार्ज का सवाल ही नहीं उठता है।

(iii) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और 5 (4) केवल कर संग्रह के लिए तंत्र प्रावधान हैं, न कि प्रभार प्रावधानः

(क) धारा 5 (1) प्रभार अनुभाग है जो आई. जी. एस. टी. लगाता है। चूंकि समुद्री माल ढुलाई पर धारा 5 (1) के तहत कोई अलग शुल्क नहीं है, क्योंकि यह उन वस्तुओं का आयात है जो पहले से ही सी. आई. एफ. मूल्य पर आई. जी. एस. टी. से पीड़ित हैं, इसलिए रिवर्स चार्ज का सवाल ही नहीं उठता है।

ग

(ख) धारा 5 (1) के परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि 'निर्धारित मूल्य' केवल कर का माप है न कि कर का विषय; और

(ग) धारा 5 (3) को प्रभार अनुभाग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इससे सरकार के लिए धारा 5 (1) और 5 (3) के तहत अलग-अलग कर लगाना और दोनों छोरों पर सेवाओं के लिए शुल्क लेना संभव हो जाएगा।

डी.

(iv) आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत विचार किए गए प्रकार के सी. आई. एफ. अनुबंध में एक कर योग्य घटना होनी चाहिए। यदि ऐसी कोई घटना नहीं होती है, तो इसे जी. एस. टी. परिषद द्वारा प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता है।एक वैधानिक कल्पना का अभाव है जिसके द्वारा एक सी. आई. एफ. अनुबंध को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध में विभाजित किया जा सकता है, और कल्पना की एक दूसरी परत बनाई जा सकती है जिसके द्वारा शिपर माल के आपूर्तिकर्ता को सेवा प्रदान कर रहा है।इस प्रकार, जी. एस. टी. परिषद द्वारा कर लगाने का सवाल ही नहीं उठता है।

ई.

च

(v) वर्तमान मामले में सी. आई. एफ. के आधार पर कोयले के आयात के लेन-देन में, प्राप्तकर्ता सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के खंड (ए) के तहत आएगा क्योंकि शिपिंग की सेवा के लिए विचार देय है।केवल यह तथ्य कि एक भारतीय प्राप्तकर्ता है, भारतीय प्राप्तकर्ता को अनुबंध के तहत अलग से भुगतान करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।भारतीय प्राप्तकर्ता केवल वस्तुओं का प्राप्तकर्ता होता है, सेवा का नहीं।

जी.

(vi) कानून धारा 2 (93) के साथ पठित धारा 2 (30) के तहत सी. आई. एफ. अनुबंध की अखंडता को मान्यता देता है और बनाए रखता है, और

एच.

धारा 8.इन धाराओं में यह प्रावधान करके एक समग्र अनुबंध की अखंडता को बनाए रखा गया है कि जहां माल बीमा और माल ढुलाई के साथ आता है, कर केवल माल की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

(vii) उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चुनौती के तहत अधिसूचनाएं अधिकार से बाहर थीं।सरकार ने यह आग्रह नहीं किया है कि इनमें से कोई भी निष्कर्ष गलत है और केवल यह तर्क दिया है कि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) एक वैध कर कानून के सभी अवयवों को संतुष्ट करती है।

(viii) अधिसूचना 8/2017 आई. जी. एस. टी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) केवल दरों के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती है और अन्य प्रावधानों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।धारा 5 (1) सरकार को 'सेवा के विवरण' को परिभाषित करने का अधिकार नहीं देती है जो एक आवश्यक विधायी कार्य है।

ग

(ix) अधिसूचना 8/2017 की प्रविष्टि 9 (ii) माल के आयात में समुद्री माल ढुलाई पर कर लगाती है।हालाँकि, ऐसी शक्ति क़ानून में प्रदान नहीं की गई है;

डी.

(x) अधिसूचना 8/2017 का पैरा 4 'सेवा मूल्य' को सी. आई. एफ. मूल्य के 10 प्रतिशत के रूप में निर्धारित करता है, जो सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 (1) के विपरीत है जो 'लेनदेन मूल्य' कहता है;

ई.

(xi) अनुच्छेद 366 (12 ए) माल और सेवा कर को केवल माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के रूप में परिभाषित करता है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 ने वस्तुओं की एकल आपूर्ति, सेवाओं की एकल आपूर्ति और 'वस्तुओं या सेवाओं या दोनों' की एकल आपूर्ति के बीच स्पष्ट अंतर किया है।धारा 7 (4) भारत में आयातित एकल सेवाओं को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में मानती है और वस्तुओं के आयात के लेन-देन में समुद्री माल ढुलाई मानते हुए कृत्रिम रूप से विभाजित नहीं होती है।

च

(xii) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 का उस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है जो वस्तुओं के आयात से संबंधित है न कि एकल सेवाओं से।धारा 13 एकल सेवाओं का उल्लेख करते हुए सेवाओं की आपूर्ति के स्थान पर लागू होती है, और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होने के लिए 'दोनों' शब्द का उपयोग नहीं करती है; और

जी.

(xiii) आई. जी. एस. टी. अधिनियम का कोई अतिरिक्त-क्षेत्रीय अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है।ए की धारा 2 (109) के तहत

एच.

सी. जी. एस. टी. अधिनियम, कर योग्य क्षेत्र का अर्थ है वह क्षेत्र जिस पर अधिनियम लागू होता है।इसके अलावा, जीवीके इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) का कहना है कि संसद किसी अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलू के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जब उसकी भारत के साथ सांठगांठ हो।हालाँकि यह प्रत्यायोजित कानून को इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं देता है।इस प्रकार, विवादित अधिसूचनाओं द्वारा कर दायरे में लाई गई गतिविधि आई. जी. एस. टी. अधिनियम के विपरीत है।
14.प्रतिवादी 31 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने प्रस्तुत किया हैः

(i) अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर) के माध्यम से समुद्री माल ढुलाई पर आई. जी. एस. टी. का अधिरोपण अतिरिक्त-क्षेत्रीय है और आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (22) के साथ पठित धारा 1 अधिकार से बाहर हैः

ग

(क) लगाया गया शुल्क भारत के क्षेत्र के बाहर, जो कर योग्य क्षेत्र के बाहर है, विदेशी विक्रेता/निर्यातक को शिपिंग लाइन द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं के परिवहन की सेवा पर है;

डी.

(ख) भारत के साथ सेवा का एकमात्र संबंध यह है कि सेवा के परिणामस्वरूप भारत में वस्तुओं का आयात होता है।हालांकि, यह गतिविधि पहले से ही आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत आई. जी. एस. टी. और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा शुल्क के अधीन है।

ई.

(ग) आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले शुल्क के लिए, सेवा सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित आई. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक 'आपूर्ति' होनी चाहिए। हालाँकि, सी. जी. एस. टी. अधिनियम और आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 1 भारत के क्षेत्र तक सीमित है।इस प्रकार, भारत के क्षेत्र के बाहर प्राप्त किसी भी सेवा को आई. जी. एस. टी. अधिनियम या सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत 'आपूर्ति' नहीं माना जा सकता है।

च

(घ) किसी अतिरिक्त-क्षेत्रीय सेवा पर शुल्क लगाने के लिए, एक वैधानिक प्रावधान के रूप में एक काल्पनिक धारणा होनी चाहिए जो एक गैर-निवासी निर्यातक को एक जहाज द्वारा परिवहन की आपूर्ति को मानता है।इस मामले में, इस तरह की काल्पनिक कल्पना मौजूद नहीं है।

जी.

31 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 3462

एच.

360

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

इस प्रकार, परिवहन सेवा को आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत 'आपूर्ति' नहीं माना जा सकता है।

(ई) केवल एक बार जब भारत के क्षेत्र के बाहर प्रदान की जाने वाली सेवा को क़ानून के माध्यम से 'आपूर्ति' माना जाता है, तो आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का निर्धारण हो सकता है;

(च) विवादित अधिसूचना के माध्यम से, विदेशों में किए गए माल ढुलाई शुल्क पर भारत में इस आधार पर कर लगाने की मांग की जाती है कि सेवा प्राप्तकर्ता भारत में है।यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो विदेश में प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा (जैसे बीमा या आनुषंगिक सेवाएं) पर भारत में इस आधार पर कर लगाया जा सकता है कि प्राप्तकर्ता भारत में है।यह प्रथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान कानूनों के विपरीत है और इससे भारतीय आयातकों को कठिनाई होगी।

ग

डी.

(छ) संविधान के अनुच्छेद 245 (2) में कहा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि इसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन है।हालाँकि, 'संसद द्वारा बनाया गया कानून' अभिव्यक्ति में कार्यकारी अधिसूचनाएँ शामिल नहीं हैं, भले ही वे जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर की गई हों; और

ई.

(ज) प्राथमिक विधान के माध्यम से भारत के क्षेत्र के बाहर कर लगाया जा सकता है।उदाहरण के लिए, प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 6 और 7 के तहत, एक कानूनी कल्पना बनाई गई है जिसके द्वारा भारत को विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ में कर लगाने की शक्ति है।इस कल्पना के अनुसार, महाद्वीपीय शेल्फ में तेल ड्रिलिंग रिग को की गई आपूर्ति पर सीमा शुल्क लगाने वाली अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।इस आशय के प्राथमिक कानून या वैधानिक प्रावधान के अभाव में, अधिसूचनाएं भारत के बाहर होने वाली गतिविधियों पर शुल्क नहीं लगा सकती हैं।

च

जी.

((ii) सी. आई. एफ. अनुबंध का मूल्य अविभाज्य है, जिससे ऐसे अनुबंध पर कर की गणना असंभव हो जाती हैः

एच.

361

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(क) सी. आई. एफ. अनुबंध के मूल्य को कृत्रिम रूप से विच्छेदित करने का एकमात्र तरीका क़ानून के माध्यम से है, जो इस मामले में अनुपस्थित है;

(ख) यदि इस तरह के विभाजन की अनुमति दी जाती है, तो सरकार न केवल समुद्री माल ढुलाई, बल्कि बीमा सेवाओं पर भी कर लगा सकेगी; और

(ग) सी. आई. एफ. आधार पर अनुबंधों पर शुल्क भारतीय प्राप्तकर्ताओं के लिए कठिनाइयों का कारण बनेगा।सी. आई. एफ. अनुबंधों में प्रवेश करने का लाभ यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी आपूर्तिकर्ता परिवहन और बीमा की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है।हालांकि, यदि कोई सी. आई. एफ. अनुबंध जी. एस. टी. के अधीन किया जाता है, तो भारतीय आयातकों को माल के परिवहन, बीमा पॉलिसी बुक करने और शिपिंग की व्यवस्था करने के लिए अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी।

ग

डी.

(iii) ए. एस. जी. का समुद्री माल ढुलाई पर जी. एस. टी. लगाने को सही ठहराने के लिए सांठगांठ के सिद्धांत पर भरोसा करना, इसकी तुलना भारत में उपार्जित आय पर आयकर लगाने या भारत में आयातित वस्तुओं पर लगाए गए सीमा शुल्क से करना-गलत हैः

(क) आयकर लगाने के मामले में, सांठगांठ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 5 (2) के तहत एक काल्पनिक धारणा के माध्यम से प्रदान की जाती है, जहां एक गैर-निवासी केवल तभी कर के लिए उत्तरदायी होता है जब आय को भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाता है;

ई.

(ख) सीमा शुल्क के मामले में, कर लगाने की घटना भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तु है; और

च

(ग) इस तरह के प्रावधान के अभाव में, भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली माल ढुलाई सेवाओं को केवल इसलिए भारत में प्राप्त नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्राप्तकर्ता भारत में है।

जी.

(iv) आयातक सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के तहत सेवाओं का 'प्राप्तकर्ता' नहीं हैः

(क) धारा 2 (93) के खंड (ग) के तहत, जब सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई देय राशि देय नहीं है, तो वह व्यक्ति जिसे सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वह है -

एच.

सेवा प्राप्तकर्ता।हालांकि, इस मामले में, आयातक सेवा प्राप्तकर्ता नहीं है क्योंकि आयातक प्रतिफल का भुगतान नहीं करता है या सेवाओं को प्राप्त नहीं करता है।

(ख) ए. एस. जी. का यह तर्क कि आयातक एक 'प्राप्तकर्ता' है क्योंकि वे अंतिम लाभार्थी हैं, क़ानून में अनुपस्थित शब्दों को जोड़कर धारा 2 (93) के दायरे को बढ़ाता है;

(ग) भले ही अंतिम लाभार्थी को प्राप्तकर्ता माना जाता है, आयातक माल के परिवहन की सेवा का लाभार्थी नहीं है।सी. आई. एफ. अनुबंध की शर्तों के तहत, विदेशी विक्रेता माल के परिवहन की व्यवस्था करने के लिए बाध्य है जिसके लिए वह एक शिपिंग लाइन की सेवाओं को संलग्न करता है।इस प्रकार, विदेशी विक्रेता अंतिम लाभार्थी है;

ग

(घ) आयातक केवल आयातित वस्तुओं का लाभार्थी होता है, जिसका मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम के साथ-साथ आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत सीमा शुल्क के रूप में कर योग्य है; और

डी.

(ङ) इसके अतिरिक्त, धारा 2 (93) के खंड (ग) पर निर्भरता नहीं रखी जा सकती क्योंकि यह केवल उन आपूर्ति को संदर्भित करता है जिनके लिए प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाता है जैसा कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची I में उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची बिना किसी विचार के आपूर्ति के रूप में मानी जाने वाली गतिविधियों को सूचीबद्ध करती है।

ई.

(v) समुद्री माल ढुलाई पर आई. जी. एस. टी. लागू होने से दोहरा कर लगेगाः

च

(क) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (7) में कहा गया है कि भारत में आयातित माल आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 के तहत धारा 3 (8) और धारा 3 (8) (ए) द्वारा निर्धारित मूल्य पर आई. जी. एस. टी. के अधीन होगा।धारा 3 (8) के तहत, मूल्य में माल ढुलाई का मूल्य शामिल है; और

जी.

(बी) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम 2007 के नियम 10 में माल के मूल्य में परिवहन और बीमा की लागत शामिल है, ए

एच.

363

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

जो आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान के तहत आई. जी. एस. टी. के उद्ग्रहण का आधार है। समुद्री माल ढुलाई पर आई. जी. एस. टी. का विवादित शुल्क इस प्रकार एक ही लेन-देन पर दोहरे कराधान के बराबर होगा।

(vi) विवादित शुल्क को उचित ठहराने के लिए ए. एस. जी. की 'पहलू सिद्धांत' पर निर्भरता गलत हैः

(क) ए. एस. जी. ने 'पहलू सिद्धांत' पर भरोसा किया और कहा कि विवादित अधिसूचना समुद्री माल ढुलाई के 'सेवा' तत्व पर कर लगाती है, जबकि 'माल' तत्व पर आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान के तहत कर लगाया जाता है। तथापि, बी. एस. एन. एल. (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस तरह का दृष्टिकोण अस्वीकार्य है;

ग

(ख) पहलू सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि माल ढुलाई तत्व को आई. जी. एस. टी. लागू करके शामिल किया जाता है; और

डी.

(ग) भारत में पहलू सिद्धांत लेनदेन के दो अलग-अलग पहलुओं या विशेषताओं के कराधान की अनुमति देता है।उदाहरण के लिए, एक खानपान अनुबंध में, भोजन की आपूर्ति मूल्य वर्धित कर के अधीन थी और सेवा पहलू सेवा कर के अधीन था। हालांकि, पहलू सिद्धांत समान राशि या मूल्य के दोहरे कराधान की अनुमति नहीं देता है।

ई.

(vii) संविधान के अनुच्छेद 279 ए द्वारा बनाई गई जी. एस. टी. परिषद एक अनुशंसित निकाय है, जिसकी सिफारिशों को सी. जी. एस. टी. अधिनियम या आई. जी. एस. टी. अधिनियम में संशोधन करके या अधिसूचना जारी करके लागू किया जा सकता है।हालांकि, जारी की गई अधिसूचनाएं मूल कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हो सकती हैं।

च

(viii) सहकारी संघवाद के सिद्धांत इस मामले में प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि उन पर उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय नहीं लिया गया था।अपील को अपने दायरे का विस्तार किए बिना विवादित निर्णय की शुद्धता का परीक्षण करना चाहिए; और

जी.

(ix) संविधान के अनुच्छेद 279 ए की व्याख्या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था और वर्तमान अपील विवादित अधिसूचना की वैधता तक ही सीमित होनी चाहिए।

एच.

15. उपरोक्त के अलावा, प्रतिवादी 32 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विक्रम नानकानी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

(i) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (4) में प्रावधान है कि भारत के क्षेत्र में आयातित सेवाओं की आपूर्ति को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (11) "सेवाओं के आयात" को परिभाषित करती है जब सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित होता है, सेवा का प्राप्तकर्ता भारत में स्थित होता है और सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत में होता है।जब इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि भारत के क्षेत्र में सेवाओं के आयात के मामले में, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान भारत के बाहर है और प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में है।इस प्रकार आई. जी. एस. टी. अधिनियम में वस्तुओं के आयात या सेवाओं के आयात को शामिल किया गया है न कि भारत में आयातित वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित सेवाओं को।

ग

(ii) आई. जी. एस. टी. अधिनियम का उद्देश्य कभी भी सी. आई. एफ. के आधार पर माल के आयातक पर लागू होना नहीं था क्योंकि सेवाएं माल के भारत पहुंचने से पहले प्रदान और उपभोग की जाती हैं और भारतीय आयातक के साथ इसका कोई संबंध नहीं है।

डी.

(iii) भारत के बाहर स्थित दो व्यक्तियों के बीच लेनदेन पर प्रावधान के साथ पठित धारा 5 (1) और आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (11) के साथ पठित धारा 7 (4) के तहत प्रभार्य नहीं है। इस प्रकार, अधिसूचना 8/2017 अधिकार से बाहर है और अधिसूचना 10/2017, जिसमें रिवर्स चार्ज का प्रावधान भी है, आई. जी. एस. टी. अधिनियम के अधिकार से बाहर है।

ई.

(iv) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9), जिसमें कहा गया है कि माल के परिवहन की सेवाओं की आपूर्ति का स्थान माल का गंतव्य है, को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (4) के साथ पढ़ें, इसका तात्पर्य है कि सेवाओं के आयात के मामले में, आपूर्तिकर्ता भारत से बाहर होना चाहिए जबकि प्राप्तकर्ता भारत में होना चाहिए; और

च

जी.

(v) ए. एस. जी. द्वारा निर्भर 'अंतिम लाभार्थी' के परीक्षण को वैधानिक समर्थन नहीं है क्योंकि प्रभार अनुभाग, यानी धारा 5, सेवाओं के प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।भारतीय आयातक विदेशी निर्यातक और शिपिंग लाइन के बीच सी. आई. एफ. अनुबंध का पक्षकार नहीं है।

एच.

32 एसएलपी (सी) सं. 843/2021 ए

365

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

16. उत्तरदाता 33 की ओर से पेश वकील श्री उचित शेठ ने प्रस्तुत कियाः

(i) सी. आई. एफ. अनुबंध में आयातकों को परिवहन सेवा के आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं होती है क्योंकि वे न तो सेवा प्रदाता को भुगतान करते हैं और न ही किसी सेवा का लाभ उठाते हैं।आयातक केवल वस्तुओं की खरीद और आयात करते हैं।

((ii) विवादित शुल्क आई. जी. एस. टी. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट करती है कि जहां तक आयातित वस्तुओं का संबंध है, आई. जी. एस. टी. घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी के बिंदु पर और कुल मूल्य (उस समय तक मूल्यवर्धन सहित) पर लगाया जाता है।सर्कुलर नं. द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 25 मई 2018 को जारी किया गया आई. जी. एस. टी.सी. आई. एफ. अनुबंधों और उच्च समुद्र खरीद अनुबंधों के माल ढुलाई तत्व पर आई. जी. एस. टी. का विवादित शुल्क अधिकार से बाहर है क्योंकि आई. जी. एस. टी. का भुगतान माल के कुल मूल्य पर किया जाता है।

ग

डी.

(iii) इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड में v.सीमा शुल्क आयुक्त 34,

सीमा शुल्क लगाने के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सी. आई. एफ. अनुबंध में, माल ढुलाई विक्रेता को भुगतान की गई कीमत का हिस्सा है और परिवहन शुल्क का आगे जोड़ना वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है; और

ई.

(iv) भारत संघ बनाम जलयान उद्योग 35 में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यायोजित विधान द्वारा भी एक कानूनी कल्पना बनाई जा सकती है, लागू नहीं होता है क्योंकि उस मामले में बनाई गई कल्पना मूल प्रावधान के मापदंडों के भीतर थी।इस मामले में, कल्पना आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) का उल्लंघन करती है।

च

17. एसएलपी (सी) संख्या 13958/2020 में मध्यस्थ 36 की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री राजेश कुमार गौतम ने कहा है कि एएसजी का यह तर्क कि समान अवसर पैदा करने के लिए शुल्क लगाया गया है, गलत हैः

जी.

33 एसएलपी (सी) संख्या में. 3540/2021, एसएलपी (सी) संख्या. 1281/2021, एसएलपी (सी) संख्या. 1277/2021, एसएलपी (सी) संख्या. 2242/2021, एसएलपी (सी) संख्या. 2198/2021, एसएलपी (सी) संख्या. 2736/2021

34 (2006) 12 एस. सी. सी. 583

35 (1994) 1 एस. सी. सी. 318

36 आई. ए. सं. एस. एल. पी. (सी) सं. में 118754/2021।

एच.

366

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

(i) 2016 से पहले, सभी आयात परिवहन, चाहे वे भारतीय या विदेशी शिपिंग लाइनों द्वारा किए गए हों, शुल्क के दायरे से बाहर थे।भारतीय शिपिंग लाइनों द्वारा किए गए आयात लेनदेन पर सेवा कर केवल सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए लगाया गया था।यह ऋण तब भी सुरक्षित था जब निर्यात परिवहन पर कोई सेवा कर देय नहीं था।इसके अलावा, विदेशी शिपिंग लाइनों की सेवाओं का लाभ उठाने वाले भारतीय आयातकों को रिवर्स चार्ज के तहत सेवा कर का भुगतान करना पड़ता था।यह स्थिति जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत जारी रही और दायरे के बाहर एकमात्र लेनदेन तब हुआ जब विदेशी निर्यातक ने भारत में माल परिवहन के लिए विदेशी शिपिंग लाइन की सेवाओं का लाभ उठाया; और

ग

((ii) आयात लेनदेन पर सेवा कर या जी. एस. टी. लगाने की शुरुआत भारतीय शिपिंग लाइनों को प्रोत्साहन के रूप में की गई थी।इस प्रकार, अब यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि इस शुल्क के कारण समान स्तर का खेल मैदान प्रभावित हुआ है।

डी.

18. डॉ. सी. माणिकम 37, श्री शशांक शेखर 38 और श्री अभिषेक ए. रस्तोगी 39 द्वारा इसी तरह की प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है, जिन्हें हमने संक्षिप्तता के लिए अलग से दर्ज नहीं किया है।

19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अब विश्लेषण किया जाएगा।

सी. जी. एस. टी. की संवैधानिक संरचना

ई.

20. इससे पहले कि हम विवादित अधिसूचनाओं के अधिकारों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ें, जीएसटी के संवैधानिक ढांचे को प्रासंगिक बनाना उचित है। संविधान (एक सौ पहला संशोधन अधिनियम) 2016 40 को 8 सितंबर 2016 को अनुच्छेद 246 ए और 279 ए को लागू किया गया था। अनुच्छेद 246 ए में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास जी. एस. टी. पर कानून बनाने की शक्ति हैः

च

“246 अ. माल और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान (1) अनुच्छेद 246 और 254 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद और, खंड (2) के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

जी.

37 एसएलपी (सी) सं. 3680/2021 38 में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होना एसएलपी (सी) सं. 1798/2021 में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होना।

39 एस. एल. पी. (सी) संख्या 13958/2020 में आई. ए. संख्या 74108/2021 में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित होना।

एच.

40 “संविधान संशोधन अधिनियम 2016 "

(2) संसद के पास माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है जहां माल, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।व्याख्याःइस अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद 279 ए के खंड (5) में निर्दिष्ट वस्तु और सेवा कर के संबंध में, वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से प्रभावी होंगे।"

अनुच्छेद 279 ए जी. एस. टी. परिषद का गठन करता है जो जी. एस. टी. से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करेगीः

ग

‘‘279 ए. (1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिनों के भीतर, आदेश द्वारा, वस्तु और सेवा कर परिषद नामक एक परिषद का गठन करेगा।

(2) वस्तु एवं सेवा कर परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

डी.

(क) केंद्रीय वित्त मंत्री. अध्यक्ष; (ख) राजस्व या वित्त का प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री। सदस्य; (ग) वित्त या कराधान का प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सदस्य, जितनी जल्दी हो सके, अपने बीच से किसी एक को ऐसी अवधि के लिए परिषद का उपाध्यक्ष चुनेंगे जो वे तय करें।

ई.

च

(4) वस्तु एवं सेवा कर परिषद संघ और राज्यों को (क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों, उपकरों और अधिभारों के बारे में सिफारिशें करेगी जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया जा सकता है।

जी.

((ख) वे वस्तुएँ और सेवाएँ जिन्हें वस्तु और सेवा कर के अधीन या उससे छूट दी जा सकती है;

(ग) मॉडल वस्तु एवं सेवा कर कानून, शुल्क लगाने के सिद्धांत, आपूर्ति पर लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर का विभाजन।

एच.

अनुच्छेद 269 ए के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य का पाठ्यक्रम और आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;

(घ) कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को वस्तु और सेवा कर से छूट दी जा सकती है;

(ई) वस्तु और सेवा कर के समूह के साथ न्यूनतम दरों सहित दरें;

(च) किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दर;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान; और (छ) वस्तु और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य मामला, जैसा कि परिषद तय करे।

ग

(5) वस्तु एवं सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिस दिन पेट्रोलियम कच्चे तेल, उच्च गति वाले डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा।

डी.

(6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करते समय, वस्तु और सेवा कर परिषद को वस्तु और सेवा कर की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए निर्देशित किया जाएगा।

ई.

(7) वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा हिस्सा इसकी बैठकों में गणपूर्ति का गठन करेगा।(8) वस्तु एवं सेवा कर परिषद अपने कार्यों के निष्पादन में प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

च

(9) वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रत्येक निर्णय एक बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत से निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार लिया जाएगा, अर्थात्:—

जी.

(क) केंद्र सरकार के मत का भारांक कुल डाले गए मतों का एक तिहाई होगा, और (ख) सभी राज्य सरकारों के मतों का भारांक उस बैठक में डाले गए कुल मतों का दो-तिहाई होगा।

एच.

369

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(10) वस्तु एवं सेवा कर परिषद का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अमान्य नहीं होगी -

((क) परिषद् के गठन में कोई रिक्तता या कोई दोष; या

((ख) परिषद के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या

(ग) परिषद की कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती है।

(11)वस्तु एवं सेवा कर परिषद किसी भी विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी -

ग

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या (ख) भारत सरकार और किसी भी राज्य या राज्यों के बीच एक तरफ और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच दूसरी तरफ; या (ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, जो परिषद की सिफारिशों या उसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होते हैं।''

डी.

21. केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें विधायिका और कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी हैं।यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि सिफारिशें बाध्यकारी हैं, इसलिए आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार की नियम बनाने की शक्ति, जो जी. एस. टी. परिषद की 'सिफारिशों' पर प्रयोग की जा सकती है, भी बहुत व्यापक है।केंद्र सरकार के तर्क इस प्रकार हैंः

ई.

(i) अनुच्छेद 246 ए और 279 ए के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जी. एस. टी. परिषद जी. एस. टी. कानून बनाने में अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था है क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक अभिसारी मंच के रूप में कार्य करता है।

च

((ii) जी. एस. टी. परिषद के कार्य और भूमिका अन्य संवैधानिक निकायों के लिए अद्वितीय और अतुलनीय हैं।इसलिए, संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्याओं का जी. एस. टी. परिषद की भूमिका की व्याख्या करते समय पूर्ववर्ती मूल्य नहीं है।

जी.

(iii) अनुच्छेद 246 ए के तहत संसद और राज्य विधानमंडल की शक्ति और अनुच्छेद 279 ए के तहत जी. एस. टी. परिषद की शक्ति को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि दोनों में से कोई भी दूसरे को ओवरराइड न कर सके।

एच.

370

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

(क) यद्यपि अनुच्छेद 279 ए अनुच्छेद 246 ए को अधिस्थापित करने वाले गैर-अड़चन खंड के साथ शुरू नहीं होता है, लेकिन अनुच्छेद 246 ए पहले वाले खंड को अधिस्थापित नहीं करेगा।जी. एस. टी. कानून का मूल विषय-जैसा कि यह अनुच्छेद 279 (6) से निकलता है-सहयोग और सद्भाव है।सहयोग पर आधारित एक प्रणाली अंतर-सर्वोच्चता प्रदान नहीं कर सकती है।इसलिए, अनुच्छेद 279 ए को अनुच्छेद 246 ए पर एक प्रबल प्रभाव नहीं दिया गया है; और

(ख) अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य विधानसभाओं को जी. एस. टी. पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यदि यह कार्य प्रत्यायोजित किया जाता है तो यह संसद के संवैधानिक कार्य का त्याग करने के बराबर होगा।इसलिए, अनुच्छेद 246 ए को अनुच्छेद 279 ए के अधीन नहीं बनाया जा सकता है। (iv) किसी क़ानून को लागू करने के लिए सामान्य विधायी प्रक्रिया यह है कि विधेयकों को विधायिका द्वारा पेश किया जाता है और उन पर मतदान किया जाता है।हालांकि, अनुच्छेद 264 ए इससे अलग है क्योंकि नीति का निर्माण, नीति पर चर्चा और निर्णय लेना जी. एस. टी. परिषद के पास निहित है।संसद या राज्य विधानमंडल जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों से स्वतंत्र अनुच्छेद 246 ए के तहत जी. एस. टी. पर कोई कानून नहीं बना सकता है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5,6 और 22 को पढ़ने से संकेत मिलता है कि विधायिका और कार्यपालिका तीन प्रारंभिक प्रावधानों, अर्थात् प्रभार, छूट और नियम बनाने की शक्ति पर जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों से बाध्य हैं।इसलिए, संसद आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम लागू करके जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों के प्रति बाध्य है; और

ग

डी.

ई.

च

(v) जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों को आई. जी. एस. टी. अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 279 ए और धारा 5,6 और 22 और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9,11 और 164 के संयुक्त अध्ययन पर कानून में बदल दिया गया है।

ग**. 1** संविधान संशोधन अधिनियम **2016** का विधायी इतिहास

जी.

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

22. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के कार्यान्वयन पर कार्य बल ने 2004 में ही ए में दक्षता बढ़ाने के लिए उपभोग करों में बदलाव की सिफारिश की थी।

एच.

371

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।कर व्यवस्था में इतने बड़े बदलाव की आवश्यकता तत्कालीन मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई, जो करों, कर योग्य घटनाओं, अनुपालनों और अधिकारियों की बहुलता की कमी से पीड़ित थी।उदाहरण के लिए, एक ही वस्तु पर बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर की दर पूरे भारत में अलग-अलग होगी।कई राज्य माल की सीमा में प्रवेश करने से पहले माल पर प्रवेश कर लगाते थे।नवंबर 2009 में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जारी भारत में वस्तु और सेवा कर पर पहले चर्चा पत्र में निम्नलिखित शब्दों में जी. एस. टी. व्यवस्था शुरू करने के औचित्य को समझाया गया है:41 "केंद्रीय स्तर पर जी. एस. टी. की शुरुआत में न केवल व्यापक रूप से अधिक अप्रत्यक्ष केंद्रीय कर शामिल होंगे और सेट-ऑफ राहत के उद्देश्य से माल और सेवा करों को एकीकृत किया जाएगा, बल्कि वितरण व्यापार में मूल्य वर्धित वृद्धि और अनुपालन में वृद्धि करके विक्रेता आधार को व्यापक बनाने के माध्यम से केंद्र के लिए राजस्व लाभ भी हो सकता है।

ग

डी.

मौजूदा राज्य-स्तरीय वैट संरचना में निम्नलिखित कुछ कमियां भी हैं।उदाहरण के लिए, आज भी ऐसे कई कर हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति के हैं, जैसे कि विलासिता कर, मनोरंजन कर, आदि, और अभी तक वैट में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, वर्तमान राज्य-स्तरीय वैट योजना में, माल पर सेनवैट भार राज्य वैट के तहत कर लगाए जाने वाले मूल्य में शामिल रहता है, और उस हद तक सेनवैट तत्व के कारण एक व्यापक प्रभाव में योगदान देता है।इस सेनवैट भार को हटाने की आवश्यकता है।

ई.

[...]

च

हालाँकि, इस जी. एस. टी. को राज्य स्तर पर लागू करने के लिए, यह आवश्यक है कि राज्यों को सभी सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति दी जाए।सेवा कर लगाने की यह शक्ति लंबे समय से केवल केंद्र के पास है।राज्यों को भी यह शक्ति देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया जाएगा।इसके अलावा, जी. एस. टी. लागू होने से केंद्रीय बिक्री कर (सी. एस. टी.) का बोझ भी दूर हो जाएगा।इसलिए, राज्य स्तर पर जी. एस. टी. (ए) राज्यों के लिए सेवाओं पर कर लगाने की अतिरिक्त शक्ति, (बी) सेट-ऑफ सहित व्यापक सेट-ऑफ राहत की प्रणाली के लिए उचित है।

जी.

41 अधिकार प्राप्त समिति, वस्तु और सेवा कर पर पहला चर्चा पत्र, (2009)

एच.

अनुच्छेद 1.13-1.14

372

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

सेनवैट और सेवा करों के व्यापक बोझ के लिए छूट, (ग) जी. एस. टी. में कई करों को शामिल करना और (घ) सी. एस. टी. के लिए बोझ को हटाना। जी. एस. टी. में करों को हटाने के कारण, वस्तुओं पर जी. एस. टी. के तहत कर का बोझ सामान्य रूप से कम हो जाएगा।"

23. संसद ने संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक 2011 42 पेश किया, जिसमें जी. एस. टी. व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की मांग की गई।लोकसभा अध्यक्ष ने 2011 के संशोधन विधेयक को वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया।संविधान (एक सौ बाईसवाँ संशोधन) विधेयक 2014 43 को स्थायी समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद पेश किया गया था।2014 का संशोधन विधेयक राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए एक एकल कर प्रणाली के साथ पेश किया गया था ताकि कई करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त किया जा सके और एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान किया जा सके।2014 के संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:"वस्तु और सेवा कर को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि केंद्र के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश सहित राज्यों को वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के प्रत्येक लेनदेन पर वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए समवर्ती कर लगाने की शक्तियां प्रदान की जा सकें।द.

ग

डी.

वस्तु और सेवा कर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेगा और इसका उद्देश्य करों के व्यापक प्रभाव को दूर करना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझा राष्ट्रीय बाजार प्रदान करना है।

ई.

सेवाएँ।प्रस्तावित केंद्रीय और राज्य वस्तु और सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े सभी लेनदेनों पर लगाया जाएगा, सिवाय उन लेनदेनों के जिन्हें वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है।"

च

(जोर दिया गया)

24. वित्त मंत्री ने संसद में 2014 के संशोधन विधेयक को पेश करते हुए कहा कि संविधान संशोधन का उद्देश्य

जी.

इन करों के बीच एक निश्चित मात्रा में अभिसरण लाना है ताकि कराधान तंत्र बेहद सरल हो जाए।44

42 "2011 संशोधन विधेयक "43" 2014 संशोधन विधेयक "

44 लोकसभा में अरुण जेटली का भाषण 24.4.2015; तरुण जैन, वस्तु एवं सेवाएँ

एच.

उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि राज्यों में कर दरों और संरचना में कोई एकरूपता नहीं थी।उद्देश्यों और कारणों का विवरण और विधायिका में बहस और भाषण विधेयक को पेश करने के पीछे के इरादे का संकेत देते हैं।45 विधायी इतिहास, विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण और विधेयक पेश किए जाने के समय दिया गया भाषण उस शरारत का संकेत देता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 246 ए और 279 ए ने दूर करने की मांग की थी, जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाना है ताकि करों की बहुलता में निहित जटिलताओं और उसके व्यापक प्रभाव को रोका जा सके।

समवर्ती विधायी वितरण

25. सातवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों को संविधान की सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 246 ए और 279 ए को लागू करने से पहले, केंद्र और राज्यों की कराधान पर विधायी शक्तियां अनन्य थीं।विधान के सामान्य विषय संघ सूची (प्रविष्टियाँ 1 से 81) और राज्य सूची (प्रविष्टियाँ 1 से 44) में एक समूह का गठन करते हैं।कराधान से संबंधित विषय शीर्षों को संघ और राज्य दोनों सूचियों में एक साथ जोड़ा जाता है (संघ सूची में 82 से 92 बी प्रविष्टियाँ और राज्य सूची में 45 से 63 प्रविष्टियाँ)।समवर्ती सूची में कराधान से संबंधित कोई प्रविष्टि शामिल नहीं है।46 उदाहरण के लिए, जबकि संघ के पास मुख्य रूप से आय कर लगाने की शक्ति है, कृषि 47 को छोड़कर, राज्य के पास कृषि आय पर कर लगाने की शक्ति है।इसलिए, संघ और राज्यों दोनों के पास कराधान के विशिष्ट शीर्षों पर एक अलग और अनन्य अधिकार क्षेत्र था।संघ और राज्य एक ही शीर्ष के तहत कर नहीं लगा सकते थे क्योंकि समवर्ती सूची में करों के लिए एक प्रविष्टि शामिल नहीं थी।इस न्यायालय में

ग

डी.

ई.

होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम में इसका निर्णय।बिहार राज्य 49,

च

कराधान पर संघ और राज्य द्वारा धारित अनन्य शक्तियों को मान्यता दी।तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा किः

“75. अनुसूची VII में तीन सूचियों के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को प्रकट की गई सामान्य विशेषताओं की जांच किए बिना पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है।

जी.

45 अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कमाचेन, (2017) 2 एस. सी. सी. 629

46 समवर्ती सूची की प्रविष्टि 47 में उल्लेख किया गया है कि "इस सूची में किसी भी मामले के संबंध में शुल्क, लेकिन किसी भी अदालत में ली गई शुल्क को शामिल नहीं किया गया है।"

47 सूची I की प्रविष्टि 82

48 सूची II की प्रविष्टि 46

49 (1983) 4 एससीसी 45

एच.

उन सूचियों में निहित प्रविष्टियों के अनुसारःसीरवई ने भारत के अपने संवैधानिक कानून में, तीसरी संस्करण, खंड। पीपी पर 1.81-82।सातवीं अनुसूची की सूची I और II की जांच से पता चलेगा कि कर लगाने की शक्ति में कहीं भी कोई अतिव्यापी नहीं है और संविधान केंद्र और राज्यों को कराधान के स्वतंत्र स्रोत देता है।भारत सरकार अधिनियम, 1935 की योजना के बाद, संविधान ने संघ और राज्यों की कर लगाने की शक्ति को पारस्परिक रूप से अनन्य बना दिया है और इस प्रकार कुछ अन्य संघीय संविधानों में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को कराधान की अतिव्यापी शक्तियों से बचा लिया है।

76. अतः यह प्रतीत होता है कि विधान और कराधान के सामान्य विषयों के बीच अंतर किया गया है।विधान के सामान्य विषयों को एक अलग समूह में प्रविष्टियों और कराधान की शक्ति के एक समूह में निपटाया जाता है।एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनामएपी का राज्य [ए. आई. आर 1958 एस. सी. 468:1958 एससीआर 1422:(1958) 9 एस. टी. सी. 298] इस न्यायालय ने परस्पर अनन्य सूचियों द्वारा संघ और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों को अलग करने की योजना पर विचार किया।सूची I में, प्रविष्टि 1 से 81 कानून के सामान्य विषयों से संबंधित हैं; प्रविष्टि 82 से 92-ए करों से संबंधित हैं।सूची II में, प्रविष्टियाँ 1 से 44 कानून के सामान्य विषयों से संबंधित हैं; प्रविष्टियाँ 45 से 63 करों से संबंधित हैं।यह पारस्परिक विशिष्टता इस तथ्य से भी सामने आती है कि सूची III, समवर्ती विधायी सूची में, कर से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है, लेकिन इसमें केवल अदालत-शुल्क के अलावा उस सूची में दिए गए मामलों के संबंध में शुल्क लगाने से संबंधित प्रविष्टि शामिल है।इस प्रकार, हमारे संविधान में, संघ और राज्यों की कर लगाने की शक्ति का टकराव पैदा नहीं हो सकता है।ऐसा होने पर, इस दलील को समझना मुश्किल है कि सूची III की प्रविष्टि 33 के तहत संसद द्वारा बनाई गई कानून द्वारा एक निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ हो सकती है, अर्थात सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 से संबंधित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने और लागू करने के संबंध में कानून बनाने की राज्य की अनन्य शक्ति।यह इस प्रकार है कि दो कानून अर्थात् अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेश के पैरा 21 दो अलग-अलग और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और दोनों का पालन करने में सक्षम हैं।दोनों कानूनों के बीच किसी भी टकराव का कोई सवाल ही नहीं है और तिरस्कार का सवाल ही नहीं आता है।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

26. पूर्व-जी. एस. टी. व्यवस्था में, संघ के पास अप्रत्यक्ष करों को लागू करने की विशेष शक्ति थी, यानी वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री, सीमा शुल्क, सेवा कर और उत्पाद शुल्क पर।राज्यों के पास वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री, विलासिता कर, मनोरंजन कर, खरीद कर और जुआ और सट्टेबाजी पर कर लगाने की विशेष शक्ति थी।जी. एस. टी. व्यवस्था ने सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया है।संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य विधानसभाओं को जी. एस. टी. के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है।

27. संघीय इकाइयों-संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण, संघीय संविधान की सर्वोपरि विशेषताओं में से एक है। 50 भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति पर बहस के लिए अनुच्छेद 246 और 254 केंद्रीय रहे हैं।अनुच्छेद 246 ए, 'वस्तु और सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रावधान' है, और अनुच्छेद 246 और 254 को ओवरराइड करने वाले एक गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होता है।अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभाओं की विधायी क्षमता को परिभाषित करने वाला संवैधानिक ढांचा निर्धारित करता है।अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के मामलों पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच असंगति को दूर करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य विधानसभाओं को वस्तु और सेवा कर पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।हालाँकि, राज्यों की शक्ति वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए संसद को एक विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के अधीन है, जहाँ अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति होती है।

ग

डी.

ई.

28. भारत संघ बनाम मोहित खनिज प्रा**.** लि**. 51,** यह न्यायालय

जी. एस. टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 की संवैधानिक वैधता का निर्णय करते हुए कहा गया कि संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों में बदलाव किए हैं।यह पाया गया कि संशोधन

च

“ वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लेन-देन पर जी. एस. टी. लगाने के लिए संघ के साथ-साथ राज्यों को समवर्ती कर लगाने की शक्तियां प्रदान करता है या

दोनों "।बैकू बनाम राज्य कर अधिकारी, जी. एस. टी. 52 में, केरल मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 53 के तहत जारी किए गए नोटिसों और मूल्यांकन आदेशों की वैधता को मूल्यांकन वर्ष 2010 के लिए चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी।

जी.

50 एच. एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून, (एन. एम. त्रिपाठी प्राइवेट लिमिटेड, चौथा संस्करण, खंड 1) 289; एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) 3 एस. सी. सी. 1

51 (2019) 2 एस. सी. सी. 599

52 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 5362

एच.

53 “केवीएटी अधिनियम "

11 और 2011-12।नोटिसों और आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अधिकारियों के पास उन्हें जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि केरल वित्त अधिनियम 2017 और 2018 के माध्यम से केवीएटी अधिनियम की धारा 25 (1) में पेश किए गए संशोधन पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं करते थे।केरल उच्च न्यायालय को यह तय करना था कि क्या संविधान में

अनुच्छेद 246 ए को लागू करने और संशोधन के अनुसार केवीएटी को निरस्त करने के बाद केरल राज्य विधानमंडल के पास केवीएटी अधिनियम में संशोधन करने की विधायी क्षमता थी।अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 246 ए द्वारा पेश की गई विशेष शक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं को 'एक साथ' कानून बनाने की अनुमति देती है।54 इसके बाद, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा आयोजित शक्ति की 'एक साथ' प्रकृति की व्याख्या करते हुए, यह देखा गया कि अनुच्छेद 246 ए के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा एक साथ किया जा सकता है और किसी के पास कोई 'एकतरफा या अनन्य' विधायी शक्ति नहीं है।

ग

29. वी. के. सी. फुटस्टेप्स (ऊपर) में अपने निर्णय में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 246 ए द्वारा शुरू की गई संवैधानिक योजना में परिवर्तनों पर ध्यान दिया। हममें से एक (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़) ने दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहाः

डी.

"52. अनुच्छेद 246-ए ने संवैधानिक योजना में कई बदलाव किए हैंः

52.1.सबसे पहले, अनुच्छेद 246-ए शक्ति के स्रोत के साथ-साथ कानून के क्षेत्र (वस्तु और सेवा कर के संबंध में) को परिभाषित करता है जो सातवीं अनुसूची की यात्रा करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

ई.

52.2.दूसरा, अनुच्छेद 246-ए के प्रावधान संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों के लिए उपलब्ध हैं, सिवाय जीएसटी कानून बनाने के लिए संसद की अनन्य शक्ति के, जहां वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

च

52.3.तीसरा, अनुच्छेद 246-ए एक साथ शुल्क लगाने के संवैधानिक सिद्धांत को मूर्त रूप देता है जो सहमति के सिद्धांत से अलग है।सहमति, जो समवर्ती सूची के दायरे में संचालित होती थी, को अनुच्छेद 254 द्वारा विनियमित किया गया था।" (जोर दिया गया)

जी.

54 निर्णय का अनुच्छेद 19।55 निर्णय का अनुच्छेद 22।

एच.

377

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

30. अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य विधानमंडल को जीएसटी पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 246 ए में एक गैर-अबाधित प्रावधान है जो अनुच्छेद 254 को ओवरराइड करता है।अनुच्छेद 246 ए एक प्रतिकूलता खंड प्रदान नहीं करता है।अनुच्छेद 254 के विपरीत, जिसमें कहा गया है कि समवर्ती सूची में किसी विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए परस्पर विरोधी कानूनों पर प्रबल होगा, अनुच्छेद 246 ए का संवैधानिक प्रारूप यह निर्धारित नहीं करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जीएसटी पर बनाए गए कानूनों के बीच इस तरह की विसंगति को कैसे हल किया जा सकता है।अनुच्छेद 246 ए के तहत विधानसभाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली समवर्ती शक्ति को अनुच्छेद 246 के तहत समवर्ती शक्ति के प्रयोग पर संवैधानिक डिजाइन से अलग करने के लिए 'समवर्ती शक्ति' कहा जाता है, जो अनुच्छेद 254 के तहत प्रतिकूल खंड के अधीन है।जी. एस. टी. परिषद की संवैधानिक भूमिका और कार्यों को संसद और राज्य विधानसभाओं को एक साथ प्रदान की गई विधायी शक्ति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।इसी दृष्टिकोण से जी. एस. टी. परिषद की भूमिका प्रासंगिक हो जाती है।

ग

डी.

जी. एस. टी. परिषद की भूमिका

31. तेरहवें वित्त आयोग ने जी. एस. टी. पर कार्यबल का गठन किया। कार्यबल ने सिफारिश की कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को, जी. एस. टी. लागू होने पर, एक स्थायी संवैधानिक निकाय में परिवर्तित किया जा सकता है जिसे 'वित्त मंत्रियों की परिषद' के रूप में जाना जाता है।कार्यबल ने सिफारिश की थी किः

ई.

(i) अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को विनियमित करने वाले दोहरे जी. एस. टी. के प्रारूप में संशोधन के लिए परिषद जिम्मेदार होगी।

च

((ii) परिषद सर्वसम्मति के बजाय बहुमत के सिद्धांत पर निर्णय लेगी।प्रारंभिक निर्णय को संघ और तीन-चौथाई राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।निर्णय में बाद के परिवर्तन संघ और दो-तिहाई राज्यों के समझौते पर किए जा सकते हैं।

जी.

((iii) यह निकाय 'संघीय राजकोषीय शक्तियों के मौजूदा संतुलन' को बनाए रखेगा क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही जी. एस. टी. व्यवस्था में बदलाव के लिए अपनी राजकोषीय स्वायत्तता का समर्पण करेंगे।

56 तरुण जैन, वस्तु एवं सेवा करःसंवैधानिक कानून और नीति (ईबीसी 2018) 117

एच.

((iv) समझौते पर संघ और राज्यों दोनों के लिए शुल्क लगाने का आधार समान होना चाहिए।यह ऑस्ट्रेलिया में जी. एस. टी. कानून की तर्ज पर हो सकता है, जहां जी. एस. टी. की दर या आधार में किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले केंद्र और राज्यों दोनों को सहमत होना होगा;

(v) यदि राज्य जी. एस. टी. दरों पर सामूहिक रूप से सहमत स्थिति से हट जाते हैं, तो एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा चूक करने वाला राज्य जुर्माना का भुगतान करे।

32. 2011 के संशोधन विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 279 ए को शामिल करने की मांग की गई थी जिसने जी. एस. टी. परिषद का गठन किया था।इस प्रावधान ने परिषद के गठन, परिषद की भूमिका और निर्णय लेने के लिए आवश्यक गणपूर्ति को निर्धारित कियाः

ग

“279-उ. वस्तु एवं सेवा कर परिषद।— (1) राष्ट्रपति ने

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिनों के भीतर आदेश द्वारा एक परिषद का गठन किया जाएगा जिसे वस्तु और सेवा कर परिषद कहा जाएगा।

डी.

(2) वस्तु एवं सेवा कर परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय वित्त मंत्री-अध्यक्ष;

(ख) राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री-सदस्य;

ई.

(ग) वित्त या कराधान का प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री-सदस्य।(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सदस्य, जितनी जल्दी हो सके, अपने बीच से किसी एक को ऐसी अवधि के लिए परिषद का उपाध्यक्ष चुनेंगे जो वे तय करें।

च

(4) वस्तु एवं सेवा कर परिषद सिफारिशें करेगी -

संघ और राज्य -

जी.

(क) केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार जिन्हें वस्तु और सेवा कर में शामिल किया जा सकता है;

57 तेरहवां वित्त आयोग, जी. एस. टी. पर कार्यबल की रिपोर्ट (2009) पैरा 10.58 आई. बी. आई. डी., पैरा 9.8 ए.

एच.

379

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

((ख) ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ जिन्हें वस्तु और सेवा कर के अधीन या उससे छूट दी जा सकती है;

(ग) कारोबार की सीमा जिसके नीचे माल और सेवा कर को छूट दी जा सकती है;

((घ) वस्तु एवं सेवा कर की दरें; और

(ङ) वस्तु और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य मामला, जैसा कि परिषद तय करे।

(5) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करते समय, वस्तु और सेवा कर परिषद को वस्तु और सेवा कर की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए निर्देशित किया जाएगा।

ग

(6) वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई इसकी बैठकों में गणपूर्ति का गठन करेगा।

डी.

(7) वस्तु एवं सेवा कर परिषद अपने कार्यों के निष्पादन में प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

(8) वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक में लिया गया प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से होगा।

ई.

(9) वस्तु एवं सेवा कर परिषद का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अमान्य नहीं होगी -

((क) परिषद् के गठन में कोई रिक्तता या कोई दोष; या

च

((ख) परिषद के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या

(ग) परिषद की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती है।

जी.

स्पष्टीकरण.— इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "राज्य" में विधानमंडल के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।"

33. अनुच्छेद 279 ए के मसौदे के अनुसार, जैसा कि 2011 के संशोधन विधेयक में पाया गया था, जीएसटी परिषद का हर निर्णय बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से लिया जाना था।विधेयक में जी. एस. टी. विवाद निपटान की स्थापना का भी प्रावधान है।

एच.

राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा उसे भेजी गई किसी भी शिकायत पर निर्णय लेने का अधिकार, जो परिषद की किसी भी सिफारिश से विचलन से उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान होता है या जिसने जी. एस. टी. की सामंजस्यपूर्ण संरचना को प्रभावित किया है। मसौदा प्रावधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई भी न्यायालय विवाद के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा।2011 के संशोधन विधेयक के अनुसार अनुच्छेद 279 बी का मसौदा इस प्रकार हैः

“279 ख. (1) संसद, विधि द्वारा, किसी राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी भी विवाद या शिकायत का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक वस्तु और सेवा कर विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान कर सकती है, जो अनुच्छेद 279 क के तहत गठित वस्तु और सेवा कर परिषद की किसी भी सिफारिश से विचलन से उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार या भारत सरकार को राजस्व का नुकसान होता है या वस्तु और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना को प्रभावित करता है।(2) वस्तु एवं सेवा कर विवाद निपटान प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।

ग

डी.

(3) वस्तु एवं सेवा कर विवाद निपटान प्राधिकरण का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।

ई.

(4) वस्तु एवं सेवा कर विवाद निपटान प्राधिकरण के दो अन्य सदस्य कानून, अर्थशास्त्र या सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में सिद्ध क्षमता और विशेषज्ञता वाले व्यक्ति होंगे जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

च

(5) वस्तु एवं सेवा कर विवाद निपटान प्राधिकरण अंतरिम आदेशों सहित उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(6) खंड (1) के तहत बनाई गई कानून वस्तु और सेवा कर विवाद निपटान प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को निर्दिष्ट कर सकती है और उसके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान कर सकती है।

जी.

(7) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई भी न्यायालय

एच.

381

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

खंड (1) में निर्दिष्ट किसी ऐसे निर्णय या विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करना।

स्पष्टीकरण.— इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "राज्य" में विधानमंडल के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।"

34. वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति ने 2011 के संशोधन विधेयक पर अपनी 73 वीं रिपोर्ट में जी. एस. टी. व्यवस्था को पेश करने वाले संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया।59 यह उल्लेख किया गया कि जी. एस. टी. परिषद जी. एस. टी. पर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्र और राज्यों के लिए एक संयुक्त मंच होगा और जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक मानक और मार्गदर्शक शक्ति होंगी।60 इसी तरह, यह भी देखा गया कि विधानमंडल परिषद द्वारा अनुशंसित सभी मुद्दों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगाः61

ग

“(ग) एक वस्तु एवं सेवा कर परिषद (अनुच्छेद 279 ए) का गठन किया जाएगा, जो केंद्र और राज्यों के लिए जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त मंच होगा ताकि जीएसटी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण संरचना और एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।यह परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी और इसमें वित्त/कराधान के प्रभारी मंत्री या विधायिकाओं वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक द्वारा नामित मंत्री सदस्य होंगे।परिषद केंद्र और राज्यों को दरों, छूट सूची, सीमा सीमा आदि जैसे महत्वपूर्ण मानकों पर सिफारिशें करेगी। इस परिषद द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए मानक या मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेंगी।

डी.

ई.

संसद और साथ ही राज्य विधानमंडल संसद द्वारा अनुशंसित सभी मुद्दों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

च

परिषद।परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई हिस्सा जी. एस. टी. परिषद के कोरम का गठन करेगा।यह भी प्रावधान किया गया है कि जी. एस. टी. परिषद के निर्णय बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से होंगे।यह प्रत्येक राज्य और केंद्र के हितों की रक्षा के लिए है जब परिषद कोई निर्णय लेती है।

जी.

59 वित्त पर स्थायी समिति, संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) 2011 (73 वीं रिपोर्ट, 2013)

60 इबिद, पैराग्राफ 12

एच.

61 आई. बी. आई.

(घ**)** अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** ये विधायी निकाय

परिषद की सिफारिशों से विचलित होना और

इस तरह से कार्य करना जो जी. एस. टी. के सौहार्दपूर्ण कामकाज के लिए प्रतिकूल हो या जो किसी अन्य राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

केंद्र सरकार।यदि एक समान राष्ट्रीय बाजार और जी**.** एस**.** टी**.** के सुचारू संचालन का उद्देश्य है**,** तो इस तरह के विचलन या कार्यों को कम से कम रखने की आवश्यकता है।

हासिल किया जा सकता है।तदनुसार वस्तु एवं सेवा कर विवाद निपटान प्राधिकरण (अनुच्छेद 279 बी) की स्थापना का प्रस्ताव है, जिससे प्रभावित सरकार (चाहे वह केंद्र हो या राज्य) वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा की गई सिफारिशों से विचलन या सामंजस्यपूर्ण संरचना और जी. एस. टी. के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के कारण किसी भी कार्रवाई के कारण हुए किसी भी नुकसान के निवारण के लिए संपर्क कर सकती है।

ग

(जोर दिया गया**)**

35. समिति ने कानूनी मामलों के विभाग के माध्यम से महान्यायवादी की राय भी मांगी कि क्या जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें विधायिका की शक्ति को कमजोर करेंगी।जवाब में, महान्यायवादी ने कहा कि हालांकि जी. एस. टी. परिषद के पास सिफारिशें करने की शक्ति है, संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति है।62 महान्यायवादी ने कहाः

डी.

ई.

"यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे उठाया गया है और इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि यह निश्चित रूप से संसद के लिए किसी भी सिफारिश को मंजूरी देने के लिए खुला है।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जी. एस. टी. सी. की सिफारिशों का कोई मूल्य नहीं होगा।जी. एस. टी. सी. के संविधान की प्रकृति के संबंध में, परिषद ने सिफारिशें करने में उपयोगी भूमिका निभाई होगी, लेकिन इस तरह की सिफारिशों को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार केवल विधानमंडलों, अर्थात् संसद और राज्य विधानमंडलों के पास ही हो सकता है और होना चाहिए।इस मामले के दृष्टिकोण से, जी. एस. टी. सी. की स्थापना वित्त पर विधायी शक्तियों की जड़ पर प्रहार नहीं करती है।वित्त पर विधायिका की शक्तियां पवित्र हैं और जी. एस. टी. सी. की स्थापना से प्रभावित नहीं होती हैं।

च

जी.

36. राज्यों ने इस आधार पर जी. एस. टी. विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना पर चिंता जताई कि ऐसा प्राधिकरण

62 अनुच्छेद 63 ए

एच.

383

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

संसद और राज्य विधानमंडलों की सर्वोच्चता को ओवरराइड करने की शक्ति है क्योंकि एक कानून, हालांकि संवैधानिक है, अगर वह जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों से विचलित होता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है।समिति ने राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करते हुए सिफारिश की कि जी. एस. टी. विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना के प्रावधान को हटा दिया जाए क्योंकि यह राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित करेगा।यह भी सिफारिश की गई कि अनुच्छेद 279 ए में ही एक प्रावधान किया जाए जो जी. एस. टी. परिषद को अपनी सिफारिशों से उत्पन्न विवादों को हल करने का अधिकार देता हैः

"60. जी. एस. टी. विवाद निपटान प्राधिकरण के बारे में राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अधिकांश राज्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि जी. एस. टी. विवाद निपटान प्राधिकरण से संबंधित प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इस प्राधिकरण के पास संसद और राज्य विधानसभाओं की सर्वोच्चता को खत्म करने की शक्तियां होंगी।यह राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित करेगा।

ग

डी.

61. संविधान संसद और राज्य विधानमंडलों को उन्हें सौंपे गए संबंधित क्षेत्रों के भीतर कानून बनाने के लिए स्वायत्तता प्रदान करता है और इस तथ्य पर कि एक सक्षम विधायी निकाय द्वारा अधिनियमित एक क़ानून पर एक अनिवार्य रूप से कार्यकारी निकाय की सिफारिशों से विचलन के आधार पर सवाल उठाया जा सकता है**,** भले ही वह संवैधानिक हो**,** इसे विधानमंडल की सर्वोच्चता को कम करने के रूप में माना जा रहा है।राज्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जी**.** एस**.** टी**.** विवाद निपटान प्राधिकरण का प्रस्तावित प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं की वित्तीय स्वायत्तता को प्रभावित करेगा**,** जी**.** एस**.** टी**.** विवाद निपटान प्राधिकरण के लिए प्रस्तावित अनुच्छेद **279** बी

ई.

च

छोड़ दिया जाए।हालांकि, कई भागीदारों को शामिल करने वाले किसी भी वितरण के लिए विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है।अनुच्छेद 279 ए में ही एक प्रावधान किया जा सकता है जो जी. एस. टी. परिषद को अपनी सिफारिशों से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए तंत्र के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देता है।"

जी.

(जोर दिया गया**)**

37. समिति ने अपने निष्कर्ष में दोहराया कि जी. एस. टी. परिषद विधायिका की तुलना में केवल एक 'रचनात्मक और सक्षम भूमिका' निभाएगी और विधायिका की भूमिका को ओवरराइड नहीं करेगी।

63 इबिद, पैराग्राफ 15

एच.

384

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

“इस प्रकार समिति प्रस्तावित जी. एस. टी. परिषद से सहकारी संघवाद और लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद करेगी।चूंकि यह एक राजनीतिक और अनुशंसा करने वाला निकाय होगा, इसलिए यह विधानमंडल की तुलना में एक रचनात्मक और सक्षम भूमिका निभाने की स्थिति में होगा, जो कराधान सहित कानून के मामलों में सर्वोच्च रहेगा।समिति के विचार में संविधान (संशोधन) विधेयक के प्रस्तावित अनुच्छेद 279 ए के तहत जी. एस. टी. परिषद को सौंपा गया जनादेश जहां तक केंद्र और राज्य दोनों विधानमंडलों का संबंध है, किसी भी तरह से मौजूदा संवैधानिक योजना को नहीं बदलता है।"38. स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, संसद ने 2014 का संशोधन विधेयक पेश किया जिसमें अनुच्छेद 279 बी को हटा दिया गया और जी. एस. टी. परिषद को अनुच्छेद 279 ए (11) के तहत विवाद समाधान का तंत्र तैयार करने की शक्ति दी गई।जी. एस. टी. परिषद में अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री होते हैं।जी. एस. टी. परिषद की भूमिका केंद्र और राज्यों को जी. एस. टी. के इर्द-गिर्द घूमती सात विशिष्ट श्रेणियों पर सिफारिशें करना है, जिसमें जी. एस. टी. के उद्ग्रहण और विभाजन के सिद्धांत शामिल हैं। अनुच्छेद 279 ए (1) का खंड (एच) परिषद को पूर्ण शक्ति भी प्रदान करता है जिसके द्वारा वह 'जीएसटी से संबंधित किसी भी अन्य मामले' के संबंध में सिफारिशें कर सकती है, जैसा कि परिषद तय कर सकती है।खंड (6) में कहा गया है कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें 'वस्तु और सेवा कर की सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता' द्वारा निर्देशित होंगी।परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा हिस्सा बैठकों के लिए कोरम का गठन करेगा।खंड (9) में प्रावधान है कि परिषद उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत के साथ निर्णय लेगी और मतदान करेगी।केंद्र सरकार के मत को डाले गए कुल मतों के एक तिहाई का महत्व दिया जाता है और राज्य सरकारों के मतों को कुल मतों के दो तिहाई का महत्व दिया जाता है।

ग

डी.

ई.

च

संसदीय बहसें

जी.

39. 2014 के संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 279 ए को शामिल करने से संसद में दो महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा हुईंःपहला, जी. एस. टी. परिषद संसद और राज्य विधानसभाओं की विधायी संप्रभुता को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकती है और दूसरा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता कम हो जाएगी क्योंकि केंद्र के पास सभी राज्यों द्वारा बनी सहमति को रोकने की शक्ति है।5 मई 2015 को संसद सदस्य ए.

एच.

385

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

तमिलनाडु राज्य ने इस चिंता को उठाया कि जी. एस. टी. परिषद राजकोषीय नीति में राज्यों की भूमिका को कम कर देगी:64

“संशोधन में प्रस्तावित जी. एस. टी. परिषद जी. एस. टी. के तहत करों, उपकरों और अधिभारों को शामिल करने, वस्तुओं और सेवाओं के लिए छूट, मॉडल जी. एस. टी. कानूनों आदि से संबंधित मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला पर सिफारिशें करेगी। यह कराधान के मामलों में केंद्र और राज्यों दोनों में विधायिका की सर्वोच्चता पर हावी हो जाएगा।जी. एस. टी. परिषद में, केंद्र सरकार का वोट में एक तिहाई महत्व है और वोट में केवल दो तिहाई महत्व राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदान के अधिकार उनके आकार की परवाह किए बिना समान हैं।इसलिए हम एक संवैधानिक निकाय के रूप में जी. एस. टी. परिषद के विचार के खिलाफ हैं क्योंकि यह राजकोषीय मामलों सहित राज्यों की स्वायत्तता से समझौता करता है।"

ग

जवाब में वित्त मंत्री ने 65 कहा थाः

डी.

“एक बार जब आप जी. एस. टी. पाइपलाइन में आ जाएँगे, तो राज्यों और केंद्र को एक साथ बातचीत करनी होगी; और एक बार जब वे एक साथ बातचीत करेंगे, तो तमिलनाडु राज्य राज्यों से संबंधित निर्णय लेने में शामिल होगा।इसलिए, हम में से कोई भी अपने अधिकार या स्वायत्तता को आत्मसमर्पण नहीं करने जा रहा है।हम दोनों अपनी संप्रभुता को एक साथ जोड़ने जा रहे हैं ताकि हम एक नया कराधान तंत्र बनाने में सक्षम हो सकें।"

ई.

40. राज्यसभा की एक प्रवर समिति ने प्रस्तावित अनुच्छेद 279 ए की जांच की। प्रवर समिति के समक्ष यह सुझाव दिया गया था कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों का पालन न करने से उत्पन्न विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक 'विवाद निपटान निकाय' का गठन किया जाना चाहिए।66 दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 279 बी को फिर से पेश करने का सुझाव था क्योंकि इसे 2011 के संशोधन विधेयक में जगह मिली थी।सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 279 ए (11) जी. एस. टी. परिषद को विवाद समाधान के 'तौर-तरीकों' को तय करने की शक्ति प्रदान करता है, जो विवाद की प्रकृति के आधार पर मध्यस्थता, मध्यस्थता या यहां तक कि न्यायिक निर्णय से लेकर हो सकता हैः

च

जी.

64 लोकसभा में श्री अरुण जेटली के 65 वें भाषण पर टी. जी. वेंकटेश बाबू का भाषण

66 प्रवर समिति, संविधान पर रिपोर्ट (एक सौ बाईस)

संशोधन) विधेयक, 2014 (राज्य सभा में प्रस्तुत, 2015)

एच.

“ 2.71 यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि अनुच्छेद 279 ए (11) केवल यह प्रावधान करता है कि जी. एस. टी. परिषद अपनी सिफारिशों से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए 'तौर-तरीके' तय कर सकती है।'तौर-तरीकों' में कोई भी विवाद समाधान तंत्र शामिल हो सकता है जो अन्य बातों के साथ-साथ बातचीत, मध्यस्थता, मध्यस्थता या यहां तक कि एक न्यायिक प्राधिकरण भी हो सकता है जो उसके सामने विवाद की प्रकृति के आधार पर जी. एस. टी. परिषद द्वारा उचित समझा जाता है। इस प्रकार, प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, जी. एस. टी. परिषद, स्वयं विवादों का समाधान नहीं करेगी, बल्कि विवादों को हल करने के तौर-तरीकों पर निर्णय लेगी।"

41. सरकार ने यह भी कहा कि संघ और राज्यों के बीच मतदान का तरीका किसी भी घटक इकाई को असमान शक्ति प्रदान नहीं करता हैः

ग

“ 2.68 जी. एस. टी. परिषद की संरचना इस देश में शासन की संघीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है।यह जनवरी 2013 में भुवनेश्वर में उनकी बैठक के बाद अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों और संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार किया गया है।इस प्रावधान को जी. एस. टी. परिषद के कामकाज में संघीय संतुलन सुनिश्चित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए जानबूझकर अपनाया गया है।जी. एस. टी. परिषद में वोट-शेयर का मौजूदा पैटर्न यह सुनिश्चित करता है कि परिषद द्वारा केंद्र या राज्यों द्वारा अपने दम पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।इसलिए, न तो राज्य और न ही अकेले केंद्र परिषद में कोई निर्णय ले सकते हैं।राज्यों को तीन चौथाई महत्व प्रदान करने से केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संतुलन बिगड़ जाएगा।वर्तमान में, समवर्ती सूची में, केंद्रीय और राज्य विधान के बीच किसी भी अंतर के मामले में, केंद्रीय विधान प्रबल है।जी. एस. टी. परिषद में मतों का वर्तमान महत्व यह सुनिश्चित करेगा कि न तो केंद्र और न ही राज्य दूसरे के समर्थन के बिना निर्णय ले सकें।दूसरे शब्दों में, दोनों को वीटो का लाभ मिलेगा।2.69 इसके अलावा, केंद्र के पास केवल एक तिहाई वोट होने के कारण, केंद्र को प्रस्ताव पारित कराने के लिए 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समर्थन की आवश्यकता होगी।इससे पता चलता है कि केंद्र को जी. एस. टी. परिषद में कोई भी निर्णय लेने के लिए राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी।"42. हालांकि कानूनों की व्याख्या का पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि किसी कानून की व्याख्या करने में विधायी इतिहास का आसानी से उपयोग नहीं किया जाता है, इस विषय पर सोचने की आधुनिक प्रवृत्ति ने अदालतों को इतिहास ए पर गौर करने में सक्षम बनाया है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

387

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

उपयोग किए गए शब्दों के पूर्ण उद्देश्य को समझने के लिए एक कानून और कानून द्वारा सुधार की मांग की गई शरारत।के. पी. वर्गीज बनाम आई. टी. ओ. 67 में, इस न्यायालय ने कहा कि "विधेयक को पेश करने के कारण को समझाते हुए विधेयक के प्रस्तावक द्वारा दिए गए भाषण को निश्चित रूप से उस शरारत का पता लगाने के उद्देश्य से संदर्भित किया जा सकता है जिसे कानून द्वारा दूर करने की मांग की गई है और जिस उद्देश्य और उद्देश्य के लिए कानून बनाया गया है।” कल्पना मेहता बनाम भारत संघ 68 में, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि संसदीय समितियों की रिपोर्ट और संसद में दिए गए भाषणों को उन परिस्थितियों की पहचान करने के लिए संदर्भित किया जा सकता है जिनके कारण विधानमंडल के इरादे के साथ कानून बनाया गयाः

ग

“129. हमने इन अधिकारियों को इस बात पर प्रकाश डालने के लिए संदर्भित किया है कि रिपोर्ट या भाषणों को उसमें बताए गए उद्देश्यों के लिए संदर्भित किया गया है या संदर्भित नहीं किया गया है और जब किसी मूर्ति का अर्थ स्पष्ट या अस्पष्ट नहीं है, तो विधानमंडल के इरादे का पता लगाने के लिए उन परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है जिनके कारण कानून पारित हुआ।ऐसा इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट महत्व धारण करती हैं और प्रासंगिक हो जाती हैं क्योंकि वे एक विधान की प्रारंभिक प्रक्रिया से पहले होती हैं।"

डी.

43. संसदीय बहस और संवैधानिक संशोधन के विधायी इतिहास और अनुच्छेद 246 ए और 279 ए पर समिति की रिपोर्ट से संकेत मिलता है किः

ई.

(i) 2011 के संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 279 बी का मसौदा, जिसमें जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों से 'विचलन से उत्पन्न' किसी भी विवाद पर निर्णय लेने के लिए जी. एस. टी. विवाद निपटान प्राधिकरण पेश करने की मांग की गई थी, को हटा दिया गया था।वर्तमान अनुच्छेद 279 ए (11) में प्रावधान है कि जी. एस. टी. परिषद परिषद की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर निर्णय लेने के लिए एक तंत्र तैयार करेगी।2014 के संशोधन विधेयक को पेश करते समय अनुच्छेद 279 बी को हटाने और संविधान के पाठ में अनुच्छेद 279 (11) को शामिल करने से दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैंःएक, कि विवाद निपटान प्राधिकरण के निर्माण के बजाय, परिषद के पास विवाद समाधान के 'तौर-तरीकों' पर निर्णय लेने की शक्ति निहित है; और दूसरा, जबकि अनुच्छेद 279 बी ने निर्धारित किया है कि प्राधिकरण 'विवादों' पर निर्णय लेगा।

च

जी.

67 (1981) 4 एससीसी 173। 68 (2017) 7 एससीसी 295

एच.

सिफारिशों से विचलन के कारण,

अनुच्छेद 279 (11) में कहा गया है कि सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान किया जाएगा।'विचलन' वाक्यांश को हटा दिया गया है।राज्य सभा की प्रवर समिति के समक्ष सरकार ने कहा था कि विवादों का समाधान मध्यस्थता और मध्यस्थता सहित तौर-तरीकों से किया जाएगा।वित्त की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण अनुच्छेद 279 बी को हटाने की विशेष रूप से सिफारिश की; और

((ii) 2011 के संशोधन विधेयक के तहत, जी. एस. टी. परिषद केवल तभी सिफारिश कर सकती है जब सर्वसम्मत निर्णय लिया जाए।हालांकि, वित्त की स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक विविधता के कारण आम सहमति पर पहुंचना मुश्किल होगा, इसलिए सिफारिशें सर्वसम्मति के बजाय बहुमत से की जानी चाहिए।यह सिफारिश करते समय यह देखा गया कि यदि जी. एस. टी. परिषद वर्तमान अधिकार प्राप्त समिति की तरह काम करती है, जहां मतभेदों को संस्थागत तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाता है, तो यह सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देगा।

ग

डी.

सी**. 2** जी**.** एस**.** टी**.** परिषद की सिफारिशों की प्रकृति

ई.

भारतीय संघवादःसहकारी संघवाद की वार्ता

44. जी. एस. टी. परिषद की 'सिफारिशों' को बाध्यकारी मानने के पक्ष में दलीलें दो गुना 69 हैंःपहला, यदि जी. एस. टी. परिषद बाध्यकारी सिफारिशें नहीं कर सकती है, तो जी. एस. टी. की पूरी संरचना ध्वस्त हो जाएगी क्योंकि प्रत्येक राज्य एक परस्पर विरोधी कर और संग्रह तंत्र लगाएगा और दूसरा, यदि सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, तो अनुच्छेद 279 (11) के तहत कोई विवाद नहीं होगा क्योंकि राज्य सिफारिशों की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र होंगे।जी. एस. टी. परिषद की 'सिफारिशों' को केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी समझने के खिलाफ दलीलें दो गुना 70 हैंःसबसे पहले, यह संसद और राज्य विधानसभाओं की सर्वोच्चता का उल्लंघन करेगा क्योंकि दोनों के पास है

च

जी.

69 आलोक प्रसन्ना, 'पॉटेज की गड़बड़ी के लिएःराज्यों को राजस्व बढ़ाने का जी. एस. टी. का वादा संविधान 'नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया रिव्यू' के संघीय ढांचे की कीमत पर आता है।खण्ड. 28, नंबर 2 (2016), पीपी-97-113।

70 अजितेश किर, 'भारत का वस्तु एवं सेवा करःसहकारी संघवाद में एक अनूठा प्रयोग और प्रतीक्षा में एक संवैधानिक संकट 'कैनेडियन टैक्स जर्नल (2021) 69:2, 391-445.

एच.

389

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

जी. एस. टी. पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति; और दूसरा, यह राज्यों के राजकोषीय संघवाद का उल्लंघन करेगा क्योंकि केंद्र का एक तिहाई वोट शेयर है और राज्यों का सामूहिक रूप से दो तिहाई वोट शेयर है।इसलिए, केंद्र की सहमति के बिना तीन-चौथाई बहुमत पर कोई भी सिफारिश पारित नहीं की जा सकती है।

45. संघीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण है।श्री एच. एम. सीरवई ने यह तर्क देते हुए कि भारत एक संघीय राष्ट्र है, राज्यों द्वारा यह स्थापित करने के लिए कर लगाने की अनन्य शक्ति का उल्लेख किया कि राज्यों को केवल 'अधीनस्थ' मामलों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं दी गई थीः“यदि 'अधीनस्थ' का अर्थ 'महत्वपूर्ण नहीं' है, तो इस संबंध में, वर्तमान लेखक प्रो.विशेष राज्य सूची का व्हीयर का मूल्यांकन।सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, उल्लेख करने के लिए लेकिन कुछ, बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं; और इसी तरह कृषि, पानी (अंतर-राज्यीय नदियों के पानी पर संघ के नियंत्रण के अधीन), भूमि और मत्स्य पालन भी हैं।एक बार फिर, संघ और राज्यों के बीच करों का आवंटन पारस्परिक रूप से अनन्य है, और राज्यों को विशेष रूप से आवंटित कर नगण्य नहीं हैं।इस प्रकार बिक्री कर भारत में राजस्व का एक विस्तारित स्रोत है क्योंकि यह लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के तहत तेजी से औद्योगिकृत हो रहा है।औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र में, बिक्री कर से होने वाला लाभ लगभग रु। 1971-72 के वर्ष के लिए 1580 मिलियन, और वर्ष 1972-3 के लिए अनुमान लगभग रु। 1780 मिलियन।

ग

डी.

ई.

[...]

च

(ट) यह विचार कि महत्वहीन मामले राज्यों को सौंपे गए थे, सूची II में राज्यों को सौंपे गए बहुत महत्वपूर्ण विषयों के बावजूद बनाए नहीं रखा जा सकता है, और यही बात राज्यों की कर लगाने की शक्तियों पर भी लागू होती है जो संघ की कर लगाने की शक्तियों से पारस्परिक रूप से अलग हैं ताकि आम तौर पर राज्यों के पास अपने स्वयं के राजस्व का स्वतंत्र स्रोत हो।सूची II में करों से संबंधित विधायी प्रविष्टियों से पता चलता है कि राज्यों के लिए उपलब्ध राजस्व के स्रोत पर्याप्त हैं और तेजी से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे।राज्यों की अनन्य कर लगाने की शक्तियों के अलावा, राज्य या तो संघ द्वारा एकत्र किए गए उचित करों या संघ द्वारा एकत्र किए गए करों में एक हिस्से के हकदार हो जाते हैं।"

जी.

एच.

न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत ने एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 71 में अपने और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के लिए लिखते हुए भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति को स्थापित करने के लिए कराधान के प्रमुखों के अनन्य और समान विधायी वितरण का उल्लेख किया।72 इसलिए, कराधान के मामलों पर राज्यों और केंद्र द्वारा रखी गई अनन्य शक्तियों को भारत की संघीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता था।संविधान संशोधन अधिनियम 2016 संसद और राज्य विधानसभाओं को 'एक साथ शक्तियां' प्रदान करके अप्रत्यक्ष कराधान पर केंद्र और राज्य के बीच विधायी वितरण को बदल देता है और प्रतिकूलता के लिए कोई प्रावधान नहीं है।इसलिए, अनुच्छेद 246 ए के अनुसार, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास जी. एस. टी. के पहलुओं पर कानून बनाने की समान शक्ति है। संघ का यह तर्क है कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिश संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए क्योंकि दोनों संघीय इकाइयों को समान शक्ति दी गई है।संघ ने तर्क दिया है कि यदि सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, तो यह एक ऐसे गतिरोध की ओर ले जाएगी जहां विभिन्न केंद्रीय और राज्य विधान एक ही क्षेत्र का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

ग

डी.

46. अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य विधानसभाओं को जी. एस. टी. पर एक अद्वितीय, एक साथ कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी संदर्भ में जी. एस. टी. परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है।जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें सर्वसम्मत निर्णय पर आधारित नहीं हैं, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत पर आधारित हैं, जहां संघ का वोट एक-तिहाई के रूप में गिना जाता है, जबकि राज्यों के वोटों का कुल डाले गए वोटों का दो-तिहाई भार होता है।जी. एस. टी. परिषद में मतदान प्रणाली के दो महत्वपूर्ण गुण हैं।पहला, जी. एस. टी. परिषद में एक असमान मतदान संरचना है, जहां राज्यों का सामूहिक रूप से दो-तिहाई मतदान हिस्सा है और संघ का एक-तिहाई मतदान हिस्सा है; और दूसरा, चूंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, इसलिए यह संभव है कि केंद्र में सत्ता में पार्टी विभिन्न राज्यों में सत्ता में हो या न हो।इसलिए, जी. एस. टी. परिषद न केवल सहकारी संघवाद के अभ्यास के लिए बल्कि दलगत आधार पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए भी एक मार्ग है। इस प्रकार, जी. एस. टी. परिषद में चर्चा संघवाद और लोकतंत्र दोनों को प्रभावित करती है।संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का संवैधानिक डिजाइन सुई जेनरिस है क्योंकि यह संघवाद की अनूठी विशेषताओं का परिचय देता है।अनुच्छेद 246 ए जी. एस. टी. पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति प्रदान करके केंद्र और राज्यों को समान इकाइयों के रूप में मानता है।जी. एस. टी. के गठन में अनुच्छेद 279 ए

ई.

च

जी.

71 (1994) 3 एस. सी. सी. 1 72 प्रसन्ना (संख्या 69)

एच.

391

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

परिषद की परिकल्पना है कि न तो केंद्र और न ही राज्य दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।

47. दोहरा संघवाद मॉडल या स्वायत्तता मॉडल केंद्र और राज्यों की गठित इकाइयों को स्वायत्त, स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी इकाइयों के रूप में देखता है।इस मॉडल को प्रतिस्पर्धी संघवाद भी कहा जाता है, जहां घटक इकाइयां एक-दूसरे के साथ 'प्रतिस्पर्धा' करती हैं।सहकारी संघवाद मॉडल के समर्थकों का तर्क है कि प्रत्येक इकाई को एक अलग स्वायत्त इकाई के रूप में देखना एक गलती है।सहकारी संघवाद के सिद्धांत के अनुसार, एकीकरण वह उद्देश्य है जिसे संघवाद हासिल करना चाहता है न कि स्वायत्तता।73 जहां दोहरे संघवाद को सत्ता की संरचनाओं के चित्रण के कारण 'परत केक संघवाद' कहा जाता है, वहीं सहकारी संघवाद को संघीय इकाइयों के एकीकृत दृष्टिकोण के कारण 'संगमरमर केक संघवाद' के रूप में जाना जाता है।74 राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ 75 में इस न्यायालय ने कहा है कि भारत सहकारी संघवाद के मॉडल का पालन करता है जहां केंद्र और राज्य सरकारों को विकास के मार्ग में उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता है।मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने सहकारी संघवाद की अवधारणा को स्पष्ट कियाः

ग

डी.

“119. इस प्रकार, सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा के पीछे विचार बातचीत और समन्वय है ताकि विकास के अपने-अपने कार्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर किया जा सके।केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राज्य कौशल, संयुक्त कार्रवाई और ईमानदारी से सहयोग करके एक समाधान पर पहुंचने के इरादे से आम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।सहयोगात्मक संघवाद में, केंद्र और राज्य सरकारों को साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी व्यक्त करनी चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।एक कार्यात्मक संविधान में, अधिकारियों को किसी भी संघर्ष से बचने के लिए ईमानदारी से चिंता व्यक्त करनी चाहिए।इस अवधारणा को तब ध्यान में रखना होगा जब दोनों अधिकार के स्रोत के रूप में संवैधानिक प्रावधान पर भरोसा करने का इरादा रखते हैं।हम पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि केंद्र और राज्यों दोनों को अपने-अपने क्षेत्रों में काम करना चाहिए और किसी भी अतिक्रमण के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन

ई.

च

जी.

73 रॉबर्ट ए. शापिरो, 'जस्टिस स्टीवंस थ्योरी ऑफ इंटरएक्टिव फेडरलिज्म' 74 फोर्डहम एल. रेव. 2133 (2006)

74 जेसिका बुलमैन-पोजेन और हीथर के. गेर्केन, 'असहयोगी संघवाद' येल लॉ जर्नल, वॉल्यूम। 118.सं. 7 (मई, 2009), पृ. 1256-1310

75 (2018) 8 एस. सी. सी. 501

एच.

उनके क्षेत्रों में अधिकार के प्रयोग के संदर्भ में, परिपक्व राजनीतिक कौशल की धारणा होनी चाहिए ताकि संवैधानिक रूप से प्रदत्त जिम्मेदारियों को उनके द्वारा साझा किया जा सके।इस तरह के दृष्टिकोण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निरंतर और निर्बाध बातचीत की आवश्यकता होती है।"

48. भारतीय संविधान को कभी-कभी अर्ध-संघीय या 'केंद्रीकरण प्रवाह' के साथ एक संविधान के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब संविधान को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो संघ को शक्ति का एक बड़ा हिस्सा दिया जाता है।इस

केंद्रीकरण प्रवाह के उदाहरण अनुच्छेद 254,248 और 353 में देखे जा सकते हैं।हालाँकि, अनुच्छेद 246 ए जैसे उदाहरण हैं, जहाँ केंद्र और राज्यों को समान शक्ति प्रदान की गई है।केवल इसलिए कि संविधान के कुछ प्रावधान संघ को शक्ति का अधिक हिस्सा प्रदान करते हैं, जिन प्रावधानों में संघीय इकाइयों के पास समान शक्ति होने की परिकल्पना की गई है, उन्हें संघ के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।केंद्र और राज्यों के पास एक साथ जी. एस. टी. पर कानून बनाने की शक्ति है। जी. एस. टी. परिषद के पास जी. एस. टी. से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सिफारिशें करने की शक्ति है। चूंकि संविधान में जी. एस. टी. पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए एक प्रतिकूल प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है, इसलिए जी. एस. टी. परिषद को सहयोग और सहयोग के माध्यम से एक व्यवहार्य राजकोषीय मॉडल तक पहुंचने के लिए अनुच्छेद 279 ए (6) द्वारा प्रदान किए गए सामंजस्यपूर्ण तरीके से आदर्श रूप से कार्य करना चाहिए।

ग

डी.

ई.

49. संघीय प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने के लिए एक बहुलवादी समाज की जरूरतों को समायोजित करने का एक साधन है।यह विविधता और स्वायत्तता की इच्छा के साथ-साथ एकता और समानता की इच्छा को मिलाने का प्रयास करता है। लोकतंत्र और संघवाद अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर इस तरह निर्भर हैं कि संघवाद केवल अच्छी तरह से काम करने वाले लोकतंत्रों में ही स्थिर रहेगा।इसके अतिरिक्त, एक संघीय राजनीति में घटक इकाइयाँ एक समूह को प्रमुख शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए एक दूसरे की शक्ति के प्रयोग की जाँच करती हैं।भारतीय संविधान, हालांकि अनिवार्य रूप से संघीय है, कुछ स्थितियों में अराजकता को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए संघ को अधिक शक्ति प्रदान करता है।76 हालाँकि, भले ही संघीय इकाइयाँ पारंपरिक संघीय प्रणाली की तरह पूरी तरह से स्वायत्त नहीं हैं, फिर भी इकाइयाँ सत्ता में हैं।दो घटक इकाइयों के बीच संबंध जो स्वायत्त नहीं हैं, लेकिन अपने कामकाज के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं, व्यवहार में हमेशा सहयोगी या सहकारी नहीं होते हैं।यदि राज्यों को कम शक्ति प्रदान की गई है तो भी वे जनादेश का विरोध कर सकते हैं

च

जी.

76 सीरवई (एन 50)

एच.

393

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

संवैधानिक अभिकल्पना द्वारा अनुमत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न रूपों का उपयोग करके संघ का गठन।इस तरह की प्रतिस्पर्धा संघवाद और लोकतंत्र दोनों के सिद्धांत को आगे बढ़ाती है।जब संघीय इकाइयों के पास असमान शक्ति होती है, तो उनके बीच सहयोग आवश्यक रूप से सहयोगात्मक नहीं होता है।सामंजस्यपूर्ण निर्णय न केवल सहयोग पर बल्कि प्रतिस्पर्धा पर भी पनपता है।भारतीय संघवाद एक ऐसा संवाद है जिसमें राज्य और केंद्र लगातार बातचीत करते हैं।इस तरह के संवादों को स्पेक्ट्रम के दो छोरों पर रखा जा सकता है-सहयोगात्मक चर्चा जो सहकारी संघवाद स्पेक्ट्रम के एक छोर पर और दूसरे छोर पर अंतरालीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है।जेसिका बुलमैन और हीथर के ने अपने निबंध में अंतरालीय प्रतिस्पर्धा को 'असहयोगी संघवाद' के रूप में संदर्भित किया है।77 उनका तर्क है कि जिन राज्यों के पास कम शक्ति है, वे विनियामक अंतराल का उपयोग करके या केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने जैसे सविनय अवज्ञा द्वारा लाइसेंस प्राप्त असहमति, असहमति का उपयोग कर सकते हैं।सहकारी संघवाद के रूपों को असहयोगी संघवाद में असहमति से अलग करते हुए, लेखकों का कहना है:

ग

“हम सोचते हैं कि असहमति को नियमित बातचीत से अलग करने के लिए सबसे अच्छा प्रॉक्सी यह है कि क्या राज्य की कार्रवाई को राष्ट्रीय नीति को बदलने के प्रयास के रूप में उचित रूप से समझा जा सकता है।राज्य के भीतर संघीय नीति के समायोजन या संशोधन को प्राप्त करने के प्रयास को आमतौर पर सहकारी सौदेबाजी के एक उदाहरण के रूप में समझा जाना चाहिए।राष्ट्रीय नीति को चुनौती देने और बदलने के प्रयास को असहमति के रूप में सही समझा जाता है।"

डी.

ई.

50. प्रतियोगिता का ऐसा रूप या जैसा कि लेखक इसे 'असहयोगी संघवाद' कहते हैं, मूल्यवान है क्योंकि "हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में कुछ स्तर का टकराव, कुछ मात्रा में राज्य प्रतिस्पर्धा, कुछ विचार-विमर्श करना वांछनीय है।” 78 इसलिए, यदि राज्य केंद्र के फैसले से असहमत हैं तो वे विभिन्न प्रकार के विरोध का उपयोग कर सकते हैं।प्रतिस्पर्धा के ऐसे रूप भी भारतीय संघवाद के ढांचे के भीतर हैं।जी. एस. टी. परिषद न केवल भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली तक सीमित एक संवैधानिक निकाय है, बल्कि संघवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी है।

च

जी.

51. भारतीय संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक 'राजकोषीय संघवाद' है।2014 के संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ने पर, संसदीय रिपोर्टों और भाषणों से संकेत मिलता है कि अनुच्छेद 246 ए और 279 ए को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ पेश किया गया थाः

77 बुलमन-पोजेन और के. गेर्केन (संख्या 74) 78 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ 1284

एच.

राज्यों और केंद्र के बीच सहकारी संघवाद और सद्भाव को बढ़ाना।हालांकि, जी. एस. टी. परिषद में केंद्र का एक तिहाई वोट शेयर है।यह अनुच्छेद 246 ए में प्रतिकूल प्रावधान की अनुपस्थिति के साथ जोड़ा गया है जो इंगित करता है कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हो सकती हैं।इस तरह की व्याख्या जी. एस. टी. व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य के विपरीत होगी और भारतीय संघवाद के ठीक संतुलन को भी हटा देगी।इसलिए, यह तर्क कि यदि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, तो जी. एस. टी. की पूरी संरचना ध्वस्त हो जाएगी, इसमें कोई दम नहीं है।संविधान के प्रावधानों को इस तरह पढ़ने से विचारों के सहयोग और विरोध द्वारा निर्णयों पर पहुंचने के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय के रूप में जी. एस. टी. परिषद की भूमिका कम हो जाती है।

ग

'सिफारिशों' का प्रासंगिक अर्थ

52. 'सिफारिश' वाक्यांश का उपयोग संविधान के कई प्रावधानों में किया जाता है, लेकिन वाक्यांश का महत्व प्रासंगिक रूप से भिन्न होता है।केंद्र सरकार की प्रस्तुति के आधार पर, पाँच श्रेणियाँ हैं जिनमें संविधान में 'सिफारिश' वाक्यांश को लागू किया गया हैः

डी.

((i) श्रेणी 1:मतदान के लिए संसद के समक्ष रखने से पहले राष्ट्रपति द्वारा की गई अनुशंसाःअनुच्छेद 3,109,111,113,117,203,207,255 और 274 में राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिफारिशों पर चर्चा की गई है।यहां चर्चा शुरू करने की सिफारिश करने वाले प्राधिकरण और निर्णय लेने वाले प्राधिकरण अलग-अलग हैं।

ई.

((ii) श्रेणी 2:परामर्श के बाद की गई अनुशंसाःअनुच्छेद 233 में 'परामर्श' और 'सिफारिश' वाक्यांशों का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 233 (1) में कहा गया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। खंड 2 में कहा गया है कि एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए मानदंड जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, वह कम से कम सात साल के लिए एक वकील या अधिवक्ता होना चाहिए और जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश की जानी चाहिए।नियुक्ति के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया है, पहला, उम्मीदवारी की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए; और दूसरा, अनुशंसित उम्मीदवार की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के साथ 'परामर्श' में की जाती है।

च

जी.

एच.

395

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

((iii) श्रेणी 3:जवाबदेही के साथ अनुशंसाःअनुच्छेद 243I, 243Y, 280,281,338,338B और 340।अनुच्छेद 243I और 243Y में कहा गया है कि वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं को करों के विभाजन पर राज्यपाल को 'सिफारिशें' करेगा।अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर "राष्ट्रपति को सिफारिशें करना आयोग का कर्तव्य होगा"।अनुच्छेद 281 यह प्रावधान करके जवाबदेही को बढ़ावा देता है कि वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को ऐसी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सदन के समक्ष रखा जाएगा।अनुच्छेद 338 (5) (ई) में कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें अनुसूचित जाति के संरक्षण और विकास को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों को सूचीबद्ध किया जाएगा। अनुच्छेद 338 (6) में कहा गया है कि राष्ट्रपति सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या अस्वीकृति, यदि कोई हो, के कारण को समझाते हुए एक ज्ञापन के साथ रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखेगा।अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश करने वाली प्रकृति पर एक समान प्रावधान है।राष्ट्रपति के पास पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति है।आयोग को उन्हें भेजे गए मामलों की जांच करनी होती है और राष्ट्रपति को सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसे एक स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष रखा जाएगा।

ग

डी.

ई.

च

((iv) श्रेणी 4:गैर-योग्यता अनुशंसाः28 मई 1990 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना के लिए राष्ट्रपति का आदेश और अनुच्छेद 263।अनुच्छेद 263 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जनहित में एक अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं जो नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करेगी।अंतर-राज्य परिषद का गठन अंतर-राज्य परिषद आदेश 1990 द्वारा किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट रैंक के छह मंत्री शामिल थे।

जी.

एच.

396

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

(v) श्रेणी 5:सिफारिशें जो प्रकृति में अनिवार्य हैंःअनुच्छेद 270,275,344,349 और 371 एःअनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और संसद की समिति की स्थापना करता है।अनुच्छेद 344 (2) में कहा गया है कि आधिकारिक भाषाओं के उपयोग पर राष्ट्रपति को सिफारिश करना आयोग का कर्तव्य होगा।खंड 3 में कहा गया है कि भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति और गैर-हिंदी भाषी व्यक्तियों के दावे को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें की जाएंगी।अनुच्छेद 344 (4) लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की एक समिति का गठन करता है।समिति को आयोग की सिफारिशों की जांच करनी होगी और राष्ट्रपति को अपनी राय देनी होगी।राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, पूरी रिपोर्ट या रिपोर्ट के किसी भी हिस्से के अनुसार निर्देश जारी करेगा।अनुच्छेद 349 संविधान के प्रारंभ से पहले पंद्रह वर्षों में भाषा से संबंधित कानून के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है।अनुच्छेद 270 और 275 में कहा गया है कि भारत की संचित निधि से राज्यों के लिए कर विभाजन और अनुदान के निर्धारण का प्रतिशत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर आदेश दिया जाएगा।

ग

डी.

ई.

53. उपरोक्त प्रावधानों का एक सर्वेक्षण इंगित करता है कि 'सिफारिश' शब्द की प्रकृति और अर्थ प्रासंगिक रूप से भिन्न है।सभी प्रावधान सिफारिश की प्रकृति के योग्य हैं।उदाहरण के लिए, श्रेणी एक में, राष्ट्रपति की सिफारिश चर्चा की शुरुआत के लिए है; श्रेणी दो में, सिफारिश पर निर्णय 'परामर्श' पर लिया जाता है; श्रेणी तीन में, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या निष्क्रियता पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करनी होती है।; श्रेणी चार में, सिफारिशें योग्य नहीं हैं।अनुच्छेद 263 केवल यह बताता है कि अंतर-राज्य परिषद का कर्तव्य है कि वह सिफारिश करे।इस बारे में आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या सिफारिश को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, या उस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए; श्रेणी पाँच में, प्राधिकरण की सिफारिशों को स्पष्ट रूप से निर्णय लेने वाले प्राधिकरण पर 'बाध्यकारी' कहा गया है।

च

जी.

54. जी. एस. टी. परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है, को जी. एस. टी. से संबंधित क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सिफारिशें करने का कर्तव्य सौंपा गया है। जीएसटी परिषद के पास अनुच्छेद ए के तहत पूर्ण शक्तियां हैं।

एच.

397

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

279 ए (4) (एच) जहां वह जी. एस. टी. से संबंधित 'किसी अन्य मामले' पर सिफारिशें कर सकता है जैसा कि परिषद तय कर सकती है।जी. एस. टी. परिषद को अनुच्छेद 279 ए के खंड 6 में दिए गए प्रावधान के अनुसार संघीय इकाइयों के बीच सामंजस्यपूर्ण विचार-विमर्श के माध्यम से अपनी सिफारिशों पर पहुंचना होगा। संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत, जो यह

प्रावधान करते हैं कि सिफारिशें राष्ट्रपति या राज्यपाल को की जाएंगी, अनुच्छेद 279 ए में कहा गया है कि सिफारिशें 'संघ और राज्यों' को की जाएंगी।अनुच्छेद 279 ए के तहत की गई जी. एस. टी. परिषद की सिफारिश गैर-योग्य है।अर्थात्, इस तरह की सिफारिश के मूल्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है।फिर भी यह धारणा कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें अनुच्छेद 246 ए के तहत अपने आप में और अपने आप में कानून में बदल जाती हैं, बहुत दूर की बात होगी।यदि जी. एस. टी. परिषद का उद्देश्य एक निर्णय लेने वाला प्राधिकरण होना था, जिसकी सिफारिशें कानून में बदल जाती हैं, तो ऐसी योग्यता को अनुच्छेद 246 ए या 279 ए में शामिल किया जाता। न तो अनुच्छेद 279 ए एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होता है और न ही अनुच्छेद 246 ए यह प्रदान करता है कि विधायी शक्ति अनुच्छेद 279 ए के अधीन है।

ग

डी.

55. संविधान में कुछ संदर्भों में 'परामर्श' वाक्यांश का उपयोग किया गया है।उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 320 (3) में कहा गया है कि सिविल पदों से संबंधित मामलों पर लोक सेवा आयोग से 'परामर्श' किया जाएगा।अनुच्छेद 320 (3) इस प्रकार हैः

ई.

“(3) संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, जैसा भी मामला हो, से परामर्श किया जाएगा-(ए) सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर;

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नति या स्थानान्तरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर;

च

[...]”

(जोर दिया गया**)**

जी.

56. यदि जी. एस. टी. परिषद का उद्देश्य एक संवैधानिक निकाय होना था जिसकी सिफारिशें बिना किसी हस्तक्षेप अधिनियम के कानून में बदल जाती हैं, तो अनुच्छेद 246 ए में एक स्पष्ट प्रावधान होता। अनुच्छेद 279 ए अनुशंसाओं को विधायिका में श्रेणी 3 के प्रावधानों की तरह पेश करने का आदेश नहीं देता है, जहां अनुशंसाएं होनी चाहिए।

एच.

अनिवार्य रूप से एक व्याख्यात्मक नोट के साथ विधानमंडल में पेश किया गया।केवल सी. जी. एस. टी. अधिनियम 79 और आई. जी. एस. टी. अधिनियम 80 के प्रावधानों के तहत परिषद की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए द्वितीयक कानून को संसद के सदनों के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।'केंद्र या राज्यों के लिए सिफारिशें' वाक्यांश का उपयोग इंगित करता है कि जी. एस. टी. परिषद जी. एस. टी. पर कानून बनाने में सरकार की सहायता करने वाली एक संस्तुति निकाय है।

57. मनोहर बनाम महाराष्ट्र राज्य **81** वाले मामले में दो**-**न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (2) की व्याख्या करते हुए कहा कि 'सिफारिश' वाक्यांश की व्याख्या 'निर्देश' या 'जनादेश' के विपरीत की जानी चाहिए।इसे इस प्रकार देखा गयाः“22. हम देख सकते हैं कि धारा 20 (1) के परंतुक में विशेष रूप से विचार किया गया है कि धारा 20 (1) के तहत अनुध्यात दंड लगाने से पहले आयोग संबंधित अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर देगा।हालाँकि, धारा 20 (2) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।धारा 20 (2) केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को उस धारा में बताए गए कारणों के लिए शिकायत या अपील पर निर्णय लेने के समय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के खिलाफ संबंधित सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार देती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग दंडात्मक परिणाम लागू कर सकता है। जब ऐसी सिफारिश प्राप्त होती है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण कानून के अनुसार और कानून की आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का संचालन करेगा।यह एक "सिफारिश" है और जांच करने का "जनादेश" नहीं है।“अनुशंसा को "दिशा" या "जनादेश" के विपरीत देखा जाना चाहिए।लेकिन सिफारिश स्वयं अपराधी लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को ऐसे परिणामों के साथ निहित करती है जो गंभीर प्रकृति के होते हैं और अंततः प्रासंगिक सेवा नियमों के भीतर कदाचार सहित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं और मामूली और/या बड़े दंड को आमंत्रित कर सकते हैं।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

79 सी. जी. एस. टी. अधिनियम 80 की धारा 166 आई. जी. एस. टी. अधिनियम 81 (2012) की धारा 24 13 एस. सी. सी. 14 ए.

एच.

399

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

नारायणदास इंदुरख्या बनाम मध्य प्रदेश राज्य **82** में**,** ए

संविधान पीठ ने कहा कि एक 'सिफारिश' का प्रेरक मूल्य होता है।इस मामले में, यह न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या बोर्ड द्वारा 'अनुशंसित' पाठ्यपुस्तकों को तुरंत प्रभावी माना जा सकता है।न्यायालय ने टिप्पणी कीः

“15. ... एक पाठ्य पुस्तक की सिफारिश और प्रिस्क्रिप्शन के बीच एक बुनियादी अंतर है।जब ऐसा करने की कानूनी शक्ति रखने वाले उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित की जाती है, तो स्कूलों को इसका पालन करना पड़ता है।एक पाठ्य पुस्तक का प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ पाठ्य पुस्तक का पालन करने के लिए एक बाध्यकारी दायित्व रखता है।ऐसा कोई दायित्व नहीं है जब एक पाठ्यपुस्तक की केवल सिफारिश की जाती है।अनुशंसा का केवल एक प्रेरक प्रभाव होता है, यह स्कूलों के लिए सिफारिश को स्वीकार करने या इसे अस्वीकार करने के लिए खुला है जैसा वे उचित समझते हैं।स्कूल अनुशंसित पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं या वे प्राचार्यों की पसंद के अनुसार नहीं कर सकते हैं।यही कारण है कि बोर्ड को पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश करने में सक्षम बनाने के लिए वैधानिक शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे मामले में अधिकार से परे होने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है।अब 5 अप्रैल, 1972,25 अप्रैल, 1972,26 अप्रैल और 17 मई, 1972 की अधिसूचनाओं की विषय वस्तु बनने वाली पाठ्य पुस्तकों की केवल सिफारिश की गई थी और बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी और केवल अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों के रूप में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से अलग होने के कारण, उन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित दिन से तुरंत पहले 'लागू' नहीं कहा जा सकता था।इसलिए, धारा 4, उप-धारा (2) इन पाठ्य पुस्तकों के संबंध में लागू नहीं होती थी और उन्हें धारा 4, उप-धारा (2) के तहत निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के रूप में नहीं माना जा सकता था।"

ग

डी.

ई.

कई मामलों में, इस न्यायालय ने दोहराया है कि सिफारिशें एक 'निर्देश' या 'जनादेश' के विपरीत बाध्यकारी और लागू करने योग्य अधिकार नहीं बना सकती हैं।83

च

आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों की तुलना में 'सिफारिश' की व्याख्या

58. संघ का तर्क है कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए बाध्यकारी हैं।

जी.

82 (1974) 4 एस. सी. सी. 788

83 भारत संघ बनाम प्रदीप कुमार डे, (2000) 8 एस. सी. सी. 580; केसोरम इंडस्ट्रीज एंड कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम। सी. डब्ल्यू. टी., (1966) 2 एस. सी. आर. 688; सोम मित्तल बनाम कर्नाटक सरकार, (2008) 3 एस. सी. सी. 753; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम टी. गोपालकृष्णन मूर्ति, (1976) 2 एस. सी. सी. 883।

एच.

आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट है कि वे सिफारिशों के साथ खुद को संरेखित करने के लिए सहमत हुए हैं। आई. जी. एस. टी. अधिनियम, सी. जी. एस. टी. अधिनियम और एस. जी. एस. टी. अधिनियमों के कुछ प्रावधानों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सरकार को सौंपी गई नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर किया जाएगा।उदाहरण के लिए, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि कर योग्य घटना, कर योग्य दर और कर योग्य मूल्य को सरकार द्वारा "परिषद की सिफारिशों" पर अधिसूचित किया जाएगा।इसी तरह, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को कर से छूट देने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 6 के तहत जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर किया जाएगा। धारा 22 में प्रावधान है कि सरकार जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम में भी धारा 9,11 और 164 में इसी तरह के प्रावधान हैं।

ग

59. आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधान जो यह प्रावधान करते हैं कि केंद्र सरकार को जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर कार्य करना है, उनकी व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य के संदर्भ में की जानी चाहिए, जो एक समान कराधान प्रणाली बनाना है।जी. एस. टी. को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि अलग-अलग राज्य पहले अलग-अलग कर स्लैब और अलग-अलग छूट प्रदान कर सकते थे।जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं जब वह समान कराधान प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए द्वितीयक कानून को अधिसूचित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करती है।अनुच्छेद 279 ए के तहत परिषद के पास जी. एस. टी. से संबंधित मामलों पर व्यापक सिफारिश करने की शक्तियां हैं, जिसमें आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियम बनाने की शक्ति के दायरे से बाहर

आने वाले विषयों पर सिफारिश करने की शक्ति है। केवल इसलिए कि जी. एस. टी. परिषद की कुछ सिफारिशें सी. जी. एस. टी. अधिनियम और आई. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि जी. एस. टी. परिषद की सभी सिफारिशें बाध्यकारी हैं।प्रथम सिद्धांत के रूप में, संविधान के प्रावधानों, जो राष्ट्र का कठोर मानदंड है, की व्याख्या प्राथमिक विधान के प्रावधानों के आधार पर नहीं की जा सकती है।यह केवल एक प्राथमिक विधान के प्रावधान हैं जिनकी व्याख्या संविधान के संदर्भ में की जा सकती है।विधायिका अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके संविधान में संशोधन करती है और अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके कानून बनाती है।विधायिका की घटक शक्ति उसकी विधायी शक्ति की तुलना में उच्च संवैधानिक क्रम की होती है।भले ही यह संसद ही हो जिसने द्वितीयक ए को अधिसूचित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार पर बाध्यकारी जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों को लागू करने वाले कानून बनाए हों।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

401

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

विधान, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अनुच्छेद 279 ए के तहत अपनी शक्ति के आधार पर की गई परिषद की सभी सिफारिशों का विधानमंडल पर एक बाध्यकारी बल है।

60. इस पृष्ठभूमि और संदर्भ के साथ, अब हम जी. एस. टी. कानून की योजना का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ेंगे और क्या जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर लगाया गया विवादित शुल्क वैध है और कानून के तहत अनुमेय है।

डी विश्लेषण

डी**. 1** आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम **84** के सांविधिक प्रावधान और योजना

61. आई. जी. एस. टी. अधिनियम केंद्र सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर आई. जी. एस. टी. लगाने में सक्षम बनाता है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की प्रस्तावना में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

ग

"केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम।"

डी.

आई. जी. एस. टी. के लेवी और संग्रह में सहायता करने के लिए, आई. जी. एस. टी. अधिनियम आपूर्ति की प्रकृति, आपूर्ति के समय और आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक योजना प्रदान करता है।

ई.

62. सांविधिक व्याख्या यह निर्धारित करेगी कि क्या आई. जी. एस. टी. अधिनियम केंद्र सरकार को, जी. एस. टी. परिषद के परामर्श से, आई. जी. एस. टी. की धारा 5 (3) के तहत सेवाओं की आपूर्ति के रूप में आयात को नामित करने की शक्तियां प्रदान करता है और क्या आयातक को ऐसी आपूर्ति का प्राप्तकर्ता माना जा सकता है, जो रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।इसके अलावा, यह निर्धारित करेगा कि क्या केंद्र सरकार के पास, जी. एस. टी. परिषद के

परामर्श से, आई. जी. एस. टी. अधिनियम के 5 (4) के तहत किसी सेवा के प्राप्तकर्ता के रूप में आयातक को नामित करने की शक्तियां हैं, जब माल सी. आई. एफ. आधार पर आयात किया जाता है।इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन सी. आई. एफ. अनुबंधों में शिपिंग की सेवा का लाभ गैर-कर योग्य निर्यातक द्वारा लिया जाता है जो आयातक की भागीदारी के बिना अपनी पसंद की विदेशी शिपिंग लाइन को संलग्न करता है और भुगतान करता है।इसके विपरीत, एफओबी अनुबंधों में, भारतीय आयातक शिपिंग की सेवाओं के लिए भुगतान करता है और सीधे शिपिंग लाइन के साथ सौदा करता है।यहाँ उत्तरदाता सी. आई. एफ. आधार पर गैर-कोकिंग कोयले के आयातक हैं।

च

जी.

84 ध्यान देंःनिर्णय को पढ़ते समय सुविधा प्रदान करने के लिए, कुछ वैधानिक प्रावधान निर्णय में एक से अधिक स्थानों पर परिलक्षित होते हैं।

एच.

63. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करती है।इस तरह के कर को लागू करने की शक्ति अनुच्छेद 269 ए (1) के साथ पठित अनुच्छेद 286 (2) से प्राप्त होती है।धारा 5 की उप-धारा (1) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाने का प्रावधान करती है।धारा 5 इस प्रकार हैः

"5. लेवी और संग्रह।— (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा और ऐसी दरों पर, जो चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।, जो परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और ऐसी तरीके से एकत्र किया जाए जो निर्धारित की जाए और कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएः

ग

डी.

बशर्ते कि भारत में आयातित वस्तुओं पर एकीकृत कर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित मूल्य पर उस समय लगाया और एकत्र किया जाएगा जब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के तहत उक्त वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है।"

ई.

आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) के प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3 के अनुसार भारत में आयातित वस्तुओं पर कर लगाया जाता है।सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम के तहत मूल्य उस समय निर्धारित किया जाता है जब सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार लगाया जाता है।

च

64. विपरीत शुल्क के आधार पर आई. जी. एस. टी. के भुगतान पर धारा 5 की उप-धारा (3) और (4) में विचार किया गया है।उप-धारा (3) में प्रावधान है कि आई. जी. एस. टी. का भुगतान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की निर्दिष्ट श्रेणियों पर रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जा सकता है।केंद्र सरकार को जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर इन श्रेणियों को

निर्दिष्ट करने का अधिकार है।इसलिए, अपनी स्पष्ट शर्तों पर, वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति की विशिष्ट श्रेणियों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दोनों पर रिवर्स चार्ज के आधार पर आई. जी. एस. टी. के भुगतान की परिकल्पना की गई है।द ए.

जी.

एच.

403

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाता है।शक्ति, दूसरे शब्दों में, वस्तुओं या सेवाओं (या दोनों) की श्रेणियों को निर्दिष्ट करना है।यह प्रावधान सरकार को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को निर्दिष्ट करने का अधिकार नहीं देता है।धारा 5 85 की असंशोधित उप-धारा (4) में प्रावधान किया गया है कि एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान एक निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं की ऐसी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा।उपरोक्त प्रावधान इस प्रकार हैंः

"(3) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिस पर कर का भुगतान ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर ऐसे लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हो।

ग

डी.

(4) एक पंजीकृत व्यक्ति को, जो पंजीकृत नहीं है, एक आपूर्तिकर्ता द्वारा कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में एकीकृत कर का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर ऐसे लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हो।"

ई.

65. 28 जून 2017 को, केंद्र सरकार ने सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 (5) और धारा 16 (1) के साथ पठित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1), धारा 6 (1) और धारा 20 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की। अधिसूचना 8/2017 की प्रविष्टि 9 (ii) इस प्रकार हैः

च

85 धारा 5 की उप-धारा 4 को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा 1 फरवरी 2019 से संशोधित किया गया था और यह इस प्रकार हैः

जी.

"(4) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जो किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करेंगे, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।"

एच.

ग

डी.

अधिसूचना 8/2017 की प्रविष्टि 9 (ii) द्वारा, निर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति पर 5 प्रतिशत का एकीकृत कर लगाया गया था, जिसमें भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमा शुल्क स्टेशन तक किसी पोत में माल का परिवहन शामिल था।

66. 28 जून 2017 को केंद्र सरकार द्वारा आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना 10/2017 जारी की गई थी। अधिसूचना 10/2017 आयातक को सेवा के परिवहन के प्राप्तकर्ता के रूप में निर्दिष्ट करती है जब आपूर्तिकर्ता एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित होता है और परिवहन की सेवा एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की जाती है।अधिसूचना 10/2017 की प्रविष्टि 10 निम्नलिखित बताती हैः

ई.

च

एस. आई. नं.	सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	के आपूर्तिकर्ता	सेवा प्राप्तकर्ता
0)	(2)	(3)	(4)
10	गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमा शुल्क स्टेशन तक माल के परिवहन के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं।	गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति	आयातक, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के खंड (26) में परिभाषित किया गया है, कर योग्य क्षेत्र में स्थित है।

जी.

इस प्रकार, अधिसूचना 10/2017 की प्रविष्टि 10 माल के आयातक को विदेशी शिपिंग लाइन द्वारा माल के परिवहन का 'सेवा प्राप्तकर्ता' मानती है।

एच.

405

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

67. दोनों विवादित अधिसूचनाओं, अधिसूचना 8/2017 और अधिसूचना 10/2017 को आई. जी. एस. टी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण चुनौती दी गई है। पक्षों द्वारा उठाई गई चुनौतियों का सामना करने से पहले, सी. जी. एस. टी. अधिनियम, आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम में निहित कुछ प्रमुख प्रावधानों का विज्ञापन करना आवश्यक हो जाता है। ये प्रावधान उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए कई तर्कों का जवाब देने के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शामिल हैंः(i) क्या विवादित अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित कर योग्य घटना आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत एक 'आपूर्ति' का गठन करती है; (ii) क्या सी. आई. एफ. आधार पर माल के आयातक को शिपिंग सेवाओं का 'प्राप्तकर्ता' माना जा सकता है जब वे प्रतिफल का भुगतान नहीं करते हैं; और (iii) क्या माल का आयात एक समग्र आपूर्ति का गठन करता है, अन्य बातों के अलावा।

ग

68. आई. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधान पूरे भारत में लागू होते हैं जैसा कि धारा 1 के तहत प्रदान किया गया है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 प्रभार अनुभाग है।धारा 5 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि आई. जी. एस. टी. के शुल्क का भुगतान कर योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।'कर योग्य व्यक्ति' शब्द को सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (107) में परिभाषित किया गया हैः

डी.

“(107) “"कर योग्य व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है।

69. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (98) 'रिवर्स चार्ज' को परिभाषित करती हैः“(98) “"प्रतिवर्ती प्रभार" से ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तु या सेवाओं की या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने का दायित्व अभिप्रेत है, धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत या एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत।

ई.

जैसा कि उपरोक्त खंड में परिभाषित किया गया है, रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत, भुगतान करने का दायित्व माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर है, जैसा कि माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के विपरीत है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) व्यक्तियों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करती है।

च

जिन्हें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना पड़ता है।

“24. कुछ मामलों में अनिवार्य पंजीकरण।—धारा 22 की उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगाः -

जी.

(i) कोई भी अंतर-राज्यीय कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति; (ii) कर योग्य आपूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति;

एच.

((iii) ऐसे व्यक्ति जिन्हें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है।

[.....]

(xii) ऐसा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके।**"**

(जोर दिया गया)

70. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (105) वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में 'आपूर्तिकर्ता' को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

"(105) "किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों के संबंध में आपूर्तिकर्ता का अर्थ होगा उक्त वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति और इसमें आपूर्ति की गई वस्तु या सेवा या दोनों के संबंध में ऐसे आपूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाला एक एजेंट शामिल होगा।

ग

71. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के 'प्राप्तकर्ता' को परिभाषित करती है और प्रदान करती हैः

डी.

"(93) "माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता का अर्थ है-(ए) जहां माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय है, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है; (बी) जहां माल की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, वह व्यक्ति जिसे माल दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है, या जिसे माल का कब्जा या उपयोग दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है; और

ई.

(ग) जहां किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, वह व्यक्ति जिसे सेवा प्रदान की जाती है,

च

और जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है, उसके लिए किसी भी संदर्भ को आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में माना जाएगा और इसमें आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करने वाला एक एजेंट शामिल होगा।

72. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (14) और 2 (15) सेवाओं के प्राप्तकर्ता और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के स्थान को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः"(14) "सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान का अर्थ है--

जी.

(क) जहाँ व्यवसाय के उस स्थान पर आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, वहाँ व्यवसाय के ऐसे स्थान का स्थान; क

एच.

(ख) जहां उस व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (कहीं और एक निश्चित प्रतिष्ठान), ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान; (ग) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों पर आपूर्ति प्राप्त होती

है, चाहे वह व्यवसाय का स्थान हो या निश्चित प्रतिष्ठान, उस प्रतिष्ठान का स्थान जो आपूर्ति की प्राप्ति से सबसे अधिक सीधे संबंधित है; और

(घ) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, प्राप्तकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

(15) "सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान का अर्थ है--

ग

(क) जहाँ व्यवसाय के उस स्थान से आपूर्ति की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, वहाँ व्यवसाय के ऐसे स्थान का स्थान;

(ख) जहां उस व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से आपूर्ति की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (कहीं और एक निश्चित प्रतिष्ठान), ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान; (ग) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों से आपूर्ति की जाती है, चाहे वह व्यवसाय का स्थान हो या निश्चित प्रतिष्ठान, उस प्रतिष्ठान का स्थान जो आपूर्ति के प्रावधान से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है; और

डी.

ई.

(घ) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, आपूर्तिकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

73. आई. जी. एस. टी. अधिनियम का अध्याय IV आपूर्ति की प्रकृति को निर्धारित करता है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 अंतर-राज्यीय आपूर्ति के रूप में आपूर्ति की प्रकृति को निर्धारित करती है, धारा 8 अंतर-राज्यीय आपूर्ति का प्रावधान करती है और धारा 9 क्षेत्रीय जल में आपूर्ति का प्रावधान करती है।

च

74. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 में आपूर्ति को "अंतर-राज्यीय आपूर्ति" के रूप में समझने की शर्तें निर्धारित की गई हैं।प्रासंगिक प्रावधान, विशेष रूप से धारा 7 की उप-धारा (3) और (4) इस प्रकार हैं:

"7. अंतर-राज्यीय आपूर्ति।—(1) धारा 10 के प्रावधानों के अधीन, माल की आपूर्ति, जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान -

जी.

((क) दो अलग-अलग राज्य;

(ख) दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश; या (ग) एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश,

एच.

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

[.....]

(3) धारा 12 के प्रावधानों के अधीन, सेवाओं की आपूर्ति, जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान है-(ए) दो अलग-अलग राज्य;

(ख) दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश; या (ग) एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश,

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

ग

(4) भारत के क्षेत्र में आयातित सेवाओं की आपूर्ति को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।"

डी.

(जोर दिया गया)

75. 'आपूर्ति' शब्द को सी. जी. एस. टी. अधिनियम के संदर्भ में आई. जी. एस. टी. अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (21) में प्रावधान है किः

“(21) “आपूर्ति का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 में दिया गया है।

ई.

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) में प्रावधान है किः“7. आपूर्ति का दायरा।

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "आपूर्ति" अभिव्यक्ति में शामिल हैं-(ए) माल या सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूप या दोनों जैसे कि बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान जो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किए गए या किए जाने के लिए सहमत किए गए हैं।

च

[((क) किसी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने सदस्यों या घटकों को या इसके विपरीत, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई गतिविधियाँ या लेन-देन।

जी.

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि, उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

एच.

न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो अलग-अलग व्यक्ति माना जाएगा और गतिविधियों या लेनदेन की आपूर्ति एक ऐसे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को की गई मानी जाएगी;]

[(ख) व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए सेवाओं का आयात**; [**और**]**

(ग) अनुसूची **I** में निर्दिष्ट गतिविधियाँ**,** बिना किसी विचार के की गई या करने के लिए सहमत की गई**;**

(जोर दिया गया)

कर योग्य क्षेत्र शब्द को आई. जी. एस. टी. की धारा 2 (22) में परिभाषित किया गया है।

ग

अधिनियम का अर्थ है "वह क्षेत्र जिस पर इस अधिनियम [आई. जी. एस. टी. अधिनियम] के प्रावधान लागू होते हैं।"

76. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 सेवाओं की आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने से संबंधित है जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान या प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर हैः

डी.

“13. सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान या प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर है।—

(1) इस धारा के प्रावधान सेवाओं की आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए लागू होंगे जहां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान या सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर है।

ई.

(2) उप**-**धारा **(3)** से **(13)** में निर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान होगाः

बशर्ते कि जहां सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध नहीं है, आपूर्ति का स्थान सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा।

च

(3) निम्नलिखित सेवाओं की आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहाँ वास्तव में सेवाएं की जाती हैं, अर्थात्ः— [.....]

जी.

(6) जहां उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट किसी सेवा की आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र में किसी स्थान सहित एक से अधिक स्थानों पर की जाती है, वहां उसकी आपूर्ति का स्थान कर योग्य क्षेत्र में वह स्थान होगा।

[....]

एच.

(9) डाक या कूरियर के अलावा माल के परिवहन की सेवाओं की आपूर्ति का स्थान**,** ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा।

(10) यात्री परिवहन सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहाँ यात्री निरंतर यात्रा के लिए परिवहन पर निकलता है।

(12) ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में स्थित माना जाएगा, यदि निम्नलिखित गैर-विरोधाभासी शर्तों में से कोई भी दो शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात्ः—

ग

(क) इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत पते का स्थान कर योग्य क्षेत्र में है;

(बी) क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या स्टोर वैल्यू कार्ड या चार्ज कार्ड या स्मार्ट कार्ड या कोई अन्य कार्ड जिसके द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता भुगतान का निपटारा करता है, कर योग्य क्षेत्र में जारी किया गया है; (सी) सेवा प्राप्तकर्ता का बिलिंग पता कर योग्य क्षेत्र में है;

डी.

ई.

(घ) सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता कर योग्य क्षेत्र में है;

(ङ) सेवाओं के प्राप्तकर्ता का बैंक जिसमें भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला खाता रखा जाता है, कर योग्य क्षेत्र में है;

(च) सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभिदाता पहचान मॉड्यूल कार्ड का देश कोड कर योग्य क्षेत्र का है;

च

(छ) उस निश्चित भूमि रेखा का स्थान जिसके माध्यम से प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्राप्त की जाती है, कर योग्य क्षेत्र में है।

(13) दोहरे कराधान या किसी सेवा की आपूर्ति पर गैर-कर लगाने को रोकने के लिए, या नियमों के समान अनुप्रयोग के लिए, सरकार के पास सेवाओं या परिस्थितियों के किसी भी विवरण को अधिसूचित करने की शक्ति होगी जिसमें आपूर्ति का स्थान किसी सेवा के प्रभावी उपयोग और आनंद का स्थान होगा।"

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

411

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

77. आई. जी. एस. टी. अधिनियम के अध्याय IX में विविध प्रावधान हैं, जिसके तहत आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि आपूर्ति, समग्र या मिश्रित आपूर्ति, समय और आपूर्ति के मूल्य के दायरे से संबंधित सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधान एकीकृत कर पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगे।इस संबंध में, सेवाओं की आपूर्ति का समय सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 में प्रदान किया गया है, जबकि कर योग्य आपूर्ति का मूल्य सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित किया जाता है।

78. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि सेवाओं पर कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्ति के समय उत्पन्न होता है।धारा 13 की उप-धारा (3) आपूर्ति के समय के लिए प्रावधान करती है जब कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाता हैः

ग

“13. सेवाओं की आपूर्ति का समय।[...]

(3) आपूर्ति के मामले में जिसके संबंध में कर का भुगतान किया जाता है या रिवर्स चार्ज के आधार पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों में से पहले होगा, अर्थात्:—

डी.

(क) प्राप्तकर्ता की लेखा बहियों में दर्ज भुगतान की तारीख या जिस तारीख को उसके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है, जो भी पहले हो; या

(ख) आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान या किसी अन्य दस्तावेज को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, जारी करने की तारीख से साठ दिनों के तुरंत बाद की तारीखः

ई.

बशर्ते कि जहां खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव नहीं है, वहां आपूर्ति का समय आपूर्ति प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगीःबशर्ते कि संबद्ध उद्यमों द्वारा आपूर्ति के मामले में, जहां सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है, आपूर्ति का समय आपूर्ति प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या भुगतान की तारीख, जो भी पहले हो, होगी।" धारा 13 की उप-धारा (5) में आपूर्ति के समय का प्रावधान है जब इसे उप-धारा (2), (3) या (4) के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता हैः

च

जी.

"(5) जहां उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव नहीं है, वहां आपूर्ति का समय -

एच.

(क) ऐसे मामले में जहां आवधिक विवरणी दाखिल की जानी है, वह तारीख हो जिस पर ऐसी विवरणी दाखिल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य मामले में, वह तिथि हो जिस पर कर का भुगतान किया जाता है।"79. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 कर योग्य आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण का प्रावधान करती है।उप-धारा (1) में प्रावधान है कि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य लेन-देन मूल्य होगा। उप-धारा (2) में प्रावधान है कि आपूर्ति के मूल्य में वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के तहत अलग से लगाए गए कर, शुल्क, शुल्क आदि, आकस्मिक व्यय, ब्याज, विलंब शुल्क जुर्माना आदि शामिल होंगे। उप-धारा (4) और (5) वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य के लिए प्रावधान करती हैं यदि इसे उप-धारा (1) के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

ग

"15. कर योग्य आपूर्ति का मूल्य।—(1) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य लेन-देन मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं की उक्त आपूर्ति के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य है या दोनों जहां आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं हैं और आपूर्ति के लिए मूल्य एकमात्र विचार है।[....]

डी.

(4) जहां माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य उप-धारा (1) के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां उसे ऐसी तरीके से निर्धारित किया जाएगा जो निर्धारित की जाए।

ई.

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी आपूर्ति का मूल्य जो परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, उस तरीके से निर्धारित किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।"

डी**. 2** क्या विवादित अधिसूचनाएँ अत्यधिक प्रत्यर्पण से प्रभावित होती हैं**?**

च

80. अनुच्छेद 286 (1) में कहा गया है कि जब वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति राज्य के बाहर होती है या भारत के क्षेत्र से वस्तुओं या सेवाओं के आयात या निर्यात के दौरान होती है तो राज्य कर नहीं लगाएगा।अनुच्छेद 286 के खंड (2) में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है कि खंड (1) द्वारा निर्धारित वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कब होती हैः

जी.

"286(1):किसी राज्य का कोई भी कानून वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर नहीं लगाएगा या लागू करने को अधिकृत नहीं करेगा, जहां ऐसी आपूर्ति होती है।

एच.

413

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(क) राज्य के बाहर; या

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर वस्तुओं या सेवाओं के आयात या दोनों के आयात या वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात के दौरान।

(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) में उल्लिखित किसी भी तरीके से माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है।"

81. अनुच्छेद 269 ए में प्रावधान है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर जी. एस. टी. केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा।केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन का तरीका संसद द्वारा जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर प्रदान किया जाना है।अनुच्छेद 269 ए (1) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि आयात के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति माना जाएगा।खंड (5) में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है और जब अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति होती हैः

ग

डी.

"269 अ**. (1)** अंतर**-**राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर वस्तु और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा और ऐसा कर संघ और राज्यों के बीच उस तरीके से विभाजित किया जाएगा जो वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा कानून द्वारा प्रदान किया जाए।स्पष्टीकरण**-**इस खंड के प्रयोजनों के लिए**,** भारत के राज्य क्षेत्र में आयात के क्रम में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को अंतर**-**राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति माना जाएगा।

ई.

च

[...]

(5) संसद, कानून द्वारा, आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को तैयार कर सकती है, और जब वस्तुओं, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।"

जी.

(जोर दिया गया)

82. अनुच्छेद 269 ए में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा निम्नलिखित निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती हैः((क) आपूर्ति का स्थान और (ख) जब

एच.

वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।अनुच्छेद 286 (1) संसद को यह निर्धारित करने के लिए कानून द्वारा सिद्धांत तैयार करने का अधिकार देता है कि (ए) राज्य के बाहर और (बी) भारत के क्षेत्र के बाहर आयात या निर्यात के दौरान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति कब होती है।संसद ने अनुच्छेद 269 ए और 286 (1) के तहत आवश्यक सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए आई. जी. एस. टी. अधिनियम लागू किया।आई. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधान कर के उद्ग्रहण और संग्रह (धारा 5 (1)), वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात (धारा 2 (5) और 2 (6)), वस्तुओं और सेवाओं के आयात (धारा 2 (10) और 2 (11)), सेवाओं के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के स्थान की पहचान (धारा 2 (14) और 2 (15)), अंतर-राज्य आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण (धारा 7), क्षेत्रीय जल में आपूर्ति (धारा 9), भारत में आयात और भारत से निर्यात के संबंध में आपूर्ति का स्थान (धारा 11), और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में और भारत के बाहर है (धारा 12 और 13) से संबंधित हैं।

ग

83. प्रत्यर्थियों का तर्क है कि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) केवल उन वस्तुओं या सेवाओं की श्रेणियों की पहचान करने की शक्ति प्रदान करती है जिन पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा।यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि अधिसूचना 10/2017 धारा 5 (3) के प्रयोजनों के लिए एक आयातक की पहचान एक सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में करती है, इसलिए यह अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर मूल अधिनियम के अधिकार से बाहर है।

डी.

84. विधायिका को अपने आवश्यक विधायी कार्यों को पूरा करना आवश्यक है।एक बार जब विधायिका द्वारा नीति की मूलभूत संरचना तैयार की जाती है, तो प्रत्यायोजित विधानों के माध्यम से विवरण सामने आ सकते हैं।86 यह एक तय स्थिति है कि विधायिका अपने 'आवश्यक विधायी कार्यों' को सौंप नहीं सकती है।87 जी. एस. टी. कानून के संबंध में आवश्यक विधायी कार्य कर का उद्ग्रहण, कर का विषय, कर योग्य व्यक्ति, कराधान की दर और कराधान के उद्देश्य के लिए मूल्य हैं।कराधान के इन आवश्यक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत आई. जी. एस. टी. अधिनियम में पाए जाते हैंःधारा 5 (1) कराधान के विषय को वस्तुओं, सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्यीय आपूर्ति के रूप में पहचानती है; सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (107) एक कर योग्य व्यक्ति की पहचान करती है; धारा 5 (1) कराधान की दर के रूप में अधिकतम 40 प्रतिशत की सीमा प्रदान करती है; और धारा 5 (1) निर्धारित करती है कि कराधान का मूल्य सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित किया जाए।

ई.

च

जी.

86 दिल्ली नगर निगम बनाम बिड़ला कपास कताई और बुनाई मिल, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1232; अविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1979 1 एस. सी. सी. 137

87 दिल्ली कानून अधिनियम 1912, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 332; एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम.अजमेर राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 25; ए. एन. परासरन बनाम तमिलनाडु राज्य, (1989) 4 एस. सी. सी. 683 ए

एच.

415

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

85. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (98) "रिवर्स चार्ज" को आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करने के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के दायित्व के रूप में परिभाषित करती है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) "प्राप्तकर्ता" को तीन स्थितियों के संदर्भ में परिभाषित करती है (i) जब माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए प्रतिफल देय है; (ii) जब माल की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है; और (iii) जब सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है।पहली स्थिति में, प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा प्रतिफल देय होता है।दूसरी स्थिति में, प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे (ए) माल दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है; या (बी) माल का कब्जा या उपयोग दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम एक प्राप्तकर्ता के लिए रिवर्स चार्ज के आधार पर कर लगाने की दो गुना आवश्यकता भी निर्धारित करता है-प्राप्तकर्ता को सी. जी. एस. टी. की धारा 2 (84) के तहत परिभाषित 'व्यक्ति' होना चाहिए; और व्यक्ति केवल तभी 'कर योग्य व्यक्ति' है जब वह पंजीकृत है या धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, उन्हें पंजीकृत होना चाहिए।इसलिए, आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम दोनों ही रिवर्स चार्ज, प्राप्तकर्ता और कर योग्य व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं।इस प्रकार, आवश्यक विधायी कार्यों और विपरीत प्रभार को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है।86. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) सरकार को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है जिन पर प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाएगा।सरकार को जी. एस. टी. परिषद की सिफारिश पर इस शक्ति का प्रयोग करना है।सरकार ने आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विवादित अधिसूचना 10/2017 जारी की जिसमें 'आपूर्ति की श्रेणियों' को निर्दिष्ट किया गया है जो रिवर्स चार्ज के अधीन होगी। अधिसूचना में मानदंडों को निर्दिष्ट करने के अलावा, उन श्रेणियों में संबंधित प्राप्तकर्ता का भी उल्लेख किया गया है।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम रिवर्स चार्ज को परिभाषित करते हैं और उन उद्देश्यों के लिए कर लगाने वाली इकाई को निर्धारित करते हैं।इसलिए, प्रत्येक श्रेणी में प्राप्तकर्ता की शर्त केवल स्पष्टीकरणात्मक है।सरकार ने अधिसूचना द्वारा रिवर्स चार्ज के उद्देश्यों के लिए आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) में निर्धारित कर योग्य इकाई से अलग एक कर योग्य इकाई को निर्दिष्ट नहीं किया है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

डी**. 3** चार्जिंग अनुभागः**कर** योग्य व्यक्ति**,** कर योग्य दर और मूल्य निर्धारित करने का तरीका

87. आक्षेपित अधिसूचनाओं के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए, उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए कुछ प्रारंभिक तर्क इस प्रकार होने चाहिएः

एच.

संबोधित किया।उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि आयातक के हाथों में कर लगाए जाने वाले समुद्री माल ढुलाई लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।यह आरोप लगाया गया है कि केवल धारा 5 (1) एक आरोप प्रावधान है और धारा 5 (3) और 5 (4) स्वतंत्र रूप से आरोप नहीं लगा सकती है।

88. इस दावे का आकलन करते हुए, यह न्यायालय मथुरम अग्रवाल (उपरोक्त) में संविधान पीठ के एक निर्णय से बाध्य है, जिसने कराधान के तीन आवश्यक तत्वों की पहचान की हैः

((i) कर का विषय;

((ii) वह व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है; और (iii) वह दर जिस पर कर का भुगतान किया जाना है।

ग

इस परीक्षण को दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आगे विस्तृत किया गया है।

इस न्यायालय ने गोबिंद सरन गंगा सरन (ऊपर) में आगे की आवश्यकता के साथ

उस माप या मूल्य का पदनाम जिस पर कर की दर लागू की जाएगी।इस प्रकार, कराधान के चार नियम इस प्रकार हैंः((i) कर योग्य घटना;

डी.

((ii) वह व्यक्ति जिस पर शुल्क लगाया जाता है; (iii) वह दर जिस पर शुल्क लगाया जाता है; और

((iv) वह माप या मूल्य जिस पर दर लागू की जाएगी।89. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) विशेष रूप से कराधान के चार नियमों की पहचान करती हैः(i) कर योग्य घटना के रूप में वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति; (ii) उस व्यक्ति के रूप में "कर योग्य व्यक्ति" जिस पर शुल्क लगाया जाता है; (iii) जी. एस. टी. परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी दर के रूप में कर योग्य दर, जिसकी सीमा चालीस प्रतिशत है; और (iv) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य के रूप में कर योग्य मूल्य।

ई.

च

90. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और धारा 5 (4) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं जो कि प्रभार का प्रावधान है।कराधान की शक्तियों को निर्धारित करने में उनका एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए।सी. आई. टी. बनाम बी. सी. श्रीनिवास सेट्टी 88 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है कि एक अधिनियम के मशीनरी प्रावधान और आरोप लगाने वाली धाराएं अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं।न्यायालय ने टिप्पणी कीः

जी.

“एक लेन-देन जिस पर उन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है, उसे धारा 45 द्वारा कभी भी आरोप का विषय नहीं माना जाना चाहिए।यह अनुमान सामान्य व्यवस्था से प्रवाहित होता है

88 ए. आई. आर 1981 एस. सी. 972 ए

आय कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, जहां आय के प्रत्येक शीर्ष के तहत प्रभार के प्रावधान के साथ उस शुल्क के अधीन आय की गणना के लिए प्रावधानों का एक सेट होता है।द.

प्रत्येक मामले में गणना प्रावधानों का चरित्र आवेश की प्रकृति के साथ संबंध रखता है।इस प्रकार प्रभार अनुभाग और संगणना प्रावधान एक साथ गठित होते हैं।

एक एकीकृत कोड।जब कोई ऐसा मामला होता है जिसमें गणना के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकते हैं, तो यह स्पष्ट है कि ऐसा मामला आरोप अनुभाग के भीतर आने का इरादा नहीं था।"

(जोर दिया गया)

कर योग्य व्यक्ति

ग

91. प्रत्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि आयातक को वैध रूप से कर योग्य व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है।हालाँकि, यह तर्क सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (107) और 24 के साथ-साथ विवादित अधिसूचनाओं को बारीकी से पढ़ने में विफल होना चाहिए। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों को सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने का आदेश देती है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (107) एक "कर योग्य व्यक्ति" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 के तहत पंजीकृत है या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है। न तो सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (107) और न ही सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 "सेवा प्राप्तकर्ता" पर रिवर्स शुल्क लगाने के योग्य है और मोटे तौर पर इसे "उन व्यक्तियों पर लागू करती है जिन्हें रिवर्स शुल्क के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।"चूंकि विवादित अधिसूचना 10/2017 आयातक की पहचान आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्राप्तकर्ता के रूप में करती है, इसलिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान करने में विफलता का तर्क नहीं है।

डी.

ई.

च

92. लघु उद्योग (उपरोक्त) में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय ने सेवा कर के संग्रह को प्रभावी बनाने के लिए वित्त अधिनियम 1997 के तहत तैयार किए गए कुछ सेवा कर नियमों को अमान्य कर दिया।वित्त अधिनियम 1997 की धारा 68 (1) (ए) के साथ पठित धारा 66 में विशेष रूप से कर योग्य व्यक्ति की पहचान केवल उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए की गई है जो सेवा कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं।नियमों में माल परिवहन संचालकों और समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों के ग्राहकों की पहचान निर्धारिती के रूप में करके एक उलट शुल्क लागू करने की मांग की गई थी, भले ही वे सेवा कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार न हों।नियमों को रद्द करने का आधार यह था कि वित्त अधिनियम 1997 सेवा की आपूर्ति नहीं करने वाले व्यक्ति पर इस तरह के उलट शुल्क लगाने में सक्षम नहीं था।न्यायालय ने कहाः

जी.

"9. धारा 68 (1-ए) एक विशेष प्रावधान है जिसे वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा जोड़ा गया है।धारा 68 (1) के अनुसार "प्रत्येक व्यक्ति जो कर योग्य सेवा प्रदान कर रहा था, वह वह है जिसे धारा 66 में निर्दिष्ट दर पर सेवा कर एकत्र करने की आवश्यकता है।"धारा 65 के खंड (41) की मद (छ) से (छ) में निर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं के संबंध में, धारा 68 (1-ए) में प्रावधान है कि ऐसी सेवा के लिए सेवा कर ऐसे व्यक्ति से और उस तरीके से एकत्र किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए और ऐसे व्यक्ति के लिए सभी प्रावधान ऐसे लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी सेवा के संबंध में सेवा कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हो।जैसा कि हम धारा 68 को पढ़ते हैं, यह किसी भी तरह से धारा 66 के तहत लगाए गए सेवा कर के शुल्क को बदलने या बदलने का प्रयास नहीं करता है, जो सेवा कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर है।हमारा यह भी मानना है कि यह किसी भी तरह से धारा 65 के किसी भी खंड में संशोधन नहीं करता है जिसमें विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं शामिल हैं।धारा 68 (1-ए) केवल इतना ही करने में सक्षम बनाती है कि निर्धारिती या सेवा कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के संबंध में, संबंधित व्यक्ति या अधिकारी की पहचान की जा सकती है और यह वह व्यक्ति है जो सेवा कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा।दूसरे शब्दों में यह प्रावधान, अर्थात्,

ग

डी.

धारा **68 (1-**ए**)** की इस तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती है कि किसी व्यक्ति को निर्धारिती बनाया जाए**,** भले ही वह सेवा कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार न हो।सेवा कर उन सेवाओं के कारण लगाया जाता है जो प्रदान की जाती हैं।यह आरोप सेवा देने वाले व्यक्ति पर लगाया जाता है।बेशक**,** यह एक अप्रत्यक्ष कर हो सकता है**;** यह संभव हो सकता है कि इसे ग्राहक को दिया जाए**,** लेकिन जहां तक शुल्क और मूल्यांकन का संबंध है**,** यह केवल सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति है जिसे एक निर्धारिती के रूप में माना जा सकता है न कि ग्राहक।

ई.

च

यही एकमात्र तरीका है जिससे प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जा सकता है।

[...]

10. क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंटों और माल परिवहन ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में विवादित नियमों में "सेवा कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति" की परिभाषा में संशोधन करके जिम्मेदार व्यक्ति को क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंटों और माल ट्रांसपोर्टर का ग्राहक या ग्राहक कहा जाता है।दूसरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में और ए

जी.

एच.

419

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

नियम 2 (घ) के उप-नियम (i) से (xi) और (xiii) से (xvi) में निर्दिष्ट, जिम्मेदार व्यक्ति की परिभाषा अधिनियम की धारा 65 में आने वाली उस अभिव्यक्ति की परिभाषा के अनुरूप है। हालांकि, समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों और माल परिवहन ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में नियम 2 (डी) (xii) और (xvii) में निहित परिभाषाएं, जो ग्राहकों या

ग्राहकों को निर्धारिती के रूप में बनाने का प्रयास करती हैं, स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 65 और 66 के साथ टकराव में हैं।

(जोर दिया गया)

लघु उद्योग (उपरोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि संसद ने आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और 5 (4) के तहत रिवर्स चार्ज की अवधारणा को वैधानिक रूप से शामिल किया है। विवादित अधिसूचना 10/2017 स्पष्ट रूप से एक कर योग्य व्यक्ति को निर्दिष्ट करती है जो क़ानून में परिकल्पित रिवर्स शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।इस प्रकार, कर योग्य व्यक्ति की पहचान करने में कथित विफलता के लिए विवादित अधिसूचनाओं को अमान्य नहीं किया जा सकता है।

ग

डी.

कर योग्य मूल्य

93. 8 जून 2016 के एक शुद्धिपत्र द्वारा, कर योग्य मूल्य का माप सी. आई. एफ. मूल्य का दस प्रतिशत शामिल करने के लिए अधिसूचना 8/2017 में संशोधन किया गया था।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के तहत कर योग्य मूल्य निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि मूल्य को सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 (1) 89 द्वारा सख्ती से निर्धारित किया जाना चाहिए न कि प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से।तथापि, धारा 15 (4) और 15 (5) प्रत्यायोजित विधान को जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर मूल्य निर्धारण के लिए विधियां निर्धारित करने में सक्षम बनाती हैं।धारा 15 नीचे दी गई हैः

ई.

च

“धारा 15-कर योग्य आपूर्ति का मूल्यः[...]

(4) जहां माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य उप-धारा (1) के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां उसे ऐसी तरीके से निर्धारित किया जाएगा जो निर्धारित की जाए।

जी.

89 “धारा 15:कर योग्य आपूर्ति का मूल्य-(1) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य लेन-देन मूल्य होगा, जो वस्तुओं या सेवाओं की उक्त आपूर्ति के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य है या दोनों जहां आपूर्ति करने वाला और प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं हैं और आपूर्ति के लिए मूल्य ही एकमात्र प्रतिफल है।"

एच.

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी आपूर्ति का मूल्य जो परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, उस तरीके से निर्धारित किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।"

सी. जी. एस. टी. नियम 2017 के अध्याय 4 के नियम 27 से 31 तक आपूर्ति के मूल्य को निर्धारित करने का तरीका निर्धारित करते हैं।नियम 31 में मूल्यांकन के तरीके निर्धारित करने के लिए जी. एस. टी. परिषद को अवशिष्ट शक्तियों का भी

प्रावधान है।“31. वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के लिए अवशिष्ट विधि।— जहां वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य नियम 27 से 30 के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां धारा 15 के सिद्धांतों और सामान्य प्रावधानों और इस अध्याय के प्रावधानों के अनुरूप उचित साधनों का उपयोग करके इसका निर्धारण किया जाएगाः

ग

बशर्ते कि सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, आपूर्तिकर्ता नियम 30 की अनदेखी करते हुए इस नियम का विकल्प चुन सकता है।"

94. उत्तरदाताओं ने आग्रह किया है कि आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण केवल नियमों के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि अधिसूचना द्वारा।हालाँकि, यह एक अनुचित प्रतिबंधात्मक व्याख्या होगी।संसद ने बुनियादी ढांचा प्रदान किया है और प्रत्यायोजित कानून एक व्यवहार्य तंत्र बनाने के लिए आवश्यक पूरक प्रदान करता है।सी. जी. एस. टी. नियम 2017 का नियम 31 विशेष रूप से सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के सिद्धांतों के अनुरूप उचित साधनों का उपयोग करके विशिष्ट मामलों में मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए एक अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। यही वह जगह है जहाँ वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य सी. जी. एस. टी. नियम 2017 के नियम 27 से 30 के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, विवादित अधिसूचना 8/2017 को अत्यधिक प्रत्यायोजन के लिए रद्द नहीं किया जा सकता है जब यह रिवर्स चार्ज के आधार पर कर लगाने के लिए तंत्र के रूप में CIF मूल्य का 10 प्रतिशत निर्धारित करता है।

डी.

ई.

च

डी**. 4** कर योग्य घटनाःक्या वस्तुओं के आयात के लिए समुद्री माल ढुलाई लेनदेन आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **5 (3)** के तहत सेवाओं की आपूर्ति की एक वैध श्रेणी है**?**

95. विवादित अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने के लिए दूसरा अंग "कर योग्य घटना" की पहचान के संबंध में है।निर्धारण के लिए जो सवाल आता है वह यह है कि क्या आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत 2017 में जारी की गई विवादित अधिसूचनाएं वैध रूप से एक कर योग्य घटना निर्धारित करती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति का गठन करती है और आयातक सी. आई. एफ. लेनदेन में प्रेषण सेवाओं का प्राप्तकर्ता होता है।

जी.

एच.

421

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

96. सी. आई. एफ. अनुबंधों के तहत वस्तुओं का आयात सेवा का एक वैध आयात है या नहीं, इसके विश्लेषण का जवाब दो पहलुओं पर दिया जाना चाहिएः(i) क्या आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) के साथ पठित धारा 5 (3) के तहत शिपिंग सेवा की आपूर्ति की एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में आयात का वर्गीकरण वैध है; और (ii) क्या आयातित माल का प्राप्तकर्ता भी धारा 5 (3) के तहत सी. आई. एफ. लेनदेन में शिपिंग सेवाओं का प्राप्तकर्ता है।

डी. 4.(क) क्या सी. आई. एफ. आधार पर खरीदी गई आयातित वस्तुएं अंतर-राज्यीय आपूर्ति हैं या यह एक अतिरिक्त-क्षेत्रीय कर है?

97. अधिसूचना 8/2017 विशेष रूप से उस सेवा को चित्रित करती है जो आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत सेवा की एक निर्दिष्ट श्रेणी के रूप में एक गैर-कर योग्य क्षेत्र से माल के परिवहन के साथ है। यह वर्गीकरण ऐसी परिवहन सेवा के प्राप्तकर्ता पर विपरीत शुल्क के आधार पर कर लगाता है।उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि सी. आई. एफ. अनुबंध में शिपिंग की सेवा की आपूर्ति विदेशी निर्यातक को विदेशी शिपिंग लाइन से होती है।यह आरोप लगाया जाता है कि इस लेन-देन का भारत के साथ कोई क्षेत्रीय संबंध नहीं है और यह "आपूर्ति" का गठन नहीं करता है जिस पर सी. जी. एस. टी. अधिनियम और आई. जी. एस. टी. अधिनियम के अर्थ के भीतर कर लगाया जा सके।

ग

डी.

98. अब हम यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कुछ प्रमुख प्रावधानों का विज्ञापन करेंगे कि क्या वर्तमान मामले में कर योग्य घटना यानी "भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमा शुल्क केंद्र तक माल के परिवहन के माध्यम से एक गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं" आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) के प्रभार के उद्देश्यों के लिए एक 'अंतर-राज्य आपूर्ति' का गठन करती हैं, जिसे धारा 5 (3) और अपरिवर्तित धारा 5 (4) के साथ पढ़ा जाता है।

ई.

99. धारा 5 (1) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी "अंतर-राज्यीय आपूर्ति" पर आई. जी. एस. टी. लगाती है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) केंद्र सरकार को, जी. एस. टी. परिषद की सिफारिश पर, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है या दोनों जहां प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाएगा।उत्तरदाताओं के तर्क का विश्लेषण करते समय, इसे लागू करने के लिए जी. एस. टी. और संवैधानिक संशोधन के उद्देश्य को प्रासंगिक बनाना महत्वपूर्ण है।आधुनिक वाणिज्य में, वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर तेजी से पदार्थ की तुलना में डिग्री का मामला बनता जा रहा है।जी. एस. टी. का उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं की "आपूर्ति" के कराधान पर ध्यान केंद्रित करना है।आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधान वैश्विक और डिजिटल युग में आपूर्ति की जटिलताओं को पर्याप्त रूप से पकड़ने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

च

जी.

एच.

100. 'आपूर्ति' शब्द को सी. जी. एस. टी. अधिनियम के संदर्भ में आई. जी. एस. टी. अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (21) में प्रावधान है किः

“(21) “आपूर्ति का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 में दिया गया है।

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) इस प्रकार प्रदान करती हैः“7. आपूर्ति का दायरा।

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "आपूर्ति" अभिव्यक्ति में शामिल हैं-(ए) माल या सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूप या दोनों जैसे कि बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान जो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किए गए या किए जाने के लिए सहमत किए गए हैं।

ग

[((क) किसी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने सदस्यों या घटकों को या इसके विपरीत, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई गतिविधियाँ या लेन-देन।

डी.

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि, तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, व्यक्ति और उसके सदस्य या घटक दो अलग-अलग व्यक्ति माने जाएंगे और गतिविधियों या लेन-देन की आपूर्ति एक ऐसे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को की गई मानी जाएगी।

ई.

[(ख**)** व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए सेवाओं का आयात**; [**और**]**

च

(ग**)** अनुसूची **I** में निर्दिष्ट गतिविधियाँ**,** बिना किसी विचार के की गई या करने के लिए सहमत की गई**;**

[....]

(3) उप-धारा (1), (1-ए) और (2) के प्रावधानों के अधीन, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उन लेनदेनों को निर्दिष्ट कर सकती है जिन्हें माना जाना है-(ए) वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति के रूप में नहीं; या

जी.

(ख) सेवाओं की आपूर्ति, न कि वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में।"

(जोर दिया गया)

एच.

423

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

इसके अलावा, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 अंतर-राज्य आपूर्ति के दायरे को परिभाषित करती है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (4) में कहा गया है कि "भारत के क्षेत्र में आयातित सेवाओं की आपूर्ति को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा":

“7. अंतर-राज्यीय आपूर्ति।—

(1) धारा 10 के प्रावधानों के अधीन, माल की आपूर्ति, जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान है-(ए) दो अलग-अलग राज्य;

(ख) दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश; या (ग) एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश,

ग

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

(2) भारत के क्षेत्र में आयातित वस्तुओं की आपूर्ति, जब तक कि वे भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार नहीं कर लेते हैं, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की आपूर्ति मानी जाएगी।

डी.

(3) धारा 12 के प्रावधानों के अधीन, सेवाओं की आपूर्ति, जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान है-(ए) दो अलग-अलग राज्य;

ई.

(ख) दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश; या (ग) एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश,

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

च

(4) भारत के क्षेत्र में आयातित सेवाओं की आपूर्ति को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।

[...]"

(जोर दिया गया)

जी.

101. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 "आपूर्ति" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करती है और एक समावेशी परिभाषा प्रदान करती है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) सेवाओं के आयात को "आपूर्ति" के रूप में मानती है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (सी) में सी. जी. एस. टी. अधिनियम की अनुसूची 1 में किसी भी और सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है, चाहे वे कोई भी हों।

एच.

उन्हें विचार के लिए बनाया जाता है।इसके अतिरिक्त, धारा 7 (3) केंद्र सरकार को यह निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है कि किन लेनदेनों को वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए न कि सेवाओं की आपूर्ति के रूप में, और इसके विपरीत। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (4) में कहा गया है कि भारत में आयातित सेवाओं की आपूर्ति को "अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य" के दौरान सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।इस प्रकार, एक भारतीय आयातक को शिपिंग सेवा का आयातक भी माना जा सकता है जो अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर आई. जी. एस. टी. के लिए उत्तरदायी है, यदि गतिविधि आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के लिए "सेवा के आयात" की परिभाषा के भीतर आती है।
102.आयातक शब्द को आई. जी. एस. टी. अधिनियम या सी. जी. एस. टी. अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) एक 'आयातक' को इस प्रकार परिभाषित करती हैः"(26) "आयातक, "किसी भी माल के संबंध में उनके आयात और उस समय के बीच जब उन्हें घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दी जाती है, में [कोई भी मालिक, लाभकारी मालिक] या कोई भी व्यक्ति शामिल है जो खुद को आयातक मानता है।"

ग

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (10) में 'वस्तुओं के आयात' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

डी.

"(10) ""अपनी व्याकरणिक विविधताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ वस्तुओं के आयात का अर्थ है भारत के बाहर से भारत में वस्तुओं को लाना"

ई.

“सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (11) में सेवाओं के आयात को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः“(11) ‘‘सेवाओं के आयात का अर्थ है किसी भी सेवा की आपूर्ति, जहां -

(i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है; (ii) सेवा का प्राप्तकर्ता भारत में स्थित है; और (iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत में है।

च

"सेवा के आयात" के लिए शर्तों में तीन पहलू शामिल होंगेः(i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित होना चाहिए; (ii) सेवा का प्राप्तकर्ता भारत में स्थित होना चाहिए; और (iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत में होना चाहिए।उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि सी. आई. एफ. अनुबंधों के मामले में शर्तें (ii) और (iii) संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि नौवहन सेवाओं का प्राप्तकर्ता विदेशी निर्यातक होगा और आपूर्ति का स्थान ऐसे विदेशी निर्यातक का व्यवसाय का स्थान होगा।हालांकि, "प्राप्तकर्ता" और "आपूर्ति का स्थान" अभिव्यक्तियों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय को आई. जी. एस. टी. अधिनियम और ए की तुलना में इन शब्दों का विश्लेषण करना होगा।

जी.

एच.

425

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

सी. जी. एस. टी. अधिनियम और विशेष रूप से विदेशी निर्यातक और विदेशी शिपिंग लाइन के बीच अनुबंध के प्रावधानों से नहीं।

103. आई. जी. एस. टी. अधिनियम के अध्याय 5 में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली का प्रावधान है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 सेवाओं की आपूर्ति का स्थान प्रदान करती है जहाँ आपूर्तिकर्ता का स्थान या प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर हैः

“13. सेवाओं की आपूर्ति का स्थान जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान या प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर है -

(1) इस धारा के प्रावधान सेवाओं की आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए लागू होंगे जहां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान या सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर है।(2) उप-धारा (3) से (13) में निर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान होगाः

ग

बशर्ते कि जहां सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध नहीं है, आपूर्ति का स्थान सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा।

डी.

[...]

(9) डाक या कूरियर के अलावा माल के परिवहन की सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा।"

ई.

(जोर दिया गया)

आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) एक काल्पनिक कल्पना पैदा करती प्रतीत होती है, जहां भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता द्वारा माल के परिवहन की सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति का स्थान ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा। आपूर्तिकर्ता, विदेशी शिपिंग लाइन, इस मामले में एक गैर-कर योग्य व्यक्ति होगा।हालांकि, माल के परिवहन के लिए एक सी. आई. एफ. अनुबंध में इसकी सेवाएं ऐसी वस्तुओं के गंतव्य के रूप में भारतीय कर योग्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगी।इस प्रकार विदेशी नौवहन लाइन द्वारा नौवहन सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत होगा।

च

जी.

104. उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि चूंकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा बिना विचार के सेवा के आयात की "आपूर्ति" को परिभाषित नहीं करती है, इसलिए यह सी. आई. एफ. अनुबंध वाले आयातकों पर लागू नहीं होगा क्योंकि निर्यातक द्वारा प्रतिफल का भुगतान किया जाता है।इस प्रकार, माल के आयातक को एक नहीं कहा जा सकता है

एच.

शिपिंग सेवा का आयातक क्योंकि बाद वाला सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) के तहत विचार के लिए सेवा का आयात नहीं है। हालाँकि, यह तर्क कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं से चूक जाता है।'आपूर्ति' शब्द को सी. जी. एस. टी. अधिनियम के संदर्भ में आई. जी. एस. टी. अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, धारा 2 (11) (iii) के तहत "सेवाओं के आयात" के लिए तीन शर्तों को सी. जी. एस. टी. और आई. जी. एस. टी. अधिनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसमें आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) के तहत आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के प्रावधान शामिल हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) परिवहन सेवाओं की आपूर्ति का स्थान भारत में होने की एक काल्पनिक कल्पना पैदा करती है जब माल का गंतव्य भारत में होता है।इस मामले में, यह स्पष्ट है कि सेवा का आपूर्तिकर्ता-विदेशी शिपिंग लाइन-भारत के बाहर स्थित है और आपूर्ति का स्थान भारत है।तदनुसार, ऐसी आपूर्ति का समय निर्धारित करने के लिए सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 लागू होगी।

ग

105. उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि समुद्री माल ढुलाई लेनदेन को "आपूर्ति" के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) के तहत सेवा के आयात को "विचार" के लिए आवश्यक है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (31) में "विचार" की परिभाषा शिक्षाप्रद हैः

डी.

“(31) “माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में "विचार" में शामिल हैं -

ई.

((क) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, चाहे प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया या किया जाने वाला कोई भुगतान, चाहे वह धन के रूप में हो या अन्य रूप में, प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो, लेकिन

इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी शामिल है।

च

(ख) वस्तु या सेवाएँ या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, उसके जवाब में या उसके प्रलोभन के लिए, चाहे वह प्राप्तकर्ता द्वारा हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी भी कार्य या सहनशीलता का मौद्रिक मूल्य, लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सब्सिडी शामिल नहीं होगीः

जी.

बशर्ते कि माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में दी गई जमा राशि को ऐसी आपूर्ति के लिए किए गए भुगतान के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आपूर्तिकर्ता उक्त आपूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में ऐसी जमा राशि लागू नहीं करता है।

(जोर दिया गया)

एच.

427

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

इस प्रकार, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (31) 'प्रतिफल' को परिभाषित करती है जिसमें प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के प्रलोभन के लिए धन या किसी अन्य रूप में किया गया या किया जाने वाला भुगतान शामिल है।इस प्रकार, सी. आई. एफ. आधार पर आयातित वस्तुओं के मामले में, यह तथ्य कि विदेशी निर्यातक द्वारा विदेशी शिपिंग लाइन को भुगतान किया जाता है, इसे आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (4) के तहत "सेवा की आपूर्ति" के रूप में नहीं माना जाएगा, जो एक विचार के लिए बनाया गया है, जिससे अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान "सेवा की आपूर्ति" का गठन होता है जो आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत आई. जी. एस. टी. के अधीन हो सकता है।

106. इस स्तर पर, हम ध्यान देते हैं कि उत्तरदाताओं ने इस आधार पर विवादित शुल्क को भी चुनौती दी है कि लेन-देन भारत के क्षेत्र से बाहर होता है और इस प्रकार, प्रकृति में अतिरिक्त क्षेत्रीय है।श्री अरविंद दातार और श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया है कि परिवहन सेवा भारत के बाहर होती है, जो कर योग्य क्षेत्र से बाहर है और भारत के साथ केवल इसलिए संबंध रखती है क्योंकि वस्तुओं का गंतव्य भारत है।हालाँकि, निवेदन यह है कि चूंकि माल के आयात पर धारा 5 (1) के तहत 'माल की आपूर्ति' के रूप में कर लगाया जाता है, इसलिए भारतीय क्षेत्र के साथ परिवहन सेवा का कोई क्षेत्रीय संबंध नहीं है।इस तर्क का विस्तार यह है कि यदि संसद अपने क्षेत्र के बाहर कर लगाने का प्रयास करती है, तो यह प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से नहीं, बल्कि कानून में एक काल्पनिक कल्पना है।

ग

डी.

ई.

107. जी. वी. के. इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) की एक संविधान पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या संसद कुछ घटनाओं के अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं के संबंध में कानून बनाने में सक्षम है।इस सवाल का सकारात्मक जवाब देते हुए न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी ने संविधान पीठ की ओर से कहाः

च

“124. [...]

उपरोक्त का उत्तर हाँ होगा।हालाँकि, संसद अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों-घटनाओं, चीजों, घटनाओं (चाहे वे कितनी भी सामान्य हों), संसाधनों, कार्यों या लेनदेन के संबंध में अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

जी.

और इस तरह के-जो भारत के क्षेत्र के बाहर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जैविक, पर्यावरणीय या भौतिक क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से या किसी मानव एजेंसी के कारण होते हैं, उत्पन्न होते हैं या मौजूद होते हैं या ऐसा करने की उम्मीद की जा सकती है और नियंत्रण, संशोधन, शमन या परिवर्तन करना चाहते हैं।

एच.

ऐसे अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों के प्रभाव, या उपयुक्त मामलों में, ऐसे अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों को केवल तभी समाप्त करते हैं या उत्पन्न करते हैं, जब ऐसे अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों का निम्नलिखित पर कुछ प्रभाव पड़ता है या होने की उम्मीद होती हैः(क) भारत का क्षेत्र, या भारत का कोई भाग; या (ख) भारत के निवासियों और भारतीयों के हित, कल्याण, कल्याण या सुरक्षा।

125. हमारे लिए यह कहना और अभिनिर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि संसद की उन सभी पहलुओं या कारणों के संबंध में कानून बनाने की शक्तियों को, जो इसकी क्षमता के दायरे में हैं, जिसमें ऊपर वर्णित अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों के संबंध में, और जैसा कि संविधान द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, या संवैधानिक योजना में इसकी आवश्यक भूमिका द्वारा निहित है, कुछ प्राथमिक मात्रात्मक परीक्षणों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि "पर्याप्तता" या "महत्व" या किसी अन्य तरीके से जिसमें पूर्व निर्धारित मानदंड की आवश्यकता होती है।

ग

शक्ति का स्तर।बस इतना ही आवश्यक होगा कि भारत के साथ संबंध वास्तविक हो या वास्तविक होने की उम्मीद हो, न कि भ्रामक या काल्पनिक।

डी.

126. क्या संसद द्वारा अधिनियमित कोई विशेष कानून प्रभाव, प्रभाव या परिणाम के संदर्भ में अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलू या कारण और भारत में या भारत और भारतीयों से संबंधित किसी चीज़ के बीच इस तरह का वास्तविक संबंध, या अपेक्षित वास्तविक संबंध दिखाता है, यह तथ्यों का एक मिश्रित मामला होगा।

ई.

और कानून।जाहिर है, जहां संसद स्वयं इस तरह के संबंध को इस संवैधानिक आवश्यकता से परे मानती है कि यह वास्तविक है और काल्पनिक नहीं है, तो अदालतों को कानून के संचालन में ऐसी आवश्यकता को उस कानून के मामले के रूप में लागू करना होगा, न कि संविधान केः"

च

(जोर दिया गया)

जी. वी. के. इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में निर्णय स्पष्ट रूप से अतिरिक्त-क्षेत्रीय रूप से होने वाली घटनाओं पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को मान्यता देता है।न्यायालय द्वारा लगाई गई एकमात्र आवश्यकता यह है कि इस तरह की घटना का भारत के साथ वास्तविक संबंध होना चाहिए।

जी.

108. भारत में माल आयात करने के लिए विदेशी निर्यातक को शिपिंग लाइन द्वारा परिवहन सेवा की आपूर्ति पर विवादित शुल्क का दो गुना संबंध हैःसबसे पहले, माल का गंतव्य भारत है और ए

एच.

इस प्रकार, क्षेत्र के बाहर होने वाली घटना के साथ एक स्पष्ट क्षेत्रीय संबंध स्थापित किया जाता है और दूसरा, भारतीय आयातक के लाभ के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं।इस प्रकार, लेन-देन का भारत के क्षेत्र के साथ संबंध है।

109. एक विकल्प के रूप में, प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि हालांकि लेवी का भारतीय क्षेत्र के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन अतिरिक्त-क्षेत्रीय रूप से कर लगाने का प्रावधान संसद द्वारा कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से।हम हाथ में तथ्यों के लिए इस प्रस्तुतिकरण की कोई प्रयोज्यता नहीं पाते हैं।जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 13 (9) के तहत आई. जी. एस. टी. अधिनियम सेवाओं की आपूर्ति के स्थान को माल के गंतव्य के रूप में मान्यता देता है जब आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित होता है।चूंकि वस्तुओं का गंतव्य भारत है, इसलिए कानून अपने आप में एक कर योग्य घटना को कवर करने के लिए काफी व्यापक है जिसमें अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलू हैं, जो भारत के साथ एक संबंध रखता है।

ग

110. विवादित अधिसूचनाओं के अधिकार का निर्धारण करने में, एकमात्र सवाल जो निर्धारण के लिए आता है वह यह है कि क्या माल के आयातक को सी. आई. एफ. अनुबंधों में प्रेषण सेवा का प्राप्तकर्ता माना जा सकता है।

डी.

डी. 4.(ख) क्या आयातक सेवा प्राप्तकर्ता सी. आई. एफ. अनुबंधों के अंतर्गत आते हैं?

111. विवादित अधिसूचना 8/2017, अन्य बातों के साथ-साथ, होटल, रेस्तरां, रेल/सड़क/हवाई मार्ग से परिवहन और कानूनी और लेखा सेवाओं जैसी सेवाओं की आपूर्ति की कई श्रेणियों की पहचान करती है।उत्तरदाता, सी. आई. एफ. लेन-देन के तहत माल के आयातक के रूप में, निम्नलिखित वर्गीकरण से व्यथित हैंः

ई.

“किसी पोत में माल का परिवहन, जिसमें गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति को भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में सीमा शुल्क निकासी केंद्र तक माल के परिवहन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए सहमत सेवाएं शामिल हैं।"

च

उत्तरदाता इस तथ्य से व्यथित हैं कि यह वर्गीकरण, आक्षेपित अधिसूचना 10/2017 के साथ, माल के आयातक को शिपिंग सेवा का प्राप्तकर्ता मानता है, भले ही माल का आयात CIF या FOB अनुबंध के आधार पर हो।

जी.

112. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) सेवाओं की आपूर्ति की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों के प्राप्तकर्ताओं को रिवर्स शुल्क पर कर लगाने में सक्षम बनाती है।

एच.

आधार।यह ध्यान रखना उचित है कि कर ऐसी सेवाओं के "प्राप्तकर्ता द्वारा" देय है, जो व्यापक भाषा के विपरीत है जैसे कि "कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित किया जा सकता है" जो अन्यथा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 98 (2) में उपयोग किया गया था जो सेवाओं पर कर लगाता था।धारा 5 (3) में कहा गया है:"(3) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा -

ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता

इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हो।

ग

(जोर दिया गया)

सेवा की आपूर्ति के "प्राप्तकर्ता" शब्द को सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया गया है:

"(93) "माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता का अर्थ है-(ए) जहां माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय है, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है; (बी) जहां माल की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, वह व्यक्ति जिसे माल दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है, या जिसे माल का कब्जा या उपयोग दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है; और

डी.

ई.

(ग) जहां किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, वह व्यक्ति जिसे सेवा प्रदान की जाती है, और जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है, उसके लिए किसी भी संदर्भ को प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

च

आपूर्ति और इसमें आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करने वाला एक एजेंट शामिल होगा।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) (ए) में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि जब सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय होता है, तो प्राप्तकर्ता का अर्थ वह व्यक्ति होगा जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।हालाँकि, जब किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होता है, तो धारा 2 (93) (सी) में कहा गया है कि प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होगा जिसे सेवा प्रदान की जाती है।इसके अलावा, धारा 2 (93) में प्रावधान किया गया है कि "जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है, उसके बारे में किसी भी संदर्भ का अर्थ ए माना जाएगा।

जी.

एच.

431

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

प्राप्तकर्ता के संदर्भ में "।इसलिए, जहां कानून किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसे आपूर्ति की जाती है, तो इसे सेवा प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए।

113. सी. आई. एफ. लेन-देन में, विदेशी निर्यातक एक विदेशी शिपिंग लाइन के साथ अनुबंध करता है।नौवहन की सेवा विदेशी नौवहन लाइन द्वारा विदेशी निर्यातक को प्रदान की जाती है और तदनुसार बाद वाले द्वारा पूर्ववर्ती को देय होती है।इस तरह की शिपिंग की लागत उस कीमत का एक घटक हो सकती है जो अंततः बातचीत की शर्तों के आधार पर आयातक से ली जाती है। यदि एक एफ. ओ. बी. अनुबंध पर बातचीत की जानी थी, तो आयातक स्वतंत्र रूप से शिपिंग की सेवा का लाभ उठाएगा और विचार के लिए भुगतान करेगा।केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि सी. आई. एफ. के आधार पर वस्तुओं के आयात को सेवाओं के आयात के रूप में माना जाएगा, जहां प्राप्तकर्ता का निर्धारण करने के लिए धारा 2 (93) का उपखंड (सी) लागू होता है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि सी. आई. एफ. अनुबंध में आयातक को केवल बोलचाल के अर्थों में सेवा का प्राप्तकर्ता माना जा सकता है।नौवहन सेवा का मात्र गंतव्य इसे अनुबंध के किसी भी तत्व के बिना आयातक की तुलना में सेवा में परिवर्तित नहीं करेगा।इसलिए, वे आग्रह करते हैं कि कानून में विशिष्ट डीमिंग प्रावधानों के अभाव में, आई. जी. एस. टी. की धारा 5 (3) में तैनात "प्राप्तकर्ता" शब्द की व्याख्या के लिए अनुबंध की गोपनीयता के अति-मूल सिद्धांत प्रासंगिक हैं।

ग

डी.

114. केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 को "जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो" शब्द के साथ प्रस्तुत किया गया है, और इसलिए धारा 2 (93) के तहत सेवा के "प्राप्तकर्ता" के रूप में आयातक पर विपरीत शुल्क के आधार पर कराधान को सक्षम करेगा।हालाँकि, यह तर्क आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के संदर्भ को नजरअंदाज करता है जो कर योग्य व्यक्ति को सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में दोहराता है और केवल केंद्र सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति की श्रेणियों को अधिसूचित करने में सक्षम बनाता है।

ई.

च

115. केंद्र सरकार ने एक दूरगामी तर्क देने का प्रयास किया है कि रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के अनिवार्य पंजीकरण को अनिवार्य करने वाली सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) किसी भी व्यक्ति को रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए नामित करती है, चाहे वह प्राप्तकर्ता या सेवा के आपूर्तिकर्ता के रूप में उनकी स्थिति कुछ भी हो।यह तर्क धारा 5 (3) के तहत वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रेणी और उसमें प्राप्तकर्ता की पहचान को उलट देता है, जो तब सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) के तहत अनिवार्य रूप से खुद को पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। रिवर्स चार्ज के लिए व्यक्तियों और आपूर्ति की श्रेणियों को नामित करने की केंद्र सरकार की शक्ति धारा 5 (3) से प्राप्त होती है और

जी.

एच.

5(4) आई. जी. एस. टी. अधिनियम, न कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii), जो कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण को एक तार्किक परिणाम के रूप में अनिवार्य करती है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (98), जो "रिवर्स चार्ज" को परिभाषित करती है, दोहराती है कि इसका अर्थ है "प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने की देयता"।

आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति।यह.

इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि रिवर्स चार्ज के भुगतान के लिए पहचाना गया कोई भी कर योग्य व्यक्ति स्वचालित रूप से ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का प्राप्तकर्ता बन जाएगा।आयातक के साथ प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करने की काल्पनिक कल्पना आई. जी. एस. टी. अधिनियम में पाई जानी चाहिए। जैसा कि वर्तमान में है, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) प्रत्यायोजित कानून को केवल वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणियों पर एक काल्पनिक कल्पना बनाने में सक्षम बनाती है।

ग

116. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) में चिन्हित वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों की तुलना में "प्राप्तकर्ता द्वारा" शब्द की व्याख्या अनिवार्य रूप से सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के तहत "प्राप्तकर्ता" की परिभाषा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। केंद्र सरकार के तर्कों के विपरीत, इस तरह की व्याख्या सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के जनादेश को समाप्त नहीं करेगी। यह सी. जी. एस. टी. या आई. जी. एस. टी. अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों पर लागू होगा जो केंद्र सरकार को उलट शुल्क के लिए कर योग्य व्यक्ति की पहचान करने की अनुमति देते हैं।किसी भी स्थिति में, यह आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और 5 (4) के तहत रिवर्स शुल्क के लिए उत्तरदायी सभी प्राप्तकर्ताओं पर लागू होगा। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 24 (iii) के तहत कर संग्रह तंत्र की प्रभावहीनता को किसी वस्तु या सेवा के "प्राप्तकर्ता" की अवधारणा को अस्पष्ट करने के लिए तर्क नहीं दिया जा सकता है जिसे आई. जी. एस. टी. अधिनियम, सी. जी. एस. टी. अधिनियम और कर न्यायशास्त्र में समान रूप से समझा जाता है।

डी.

ई.

117. केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) में "प्राप्तकर्ता द्वारा" अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए सिफारिशें करने में जी. एस. टी. परिषद के अधिकार को बाधित नहीं करती है जो रिवर्स चार्ज द्वारा शासित होंगे और एक बार पहचान पूरी हो जाने के बाद, ऐसे कर योग्य व्यक्ति की व्याख्या स्वचालित रूप से "प्राप्तकर्ता" के रूप में की जाएगी।इस तर्क के लिए न्यायालय को किसी सेवा के प्राप्तकर्ता को निर्धारित करने के सिद्धांतों को पूरी तरह से त्यागना होगा और इसे किसी भी कर योग्य व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित करना होगा। अपीलार्थी इस मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए इस तरह की व्याख्या के लिए बहस कर सकता है।हालाँकि, अंतर-राज्यीय आपूर्ति के मामलों में जब आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता भारत के क्षेत्र के भीतर होते हैं, तो इस न्यायालय को इस कृत्रिम रूप से विभाजित व्याख्या का पालन करना होगा जो प्राप्तकर्ताओं की पहचान प्रकृति ए के साथ करता है।

च

जी.

एच.

433

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

कुछ मामलों में सेवा और आपूर्ति, और प्राप्तकर्ता की शाब्दिक और प्रासंगिक परिभाषा पर विचार किए बिना दूसरों में पहचाने गए कर योग्य व्यक्ति के सरल समीकरण द्वारा।यह व्याख्या के तय किए गए नियमों के खिलाफ है और न्यायिक कानून का एक कार्य होगा।यदि संसद का इरादा कुछ व्यक्तियों को रिवर्स चार्ज के लिए नामित करना था, चाहे वे ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्तकर्ता हों, तो उसे प्रत्यायोजित कानून के प्रयोग के लिए ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त संशोधन करना चाहिए।

118. अपीलार्थी के मामले का समर्थन करने वाला एकमात्र तर्क आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) का है जिसे सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) (सी) के साथ पढ़ा जाता है जो "प्राप्तकर्ता" को परिभाषित करता है।जैसा कि धारा डी. 4 में उल्लेख किया गया है।(क) ऊपर, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) सेवा की आपूर्ति के स्थान को माल का गंतव्य मानती है जब उन्हें डाक या कूरियर के अलावा अन्य माध्यमों से ले जाया जाता है।आयातकों के लिए कोई विशिष्ट छूट नहीं दी गई है।यह न्यायालय इस तर्क को स्वीकार करने और इसे सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) में प्राप्तकर्ता की परिभाषा में पढ़ने के लिए इच्छुक है जो इस प्रकार हैः

ग

डी.

"(93) "माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता का अर्थ है-(ए) जहां माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय है, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है; (बी) जहां माल की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, वह व्यक्ति जिसे माल दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है, या जिसे माल का कब्जा या उपयोग दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है; और

ई.

(ग) जहां किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, वह व्यक्ति जिसे सेवा प्रदान की जाती है,

च

और जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है**,** उसके लिए किसी भी संदर्भ को प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

आपूर्ति और इसमें आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करने वाला एक एजेंट शामिल होगा।

(जोर दिया गया)

जी.

चूँकि एक व्यक्ति का संदर्भ जिसे आपूर्ति की जाती है, प्राप्तकर्ता का संदर्भ है, इसलिए आपूर्ति का स्थान महत्वपूर्ण है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) के आधार पर, आपूर्ति का स्थान माल का गंतव्य है।आपूर्ति का समय तब सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (14) और 2 (15)

एच.

सेवाओं के प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता के स्थान को भी उस भौतिक स्थान के संबंध में परिभाषित करें जहां सेवाओं की आपूर्ति की जाती है या प्राप्त की जाती है।

"(14) _सेवाओं के प्राप्तकर्ता के स्थान का अर्थ है--

(क) जहाँ व्यवसाय के उस स्थान पर आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, वहाँ व्यवसाय के ऐसे स्थान का स्थान;

(ख) जहां उस व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (कहीं और एक निश्चित प्रतिष्ठान), ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान; (ग) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों पर आपूर्ति प्राप्त होती है, चाहे वह व्यवसाय का स्थान हो या निश्चित प्रतिष्ठान, उस प्रतिष्ठान का स्थान जो आपूर्ति की प्राप्ति से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है; और

ग

(घ) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, प्राप्तकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

डी.

(15) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के स्थान का अर्थ है -

(क) जहाँ व्यवसाय के उस स्थान से आपूर्ति की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, वहाँ व्यवसाय के ऐसे स्थान का स्थान;

ई.

(ख) जहां उस व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से आपूर्ति की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (कहीं और एक निश्चित प्रतिष्ठान), ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान; (ग) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों से आपूर्ति की जाती है, चाहे वह व्यवसाय का स्थान हो या निश्चित प्रतिष्ठान, उस प्रतिष्ठान का स्थान जो आपूर्ति के प्रावधान से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है; और

च

(घ) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, आपूर्तिकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

जी.

(जोर दिया गया)

ऐसे परिदृश्य में, जब सेवाओं की आपूर्ति के स्थान को आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) के तहत माल का गंतव्य माना जाता है, तो सेवाओं की आपूर्ति अनिवार्य रूप से भारतीय आयातक को की जाएगी, जिसे तब 'ए' की परिभाषा के तहत 'प्राप्तकर्ता' माना जाएगा।

एच.

435

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) (सी) इस प्रकार आपूर्ति को भारतीय आयातक को "किया गया" माना जा सकता है जो सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) (सी) के तहत प्राप्तकर्ता बन जाता है।

119. यह निष्कर्ष जी. एस. टी. के उपभोग और निर्धारित कर आधारित होने के दर्शन के अनुरूप है।माल के आयात के माध्यम से उपभोग के उद्देश्य से भारत में नौवहन सेवाओं का आयात किया जाता है।हालाँकि सी. आई. एफ. अनुबंधों में विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा विदेशी शिपिंग लाइन को शिपिंग के लिए भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कीमत को शिपमेंट की कीमत में शामिल किया जाता है।नौवहन सेवा का अंतिम लाभार्थी भारत में आयातक भी होता है जो अंत में भारत के कर योग्य क्षेत्र के भीतर एक गंतव्य पर माल प्राप्त करेगा।इस प्रकार, आई. जी. एस. टी. अधिनियम में "प्राप्तकर्ता" शब्द का अर्थ कर कानून (आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम) में निर्धारित संदर्भ के भीतर समझना होगा न कि वाणिज्यिक सिद्धांतों के सख्त अनुप्रयोग द्वारा।

ग

120. कुछ उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि सेवाओं के दो अलग-अलग प्राप्तकर्ताओं की संभावना बेतुकी बातें पैदा करेगी क्योंकि क्या सेवा की आपूर्ति आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (3) के तहत अंतर-राज्य आपूर्ति है या आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत अंतर-राज्य आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता के स्थान और आपूर्ति के स्थान पर निर्भर करती है, जो ज्यादातर मामलों में सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान है।चूंकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) (ए) और (सी) को पढ़ने पर प्रभावी रूप से दो प्राप्तकर्ता हो सकते हैं, इसलिए उत्तरदाताओं का तर्क है कि लेनदेन एक साथ अंतर-राज्य या अंतर-राज्य आपूर्ति बन सकता है।इसका मतलब यह भी हो सकता है कि दो प्राप्तकर्ता आईटीसी का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, यह तर्क वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (3) और 8 (2) आयात की अवधारणा को नहीं जोड़ती हैं।धारा 8 (2) एक ऐसे परिदृश्य से संबंधित है जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान भारत में एक ही राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर है।यह आयात निर्धारित करने के लिए लागू नहीं होता है जहां आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है।इसी तरह, धारा 7 (3) भारत के क्षेत्र के भीतर अंतर-राज्यीय आपूर्ति से संबंधित है।इसके अलावा, ये दोनों धाराएं आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अधीन हैं जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों भारत में स्थित हैं।आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 12 आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) के तहत काल्पनिक धारणा नहीं बनाती है जो केवल तभी लागू होती है जब आपूर्तिकर्ता भारत से बाहर स्थित हो।इस मामले में लागू धारा आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (4) होगी जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि "आयातित सेवाओं की आपूर्ति"

डी.

ई.

च

जी.

भारत के क्षेत्र में सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।

एच.

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान।इस प्रकार, कोई मूर्खता नहीं है

केंद्र सरकार द्वारा तर्क दिए गए डीमिंग फिक्शन द्वारा निर्मित।किसी भी स्थिति में विदेशी निर्यातक भारत में आई. टी. सी. का दावा नहीं करेगा।

121. दो प्राप्तकर्ताओं की पहचान के प्रतिवादियों के तर्कों का वर्तमान विवाद के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इस मामले में विदेशी निर्यातक पर कर लगाने की मांग नहीं की जाती है।डिजिटल युग में, सेवा के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता की अवधारणाओं को भी बदल दिया गया है और आवश्यक रूप से आपूर्ति की सीधी श्रृंखला वाले दो पक्षों के रूप में नहीं समझा जाता है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम ऐसी जटिलताओं को पर्याप्त रूप से पकड़ने के लिए ऐसी कई काल्पनिक कल्पनाएँ बनाता है।उदाहरण के लिए, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (5) वाणिज्यिक अर्थों में केवल एक माध्यम होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक पर सेवा के आपूर्तिकर्ता के रूप में कर लगाती है।इन काल्पनिक कल्पनाओं का कानून के उद्देश्य के लिए सम्मान किया जाना चाहिए, जब तक कि उनके पास संवैधानिक और संसदीय मंजूरी है।इसी तरह, आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (14) (सी) एक से अधिक प्रतिष्ठानों में आपूर्ति प्राप्त होने की संभावना को मान्यता देती हैः

ग

डी.

“(14) “सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान का अर्थ है -

(क) जहाँ व्यवसाय के उस स्थान पर आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, वहाँ व्यवसाय के ऐसे स्थान का स्थान;

(ख) जहां उस व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर आपूर्ति प्राप्त होती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (कहीं और एक निश्चित प्रतिष्ठान), ऐसे निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान; (ग) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों पर आपूर्ति प्राप्त होती है, चाहे वह व्यवसाय का स्थान हो या निश्चित प्रतिष्ठान, उस प्रतिष्ठान का स्थान जो आपूर्ति की प्राप्ति से सबसे अधिक सीधे संबंधित है; और

ई.

च

(घ) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, प्राप्तकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

122. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 आपूर्ति के गंतव्य पर कर लगाने के लिए जी. एस. टी. क़ानून के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि उनकी उत्पत्ति के विपरीत है।आई. जी. एस. टी. अधिनियम (धारा 5) के तहत प्रभार के प्रावधान की व्याख्या करने के लिए इसमें निहित काल्पनिक धारणा महत्वपूर्ण है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के 'प्राप्तकर्ता' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति के लाभार्थी या जिसे आपूर्ति प्राप्त हुई है, उसे निर्धारित करने की अप्रासंगिकता के लिए उत्तरदाताओं का तर्क धारा 2 (93) को गलत तरीके से पढ़ता है जो ए.

जी.

एच.

437

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

प्राप्तकर्ता, अन्य बातों के साथ-साथ, उस व्यक्ति के आधार पर जिसे "आपूर्ति की जाती है" अर्थात आपूर्ति का स्थान।

123. जी. एस. टी. कानून बिक्री/खेप पर कर लगाने की पिछली नीति से अलग हैं और आपूर्ति पर कर लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।आपूर्ति-केंद्रित और गंतव्य-आधारित कर की अवधारणा वैधानिक प्रावधानों की योजना और जी. एस. टी. परिषद द्वारा जारी प्रस्तावों के माध्यम से चलती है।इस प्रकार, वस्तुओं, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति पर कर बनाने के लिए अनुच्छेद 366 (12-ए) के रूप में संविधान में एक संशोधन पेश किया गया था।उस समय की व्यावसायिक वास्तविकता में, वस्तुओं और सेवाओं के बीच की वैचारिक रेखाएँ कमज़ोर हो जाती हैं।इसलिए, वस्तुओं और सेवाओं के बीच साफ-सुथरे खंडों के निर्माण के विपरीत, आपूर्ति के कराधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (सी) विशेष रूप से सेवाओं के आयात को "आपूर्ति" के रूप में परिभाषित करती है।एकमात्र सवाल जो निर्धारण के लिए आता है वह यह है कि क्या सी. आई. एफ. के आधार पर वस्तुओं का आयात भी काल्पनिक रूप से शिपिंग सेवाओं का आयात होगा।हमने माना है कि आई. जी. एस. टी. की धारा 5 (3) केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान नहीं करती है कि वह प्राप्तकर्ता का गठन करने के लिए एक काल्पनिक धारणा बनाए।धारा 5 (3) केवल केंद्र सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की कुछ श्रेणियों की पहचान करने में सक्षम बनाती है, जहां ऐसी सेवाओं का प्राप्तकर्ता कर के सामान्य तरीके के विपरीत रिवर्स शुल्क के अधीन है, जहां सेवा के आपूर्तिकर्ता से अग्रिम शुल्क के आधार पर शुल्क लिया जाता है।हालांकि, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) (सी) के साथ पठित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 13 (9) स्वाभाविक रूप से माल के आयातक को प्रेषण सेवा का प्राप्तकर्ता मानने की कल्पना पैदा करती है।

ग

डी.

ई.

डी. **5** आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5 (4)** की प्रयोज्यता

124. एक तर्क के माध्यम से, केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि यदि आयातक सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तो विवादित अधिसूचनाएं आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4) से अपनी वैधता प्राप्त करेंगी। आई. जी. एस. टी. अधिनियम की असंशोधित धारा 5 (4) में निम्नानुसार कहा गया हैः

च

"(4) एक आपूर्तिकर्ता, जो पंजीकृत नहीं है, द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में एकीकृत कर का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा।

जी.

इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हो।"

(जोर दिया गया)

एच.

29 अगस्त 2018 को, धारा 5 (4) को 2018 के संशोधन अधिनियम 32 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित कहा गया थाः

"(4) सरकार**,** परिषद की सिफारिशों पर**,** अधिसूचना द्वारा**,** पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है**,** जो किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों या दोनों की आपूर्ति के संबंध में**,** वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करेंगे**,** और

इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हो।"

ग

(जोर दिया गया)

संशोधित धारा 5 (4) 1 फरवरी 2019-90 से लागू हुई।2018 का संशोधन अधिनियम 32 केंद्र सरकार को पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के "प्राप्तकर्ता" के रूप में घोषित करने की एक काल्पनिक कल्पना बनाने में सक्षम बनाता है।प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि "के रूप में" भाषा को लागू करने में, ऐसी अधिसूचना की वैधता निर्धारित करने के लिए सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) की तुलना में प्राप्तकर्ता की परिभाषा की प्रयोज्यता अब आवश्यक नहीं है।2018 के संशोधन अधिनियम 32 का प्रभाव इस प्रकार रहा हैः- (i) अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट करने की केंद्र सरकार की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है; और (ii) प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को निर्दिष्ट करने की शक्ति को मान्यता दी गई है।

डी.

ई.

125. केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि आई. जी. एस. टी. की धारा 5 (3) के तहत जारी 28 जून 2017 की अधिसूचनाओं 8/2017 और 10/2017 को आई. जी. एस. टी. की धारा 5 (4) के तहत जारी किए जाने के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, इस मामले में, आयातक 1 फरवरी 2019 से कर के लिए उत्तरदायी होंगे, हालांकि 13 अक्टूबर 2017-31 जनवरी 2019 की अवधि के लिए छूट दी गई है।

च

126. उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि संशोधित और असंशोधित धारा 5 (4) विवादित अधिसूचनाओं को सुरक्षित नहीं करती है क्योंकि वे अभी भी "प्राप्तकर्ता" शब्द का संदर्भ देते हैं।हालाँकि, उत्तरदाता महत्वपूर्ण रूप से इस बात से चूक जाते हैं कि धारा 5 (4) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के विपरीत "प्राप्तकर्ता द्वारा" भाषा का उपयोग करती है।हमारा मानना है कि उपरोक्त भाग डी में प्राप्तकर्ता में आयातक भी शामिल है।इसके अलावा, धारा 5 (4) स्पष्ट करती है कि यह

जी.

90 अधिसूचना सं। जी. एस. आर. 67 (ई) दिनांक 29 जनवरी 2019 ए

एच.

439

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को प्राप्तकर्ता के रूप में नामित करना, जिससे सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) का दायरा व्यापक हो जाता है, जो वैसे भी एक समावेशी परिभाषा है क्योंकि धारा 2 को "जब तक कि

अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता होती है।

127. यह तय कानून है कि शक्ति के स्रोत का गैर-संदर्भ किसी मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में इसके प्रयोग और अनुप्रयोग को दूषित नहीं कर सकता है।भारत संघ बनाम तुलसी राम पटेल 91 में, एक संविधान पीठ ने कहा कि जब शक्ति का कोई स्रोत कानूनी रूप से मौजूद होता है, तो इसके अभ्यास के दौरान एक गैर-संदर्भ या गलत संदर्भ कार्रवाई को दूषित नहीं करता है।रेलवे सेवा नियमों के संदर्भ में बोलते हुए, जो अनुच्छेद 311 (2) के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकरण की शक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं थे, इस न्यायालय ने कहाः

ग

“126. जैसा कि पहले बताया गया है, किसी विशेष अधिकारी के अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने और जांच को समाप्त करने के अधिकार का स्रोत सेवा नियमों से प्राप्त होता है, जबकि अनुशासनात्मक जांच को समाप्त करने की उसकी शक्ति का स्रोत अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान से प्राप्त होता है।जब तक कानून में ऐसी शक्ति मौजूद नहीं है, तब तक किसी शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता है।यदि ऐसी शक्ति कानून में मौजूद नहीं है, तो इसका कथित प्रयोग एक गैर-मौजूद शक्ति का प्रयोग होगा और शून्य होगा।इसलिए, किसी शक्ति का प्रयोग हमेशा ऐसी शक्ति के स्रोत के लिए संदर्भित होता है और इसके साथ संयोजन में विचार किया जाना चाहिए।चैलेंपैंकेस [(1976) 3 एस. सी. सी. 190 में न्यायालय का ध्यानः1976 एससीसी (एल एंड एस) 398:(1976) 1 एस. सी. आर. 783] को कानून में इस तय स्थिति की ओर नहीं खींचा गया था और इसलिए रेलवे सेवकों के नियमों के नियम 14 पर विचार करने में और अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान को ध्यान में रखे बिना गलती की गई थी।यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि

डी.

ई.

च

जहां शक्ति का कोई स्रोत मौजूद है, ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उस स्रोत के लिए संदर्भित है और किसी अन्य स्रोत के लिए नहीं जिसके तहत उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऐसी शक्ति का प्रयोग अमान्य और अधिकार क्षेत्र के बिना होगा।इसी तरह, यदि दो प्रावधानों, चाहे वे वैधानिक हों या संवैधानिक, को एक साथ पढ़कर शक्ति का कोई स्रोत मौजूद है, और आदेश उनमें से केवल एक को संदर्भित करता है, तो आदेश की वैधता को उन दोनों प्रावधानों के तहत पारित आदेश के रूप में माना जाना चाहिए।इसके अलावा, यहाँ तक कि एक गलत का उल्लेख भी

जी.

91 1985 3 एस. सी. सी. 398

एच.

440 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

उस प्रावधान का उल्लेख करने का प्रावधान या चूक जिसमें शक्ति का स्रोत शामिल है, उस आदेश को अमान्य नहीं करेगा जहां ऐसी शक्ति का स्रोत मौजूद है।(डॉ. राम को देखें।

मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य [ए. आई. आर 1966 एस. सी. 740:(1966) 1 एससीआर 709,721:1966 Cri LJ 608] और नगर निगम

अहमदाबाद शहर बनाम बेन हीराबेन मणिलाल [(1983) 2 एससीसी

422 :(1983) 2 एससीआर 676,681]।)इसलिए, विवादित आदेशों में दूसरे परंतुक के प्रासंगिक खंड या संबंधित सेवा नियम का उल्लेख करने में चूक का आदेशों को अमान्य करने का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आदेशों को संबंधित सेवा नियम के साथ पठित अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के लागू खंड के तहत किए गए आदेशों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।यह उल्लेख किया जा सकता है कि हमारे समक्ष किसी भी मामले में यह तर्क नहीं दिया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जिसने विवादित आदेश पारित किया था, वह ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था।"

ग

(जोर दिया गया) 128।इसी तरह, टीटागढ़ पेपर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य में

डी.

विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के संदर्भ में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ, विद्युत बोर्ड 92 ने अभिनिर्धारित किया कि बिजली के स्रोत की गलत लेबलिंग इसकी कवायद को दूषित नहीं करेगीः

“9. .....लेकिन, यदि कोई एक सिद्धांत किसी अन्य की तुलना में अधिक अच्छी तरह से स्थापित है, तो वह यह है कि जब कोई प्राधिकरण कार्रवाई करता है जो उसकी क्षमता के भीतर है, तो उसे अमान्य नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि यह एक गलत प्रावधान के तहत किया गया है, अगर इसे किसी अन्य प्रावधान के तहत उसकी शक्ति के भीतर दिखाया जा सकता है।शक्ति के स्रोत का केवल गलत विवरण-केवल एक गलत लेबल-किसी प्राधिकरण की कार्रवाई को अमान्य नहीं कर सकता है, अगर वह अन्यथा अपनी शक्ति के भीतर है।

ई.

च

इस प्रकार, जब तक कानून बनाने या अधिसूचना जारी करने की शक्ति का स्रोत उपलब्ध है, तब तक उल्लेख की कमी, गलत संदर्भ या गलती ऐसी शक्ति के प्रयोग को दूषित नहीं करती है।

जी.

129. विवादित अधिसूचनाएं भारतीय और विदेशी नौवहन लाइनों के बीच समान अवसर पैदा करने के इरादे से जारी की गई थीं।31 जून 2017 को आयोजित अठारहवीं जी. एस. टी. परिषद की बैठक में आयातकों पर उलट शुल्क के आधार पर कर लगाने के एजेंडे पर चर्चा की गईः

92 1975 2 एससीसी 436 ए

एच.

441

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

""पैरा 6.1:कार्यसूची मद 3 (v)-भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में सीमा शुल्क स्टेशन तक किसी पोत द्वारा माल के परिवहन पर जी. एस. टी. लगाने के उद्देश्य से मूल्य

6.7.1.मौजूदा सेवा कर कानून में, भारतीय शिपिंग कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां भारत में किसी आयातक द्वारा सी. आई. एफ. (लागत, बीमा और माल ढुलाई) के आधार पर माल का आयात किया जाता है और भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में सीमा शुल्क स्टेशन तक माल के परिवहन की सेवा गैर-कर योग्य क्षेत्र (एक विदेशी शिपिंग लाइन) में स्थित व्यक्ति द्वारा गैर-कर योग्य क्षेत्र (माल का विदेशी आपूर्तिकर्ता/निर्यातक) में स्थित व्यक्ति को प्रदान की जाती है, भारत में आयातक माल ढुलाई पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए कि जहां आयातक सी. आई. एफ. आधार पर माल खरीदता है, उसके पास माल ढुलाई के लिए शिपिंग लाइन द्वारा जारी चालान नहीं हो सकता है और उसे विदेशी आपूर्तिकर्ता से विदेशी शिपिंग लाइन द्वारा ली गई माल ढुलाई की राशि का पता नहीं हो सकता है; सेवा कर नियमों में यह निर्धारित किया गया था कि ऐसे मामलों में आयातक के पास आयातित माल के सी. आई. एफ. मूल्य के 1.4% की दर से गणना की गई राशि का भुगतान करने का विकल्प होगा।यह प्रावधान इस आधार पर निर्धारित किया गया था कि माल ढुलाई औसतन माल के सी. जे. एफ. मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत है।जी. एस. टी. के तहत भी यह निर्णय लिया गया कि विदेशी आपूर्तिकर्ता को विदेशी शिपिंग लाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी परिवहन सेवा पर जी. एस. टी. का भुगतान करने का दायित्व भारत में आयातक का होगा और तदनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।यह प्रस्तावित किया गया है कि सी. आई. एफ. मूल्य के 10 प्रतिशत पर ऐसी सेवा के समान प्रावधान को आई. जी. एस. टी. अधिसूचना में शामिल किया जा सकता है।सेवा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सी. जी. एस. टी., एस. जी. एस. टी. या यू. टी. जी. एस. टी. अधिसूचनाओं में इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

ग

डी.

ई.

च

[....]

8(v) कार्यसूची मद 3 के संबंध में परिषद ने आई. जी. एस. टी. अधिसूचना में एक प्रावधान को शामिल करने की मंजूरी दी कि ऐसे मामलों में जहां भारत में एक आयातक द्वारा सी. आई. एफ. के आधार पर माल का आयात किया जाता है और भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में सीमा शुल्क स्टेशन तक माल के परिवहन की सेवा गैर-कर योग्य क्षेत्र (एक विदेशी शिपिंग लाइन) में स्थित व्यक्ति द्वारा गैर-कर योग्य क्षेत्र (माल के विदेशी आपूर्तिकर्ता/निर्यातक) में स्थित व्यक्ति को प्रदान की जाती है और यदि आयातक को पता नहीं था।

जी.

एच.

विदेशी आपूर्तिकर्ता से विदेशी शिपिंग लाइन द्वारा ली जाने वाली माल ढुलाई की राशि ऐसी सेवा का मानित मूल्य सी. आई. एफ. मूल्य का 10 प्रतिशत होगा।"

130. विवादित अधिसूचनाएं तब जारी की गईं जब जी. एस. टी. परिषद ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि चूंकि भारतीय शिपिंग लाइनों द्वारा भारत में आयातित वस्तुओं के परिवहन को सेवा का निर्यात नहीं माना जाता है, इसलिए भारतीय शिपिंग लाइन अग्रिम शुल्क के आधार पर आई. जी. एस. टी. का भुगतान करती हैं।दूसरी ओर, एक ही परिवहन सेवा पर, विदेशी शिपिंग लाइनों को कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे भारत में कर योग्य व्यक्ति नहीं हैं।इसलिए, भारतीय शिपिंग लाइनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, भारत में आयातक को रिवर्स चार्ज के आधार पर विदेशी शिपिंग लाइनों द्वारा माल के परिवहन पर आई. जी. एस. टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।यदि भारतीय शिपिंग लाइनों पर कर लगाया जाना जारी रहता है और उनके प्रतिद्वंद्वियों, अर्थात् विदेशी शिपिंग लाइनों पर नहीं, तो जी. एस. टी. से होने वाले कराधान से होने वाला लाभ समान अवसर पैदा नहीं करेगा और भारतीय शिपिंग लाइनों को व्यवसाय से बाहर कर देगा।

ग

डी.

131. उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि निश्चित रूप से इनपुट कर तंत्र को सही करने के बजाय, केंद्र सरकार ने भारतीय आयातक पर रिवर्स चार्ज पर कर लगाने का विकल्प चुना है।हालाँकि, यह न्यायालय किसी कराधान योजना की वांछनीयता पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, जब तक कि यह कानूनी रूप से जारी की जाती है।वांछित लक्ष्यों के साथ कर हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करना नीति के क्षेत्र में जाना होगा।

ई.

डी**. 6** समग्र आपूर्ति और दोहरे कराधान के मुद्दे

132. यह जांचने के बाद कि क्या आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 के तहत विवादित शुल्क की अनुमति है, अब हम दोहरे कराधान के बराबर विवादित अधिसूचनाओं के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए तर्कों का विज्ञापन करेंगे।प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि विदेशी निर्यातक और प्रत्यर्थियों के बीच लेनदेन पहले से ही सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (7) और 3 (8) के साथ पठित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 के तहत आई. जी. एस. टी. के अधीन है।आयातित वस्तुओं पर आई. जी. एस. टी. का एक अतिरिक्त शुल्क, जो कि परिवहन सेवा की आपूर्ति पर है, आयातक को प्राप्तकर्ता के रूप में नामित करना दोहरे कराधान के बराबर होगा।

च

जी.

133. लेन-देन में तीन पक्ष शामिल होते हैं-विदेशी निर्यातक, भारतीय आयातक और शिपिंग लाइन।लेन-देन के पहले चरण में एक सी. आई. एफ. अनुबंध शामिल होता है, जिसमें विदेशी निर्यातक भारतीय आयातक को माल बेचता है और बीमा और माल ढुलाई की लागत ए.

एच.

यह विदेशी निर्यातक की जिम्मेदारी है।दूसरे शब्दों में, विदेशी निर्यातक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि माल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे और भारतीय आयातक निर्यातक को लेन-देन मूल्य का भुगतान करे।लेन-देन के दूसरे चरण में विदेशी निर्यातक और शिपिंग लाइन (चाहे वह विदेशी हो या भारतीय) के बीच भारत के क्षेत्र में गंतव्य तक माल के परिवहन के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता शामिल है।

134. लेन-देन के पहले चरण में, विदेशी निर्यातक और भारतीय आयातक के बीच, बाद वाला सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (7) और 3 (8) के साथ पठित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत माल के लेनदेन मूल्य पर आई. जी. एस. टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि इस लेन-देन में बीमा और माल ढुलाई जैसी सेवाओं का प्रावधान शामिल है, यह 'समग्र आपूर्ति' के दायरे में आता है।हम संघ की लिखित प्रस्तुतियों से ध्यान देते हैं कि ए. एस. जी. ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि इस लेनदेन में माल ढुलाई और बीमा के मूल्य तत्व शामिल होंगे, और फिर भी आई. जी. एस. टी. केवल वस्तुओं की आपूर्ति पर कर के रूप में लगाया जाता है।इस तरह के लेन-देन को सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत "समग्र आपूर्ति" कहा जाता है।

ग

डी.

135. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (30) "समग्र आपूर्ति" को परिभाषित करती है।

के रूप में

“(30) “"समग्र आपूर्ति" से किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति अभिप्रेत है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की दो या दो से अधिक कर योग्य आपूर्ति या उनका कोई संयोजन होता है, जो स्वाभाविक रूप से व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में बंडल और आपूर्ति की जाती है, जिनमें से एक प्रमुख आपूर्ति है;

ई.

चित्रण।— जहाँ माल को बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, वहाँ माल की आपूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा एक समग्र आपूर्ति है और माल की आपूर्ति एक प्रमुख आपूर्ति है।

च

136. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (30) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि एक लेनदेन में दो या दो से अधिक कर योग्य आपूर्ति हो सकती है, जहां उनमें से एक प्रमुख आपूर्ति है।धारा 2 (30) का चित्रण आगे स्पष्ट करता है कि वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सी. आई. एफ. अनुबंध जैसे लेनदेन सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत एक समग्र आपूर्ति को दर्शाते हैं, जहां प्रमुख आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति है।

जी.

137. समग्र आपूर्ति पर कर देयता सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान की जाती है।

एच.

"8. मिश्रित और मिश्रित आपूर्ति पर कर देयता।— एक समग्र या मिश्रित आपूर्ति पर कर देयता निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) दो या दो से अधिक आपूर्ति वाली एक समग्र आपूर्ति, जिसमें से एक प्रमुख आपूर्ति है, को ऐसी प्रमुख आपूर्ति की आपूर्ति माना जाएगा; और

(ख) दो या दो से अधिक आपूर्ति वाली मिश्रित आपूर्ति को उस विशेष आपूर्ति की आपूर्ति माना जाएगा जो कर की उच्चतम दर को आकर्षित करती है।"

(जोर दिया गया)

ग

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि एक समग्र आपूर्ति पर कर देयता जिसमें दो या दो से अधिक आपूर्ति शामिल हैं, केवल 'प्रमुख आपूर्ति' पर लगाई जाएगी।सी. आई. एफ. लेन-देन में, धारा 2 (30) के अनुसार, प्रमुख आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति है।इस प्रकार, कर इस तरह लगाया जाएगा जैसे कि लेन-देन माल की आपूर्ति का हो।

डी.

138. आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत 'समग्र आपूर्ति' से संबंधित प्रावधान आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत उत्परिवर्तन लागू होंगे। विस्तार से, समग्र आपूर्ति के लेन-देन में आई. जी. एस. टी. माल की प्रमुख आपूर्ति पर लगाया जाएगा।139. प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया है कि लेन-देन के 'सेवा' पहलू पर आई. जी. एस. टी. लगाने का प्रयास करने वाला विवादित शुल्क सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 2 (30) के तहत शामिल 'समग्र आपूर्ति' के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 20 के तहत आई. जी. एस. टी. लगाने पर समान रूप से लागू होता है। इसके विपरीत, केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है कि विवादित शुल्क लेन-देन के दूसरे चरण पर है, जो विदेशी निर्यातक और विदेशी शिपिंग लाइन के बीच एक स्वतंत्र अनुबंध है।इस प्रकार, संघ ने आग्रह किया है कि विदेशी निर्यातक और विदेशी शिपिंग लाइन के बीच अनुबंध-जिसमें भारतीय आयातक एक पक्ष नहीं है-को 'समग्र आपूर्ति' का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।जबकि विदेशी निर्यातक और भारतीय आयातक के बीच लेन-देन का पहला चरण (प्रस्तुतिकरण के अनुसार) एक समग्र आपूर्ति है, दूसरा चरण एक स्वतंत्र लेनदेन है।इस संबंध में, संघ ने मैकडॉवेल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है कि यह तर्क देने के लिए कि एक एकल तत्व एक लेवी और दूसरे लेनदेन के लिए मूल्य का एक हिस्सा हो सकता है।इसके अलावा केंद्र सरकार ने आग्रह किया है कि लेन-देन के विभिन्न पहलुओं पर शुल्क लगाया जाए।

ई.

च

जी.

एच.

445

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

140. हम इस मामले में केंद्र सरकार से सहमत नहीं हो पा रहे हैं।जिस पहलू सिद्धांत पर केंद्र सरकार ने भरोसा किया है, वह इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में अपनी जगह पाता है, जैसे कि फेडरेशन ऑफ

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया **93** और

बीएसएनएल **(**ऊपर**)**।

भारत (ऊपर), केंद्र सरकार द्वारा व्यय कर लगाने के संबंध में एक चुनौती उठाई गई थी।लेन-देन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से कहा कि

"31. वास्तव में**,** किसी विषय के संबंध में कानून संयोग से किसी अन्य विषय को किसी तरह से "प्रभावित" कर सकता है**;** लेकिन यह वही बात नहीं है जो कानून बाद के विषय पर है।वहाँ अतिव्यापी हो सकता है**;** लेकिन अतिव्यापी कानून में होना चाहिए।एक ही लेन**-**देन के अलग**-**अलग पहलुओं में दो या दो से अधिक कर योग्य घटनाएँ शामिल हो सकती हैं।लेकिन यह तथ्य कि एक ओवरलैपिंग है**,** विशिष्टता से अलग नहीं होता है।

ग

डी.

पहलुओं से।गवर्नर जनरल**-**इन**-**में लॉर्ड साइमंड्स

परिषद बनाम मद्रास प्रांत [ए. आई. आर 1945 पी. सी. 98:1945 उत्पाद शुल्क और वस्तुओं की बिक्री पर कर की अवधारणाओं के संदर्भ में एफ. सी. आर. 17,93] ने कहाः

ई.

"..... दो कर, एक निर्माता पर उसके माल के संबंध में लगाया जाता है, दूसरा विक्रेता पर उसकी बिक्री के संबंध में लगाया जाता है, जैसा कि वहाँ बताया गया है, एक अर्थ में ओवरलैप हो सकता है।लेकिन कानून में कोई ओवरलैपिंग नहीं है।करों को अलग किया जाता है और अलग-अलग शुल्क लगाए जाते हैं।यदि वास्तव में वे ओवरलैप करते हैं, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कर प्राधिकरण, उत्पाद शुल्क लागू करते हुए, उस समय उस शुल्क को लागू करना सुविधाजनक पाता है जब उत्पाद शुल्क वाली वस्तु अपनी बिक्री के अवसर पर पहली बार कारखाने या कार्यशाला से निकलती है।

च

(जोर दिया गया)

जी.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेन-देन के विभिन्न पहलुओं पर अलग-अलग प्रावधानों के माध्यम से कर लगाया जा सकता है। हालाँकि, बी. एस. एन. एल. (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहा कि पहलू सिद्धांत वस्तुओं के मूल्य को सेवाओं में शामिल करने की अनुमति नहीं देता है और इसके विपरीत।बी. एस. एन. एल. (ऊपर) में, इस न्यायालय ने सुनवाई की

93 (1989) 3 एस. सी. सी. 634

एच.

इस सवाल के साथ कि क्या टेलीफोन सेवाओं के प्रावधान में माल का हस्तांतरण शामिल है जो बिक्री कर के लिए उत्तरदायी होगा।इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहाः

"88. बिक्री पर बिक्री कर लगाने के लिए राज्यों की विधायी क्षमता से कोई भी इनकार नहीं करता है, बशर्ते कि बिक्री के आवश्यक सहयोगी लेनदेन में मौजूद हों और बिक्री लेनदेन में स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो।हालाँकि, यह राज्य को माल के मूल्य में ऐसी

सेवा की लागत को शामिल करके संघ सूची और कर सेवाओं में शामिल करने की अनुमति नहीं देता है।यहां तक कि उन समग्र अनुबंधों में भी जिन्हें अनुच्छेद 366 (29-ए) के तहत विधिसम्मत रूप से विभाज्य माना जाता है, पूरे लेनदेन के निष्पादन में शामिल माल के मूल्य का मूल्यांकन बिक्री कर से नहीं किया जा सकता है।"

ग

142. वर्तमान मामले में, सवाल यह है कि क्या सेवाओं की आपूर्ति पर आई. जी. एस. टी. का अधिरोपण तब भी कायम रह सकता है जब वस्तुओं की आपूर्ति पर आई. जी. एस. टी. का समवर्ती अधिरोपण हो।हालाँकि, हमें पहले उस संदर्भ का विश्लेषण करना चाहिए जिसमें इस मामले में वस्तुओं के आयात पर आई. जी. एस. टी. लगाया जाता है।

डी.

143. सी. जी. एस. टी. अधिनियम (और आई. जी. एस. टी. अधिनियम) में समग्र आपूर्ति के प्रावधान जी. एस. टी. के उद्ग्रहण में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। 'समग्र आपूर्ति' शुरू करने का विचार यह सुनिश्चित करना था कि लेन-देन के विभिन्न तत्वों को विच्छेदित नहीं किया जाता है और पूरी तरह से आपूर्ति के बंडल पर शुल्क लगाया जाता है।इसका सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (30) के तहत दिए गए चित्रण में विशिष्ट उल्लेख मिलता है, जहां मुख्य आपूर्ति वस्तुओं की होती है।इस प्रकार, संसद का इरादा यह था कि एक लेन-देन जिसमें वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के विभिन्न पहलू शामिल हैं और जो स्वाभाविक रूप से एक साथ जोड़े जाते हैं, उस पर समग्र आपूर्ति के रूप में कर लगाया जाना चाहिए।

ई.

च

144. यह सच है कि इस मामले में, विदेशी निर्यातक और भारतीय आयातक के बीच लेनदेन का पहला चरण एक समग्र आपूर्ति है, जबकि दूसरा चरण, विदेशी निर्यातक और शिपिंग लाइन के बीच, एक दृष्टिकोण से, एक स्वतंत्र लेनदेन के रूप में माना जा सकता है।ये दोनों स्वतंत्र लेनदेन हैं और आम तौर पर, आई. जी. एस. टी. लेनदेन के दोनों सेटों पर लगाया जा सकता है-एक माल की आपूर्ति के रूप में (समग्र आपूर्ति के दायरे में) और दूसरा सेवाओं की आपूर्ति के रूप में।हालाँकि, विवादित अधिसूचनाएँ आयातक पर सेवा की आपूर्ति के मानित प्राप्तकर्ता के रूप में कर लगाने का प्रयास करती हैं।ए. एस. जी. ने आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और 5 (4) की व्याख्या को आगे बढ़ाया है, जिसे ए के साथ पढ़ा जाता है।

जी.

एच.

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) यह तर्क देती है कि आयातक को सेवाओं के 'प्राप्तकर्ता' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।इस व्याख्या पर, हमने इस निर्णय की धारा D.2-D.5 में आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और 5 (4) के तहत विवादित अधिसूचनाओं की वैधता को बरकरार रखा है।वास्तव में उत्तरदाताओं ने आग्रह किया कि (i) भारतीय आयातक को विदेशी निर्यातक और विदेशी शिपिंग लाइन के बीच अनुबंध की जानकारी नहीं है; (ii) भारतीय आयातक विदेशी शिपिंग लाइन पर ध्यान नहीं देता है; और (iii) भारतीय आयातक को विदेशी शिपिंग लाइन से कोई सेवा प्राप्त नहीं होती है क्योंकि परिवहन सेवाएं विदेशी शिपिंग लाइन द्वारा विदेशी निर्यातक को प्रदान की जाती हैं।ए. एस. जी. ने केंद्र सरकार की ओर से दलीलें देते हुए इन दलीलों का विरोध किया है।केंद्र सरकार ने आग्रह किया है कि इस न्यायालय को विदेशी शिपिंग लाइन और विदेशी निर्यातक के बीच अनुबंध के पाठ से परे देखना चाहिए ताकि भारतीय आयातक को सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में पहचाना जा सके।इस न्यायालय ने इस आधार पर विवादित अधिसूचनाओं की वैधता को बरकरार रखा है।केंद्र सरकार अब यह तर्क देते हुए अपनी प्रस्तुति के मुख्य मुद्दे का खंडन कर रही है कि लेन-देन के दो चरण अलग-अलग स्वतंत्र समझौते हैं। इसका मतलब यह होगा कि जहां एक ओर केंद्र सरकार विदेशी शिपिंग लाइन और विदेशी निर्यातक के बीच अनुबंध के पाठ से परे जाकर (भारतीय आयातक को सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में पहचानने के उद्देश्य से) भारतीय आयातक पर कर लगाना

चाहती है, वहीं दूसरी ओर, जहां तक समग्र आपूर्ति पर प्रस्तुतियों का संबंध है, केंद्र सरकार आग्रह करती है कि अनुबंधों को अलग-अलग लेनदेन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो अलग-अलग तरीके से काम करते हैं।हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।भारत संघ को सुविधा के तर्कों का आग्रह करने के लिए नहीं सुना जा सकता है-लेन-देन के दो चरणों को जुड़ा हुआ मानते हुए जब वह भारतीय आयातक को सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में पहचानने का प्रयास करता है, जबकि दूसरी ओर, लेन-देन के दो चरणों को स्वतंत्र मानते हुए जब वह समग्र आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों को खत्म करने का प्रयास करता है।145. यह न्यायालय आई. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की सीमाओं से यह निर्धारित करने के लिए बाध्य है कि क्या यह एक समग्र आपूर्ति है।सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 के पाठ को नजरअंदाज करने और दोनों लेनदेनों को स्वतंत्र समझौतों के रूप में मानने की अनुमति नहीं होगी।सी. आई. एफ. अनुबंध में, माल की आपूर्ति परिवहन और बीमा सेवाओं की आपूर्ति के साथ होती है, जिसकी जिम्मेदारी विक्रेता (इस मामले में विदेशी निर्यातक) पर होती है।विदेशी मालवाहक द्वारा परिवहन सेवा की आपूर्ति विदेशी निर्यातक और भारतीय आयातक के बीच आपूर्ति के बंडल का एक हिस्सा है, जिस पर आई. जी. एस. टी. के तहत भुगतान किया जाता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) को आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 20, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 और धारा 2 (30) के साथ पढ़ा जाता है। लेन-देन के सेवा घटक की आपूर्ति पर आई. जी. एस. टी. लगाना धारा 8 में निहित सिद्धांत के विपरीत होगा और जी. एस. टी. कानून की योजना का उल्लंघन होगा।इस कारण के आधार पर, हमारी राय है कि हालांकि विवादित अधिसूचनाएं आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और 5 (4) के तहत वैध रूप से जारी की जाती हैं, लेकिन यह सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 और जी. एस. टी. कानून की समग्र योजना का उल्लंघन होगा।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (3) के तहत, केंद्र सरकार के पास सेवाओं के आयात के रूप में वस्तुओं के आयात को अधिसूचित करने की शक्ति है और इसके विपरीत हैः

ग

“7. आपूर्ति का दायरा-- -

[...]

(3) [उप-धारा (1), (1ए) और (2)] 16 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उन लेनदेनों को निर्दिष्ट कर सकती है जिन्हें-(ए) वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में माना जाना है न कि सेवाओं की आपूर्ति के रूप में; या

डी.

(ख) सेवाओं की आपूर्ति, न कि वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में।"

वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति को वस्तुओं की दो अलग-अलग आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति के रूप में व्याख्या करने के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं देखी जा सकती है।

ई.

146. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा है कि:"जी. एस. टी. के कार्यान्वयन में वर्तमान समय की समस्याओं का कारण क्या है:

च

132. जी**.** एस**.** टी**.** को विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर लागू किया जाता है।

जी**.** एस**.** टी**.** के उचित कार्यान्वयन में आज जो कठिनाई अनुभव की जा रही है**,** वह कानून की गलत गलत धारणा के कारण है**,** या प्रत्यायोजित कानून की ओर से गलत धारणा है कि सेवा कर एक स्वतंत्र लेवी है जैसा कि जी**.** एस**.** टी**.** से पहले था और यह जी**.** एस**.** टी**.** कानून में पेश समग्र आपूर्ति की मूल अवधारणा और जी**.** एस**.** टी**.** को लागू करने के विचार को पूरी तरह से नजरअंदाज करने या भूल जाने वाले कुछ घटकों पर अधिक कर लगाने के लिए आपूर्ति के लेनदेन को विभाजित करता है। प्रथम दृष्टया**,**

जी.

ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित अधिसूचना जारी करते समय, प्रत्यायोजित ए

एच.

449

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

विधायिका ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी करों को एक कर में विलय करने के लिए संवैधानिक (101 वां) संशोधन अधिनियम, 2016 बनाकर जी. एस. टी. लाने के उद्देश्य को ध्यान में रखने के बजाय वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधान को ध्यान में रखा था, जिसे जी. एस. टी. के रूप में जाना जाता है।

133. ऐसा प्रतीत होता है कि आई. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 के तहत विवादित अधिसूचनाओं के माध्यम से समुद्री माल ढुलाई सहित पूरे मूल्य पर माल के आयात पर एकीकृत कर लगाने और एकत्र करने के बावजूद, एक बार फिर एकीकृत कर कानून की गलत धारणा के तहत लगाया जा रहा है कि सेवा घटकों (माल ढुलाई) पर अलग कर लगाया जा सकता है, जो अन्यथा सी. ए. अधिनियम, 2016 के तहत बनाए गए जी. एस. टी. कानून की योजना के तहत अनुज्ञेय नहीं है।

ग

134. सभी विद्वान वरिष्ठ वकीलों का यह कहना सही है कि यदि इस तरह की गलत धारणा को ठीक नहीं किया जाता है और यदि ऐसी प्रवृत्ति जारी रहती है**,** तो भविष्य में माल की आपूर्ति के अन्य घटकों**,** जैसे बीमा**,** पैकेजिंग**,** लोडिंग/अनलोडिंग**,** श्रम आदि को भी प्रत्यायोजित कानून द्वारा कृत्रिम रूप से विभाजित किया जा सकता है ताकि एक बार फिर उस आपूर्ति पर जी**.** एस**.** टी**.** लगाया जा सके जिस पर कर पहले ही एकत्र किया जा चुका है।

डी.

ई.

[...]

215. इस प्रकार**,** आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल माल ढुलाई की राशि पर आई**.** जी**.** एस**.** टी**.** का भुगतान करने के बाद**,** कानून द्वारा किसी भी स्पष्ट मंजूरी के बिना**,** सेवा की आपूर्ति के रूप में फिर से कर लगाने वाली विवादित अधिसूचनाएं अवैध हैं और इन्हें निरस्त किया जा सकता है।"

च

(जोर दिया गया)

147. हम उच्च न्यायालय के साथ इस हद तक सहमत हैं कि किसी सेवा की आपूर्ति पर कर, जिसे पहले ही कानून द्वारा माल की समग्र आपूर्ति पर कर के रूप में शामिल किया जा चुका है, की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जी.

ई निष्कर्ष

148. उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैंः

(i) जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशें निम्नलिखित कारणों से केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैंः

एच.

(क) अनुच्छेद 279 ख को हटाना और संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 279 (1) को शामिल करना इंगित करता है कि संसद का इरादा था कि जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों का केवल एक प्रेरक मूल्य हो, विशेष रूप से जब घटक इकाइयों के बीच सहकारी संघवाद और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जी. एस. टी. व्यवस्था के उद्देश्य के साथ व्याख्या की जाए;

(ख) न तो अनुच्छेद 279 ए एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होता है और न ही अनुच्छेद 246 ए में कहा गया है कि यह अनुच्छेद 279 ए के प्रावधानों के अधीन है। संसद और राज्य विधानसभाओं के पास एक साथ जी. एस. टी. पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 246 ए में जी. एस. टी. पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए एक प्रतिकूल प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है। जी. एस. टी. परिषद की 'सिफारिशें' केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक वार्ता का परिणाम हैं।वे प्रकृति में अनुशंसा करने वाले हैं।उन्हें बाध्यकारी आदेश के रूप में मानने से राजकोषीय संघवाद बाधित होगा, जहां केंद्र और राज्यों दोनों को जी. एस. टी. पर कानून बनाने की समान शक्ति प्रदान की जाती है। यह जरूरी नहीं है कि संघीय इकाइयों में से किसी एक के पास निर्णय लेने के लिए संघीय इकाइयों की शक्ति में हमेशा अधिक हिस्सा होना चाहिए। भारतीय संघवाद सहकारी और असहयोगी संघवाद के बीच एक संवाद है जहां संघीय इकाइयों को सहयोग से लेकर प्रतिस्पर्धा तक विभिन्न साधनों का उपयोग करने की स्वतंत्रता है; और

ग

डी.

ई.

च

(ग) सरकार सी. जी. एस. टी. अधिनियम और आई. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों से बाध्य है।हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद

279 ए (4) की शक्ति के आधार पर की गई जी. एस. टी. परिषद की सभी सिफारिशें प्राथमिक कानूनों को लागू करने की विधायिका की शक्ति पर बाध्यकारी हैं; (ii) सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (93) के साथ पठित आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (11) और 13 (9) को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, सी. आई. एफ. अनुबंध द्वारा वस्तुओं का आयात "अंतर-ए" का गठन करता है।

जी.

एच.

451

भारत संघ बनाम मेसर्स मोहित मिनरल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। निदेशक के माध्यम से [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

राज्य की आपूर्ति जो आई. जी. एस. टी. के अधीन हो सकती है जहां ऐसी वस्तुओं का आयातक प्रेषण सेवा का प्राप्तकर्ता होगा;

(iii) आई. जी. एस. टी. अधिनियम और सी. जी. एस. टी. अधिनियम रिवर्स चार्ज को परिभाषित करते हैं और उन उद्देश्यों के लिए कर लगाने वाली इकाई को निर्धारित करते हैं।प्राप्तकर्ता का विनिर्देश-इस मामले में आयातक-अधिसूचना 10/2017 द्वारा केवल स्पष्टीकरणात्मक है।सरकार ने अधिसूचना द्वारा रिवर्स चार्ज के उद्देश्यों के लिए आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) में निर्धारित प्राप्तकर्ता से अलग कर योग्य व्यक्ति को निर्दिष्ट नहीं किया है।

ग

(iv) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (4) केंद्र सरकार को पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को प्राप्तकर्ता के रूप में निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रत्यायोजित कानून पर एक काल्पनिक धारणा बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है।

(v) लेन-देन के 'सेवा' पहलू पर लगाया गया विवादित शुल्क सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 2 (30) के तहत निहित 'समग्र आपूर्ति' के सिद्धांत का उल्लंघन है। चूंकि भारतीय आयातक सी. आई. एफ. अनुबंध में वस्तुओं की आपूर्ति और परिवहन, बीमा आदि सेवाओं की आपूर्ति सहित 'समग्र आपूर्ति' पर आई. जी. एस. टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए शिपिंग लाइन द्वारा 'सेवाओं की आपूर्ति' के लिए भारतीय आयातक पर एक अलग शुल्क सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन होगा।

डी.

ई.

149. ऊपर बताए गए कारणों से, अपीलों को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

च

150. लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हो तो उनका निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

जी.

एच.